राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, दिनांक–२ सितम्बर, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ३१ मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष—वे सदस्य जिन्होंने अभी तक संविधान के प्रति निष्ठा की निर्धारित शपथ अथवा प्रतिज्ञान ग्रहण नहीं किया हो, अब ऐसा करेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की:—

(१) श्री लादूराम चौधरी,

(२) श्री द्वारकादास पुरोहित, एवं

(३) श्री झुंझारसिंह)।

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी के देहावसान पर शोक-प्रस्ताव

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)–ग्रोन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर, सर, मैंने ग्राज से चार दिन पूर्व ग्राप से डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के सम्बन्ध में शोक-प्रस्ताव पेश करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। मुझे ग्राशा थी कि शायद माननीय ग्रध्यक्ष की ग्रोर से या इस सदन के नेता की ग्रोर से इस संबन्ध का प्रस्ताव ग्राता और यदि चेयर की तरफ से नहीं ग्राता तो मैं समझता था कि माननीय चीफ मिनिस्टर,लीडर ग्रॉफ दी हाउस, की ग्रोर से इस प्रकार का प्रस्ताव ग्राता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इस सम्बन्ध में मेरा जो प्रस्ताव है उस पर ग्रन्य सदस्यों को बोलने की ग्रनुमति दें तो वे मृत ग्रात्मा के प्रति श्रद्धान्जलि ग्रर्पित करें। मैं समझता हूं कि सभी विधान सभाओं में इस प्रकार के प्रस्ताव पास किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–ग्रॉडर! ग्रॉडर!! साधारणतया जब कि सदन की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होती कोई विवाद का प्रश्न सामने ग्राता ही नहीं। माननीय सदस्य को यह जानकारी रखनी चाहिये कि विधान सभा की कार्यवाही प्रश्नों के बाद प्रारम्भ होती मानी जाती है, ग्रत: वह प्रश्न बाद में ग्रायगा। किन्तु एक बात मैं पहले कहदूं कि वे थोडा धीरज रक्खें ग्रौर जो विधान सभाओं की परम्परा है, ऐसे ग्रवसर पर, नका यदि वे ग्रध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि विधान सभा के ग्रध्यक्ष किसी भी प्रकार के बाद

Page No.2

[श्री अध्यक्ष]

विवाद में भाग नहीं लेते और न उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव ही आया करता है और जो प्रस्ताव आते हैं वे या तो सदन के नेता की ओर से या विरोधी दल के नेता की ओर से या किसी सदस्य की ओर से आते हैं और जो कार्यवाही प्रारम्भ होगी उसके लिये में बता देना चाहता हूं कि मेरे पास जो समाचार आये हैं उनमें सदन के नेता, जैसा कहा गया है इस बारे में अपना कुछ वक्तव्य देंगे और वे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले देंगे । प्रश्न सदन की कार्यवाही के अंग नहीं माने जाते हैं । सदन की कार्यवाही का समय प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ही प्रारम्भ होता है ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १, २ तथा ३

श्री अध्यक्ष—श्री सरदारसिंह

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित । प्रश्न संख्या १ तथा २ के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(तारांकित प्रश्न सूची में प्रश्न संख्या ४ न होने के कारण)

प्रश्न संख्या ५

श्री गुरदयालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या गंग केनाल में पानी की कमी है ?

(ख) यदि है, तो सरकार इस विषय में क्या विचार कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—गंग केनाल में पानी हक के मुताबिक पूरा मिलता रहा है और कोई कमी नहीं है ।

श्री गुरदयालसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि पिछले समय से कुछ कमी आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जितना उनका हक या उनको मिलता रहा है । इसलिये कमी का प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

श्री गुरदयालसिंह—क्या उन इलाकों को जितना पानी मिलना चाहिये, मिल रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री गुरदयालसिंह— क्या पिछली साल हाउस में यह माना था कि कमी आई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले माननीय सदस्य इस बात को मालूम करें कि किस वर्ष में कितना पानी किस किस जगह कम मिला ?

Page No.3

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिससे वह पानी को और बढ़ाना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं ।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या इस प्रकार की कोई स्कीम (योजना) बनाई जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है, आगे होगा तो देखा जावेगा ।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, question No. 4 is not in the list.

श्री अध्यक्ष—We can treat No 5 as question No. 4.

प्रश्न संख्या ६ (७ एस. एम.)

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंग केनाल पर पिछले दो वर्षों में कितना नया रकबा कमांड किया गया है ?

(ख) क्या उस कमान्डेड रकबे के लिए सरकार ने अधिक पानी हासिल करने का प्रबन्ध किया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—गंग केनाल पर पिछले दो वर्षों में ६५०८ एकड़ नया रकबा कमान्ड किया गया । इसके लिये अधिक पानी नहीं लिया गया ।

श्री गुरुदयालसिंह—उस एरिया को कमान्ड करने का क्या कारण था जब कि वहां पानी नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—"अधिक अन्न उपजाओ" का खयाल करके ही अधिक एरिया कमान्ड किया गया । पहले वहां पर जमीन को अधिक पानी की आवश्यकता थी किन्तु अब जमीन के पानी काफी पीते रहने की वजह से जो पानी बचा उसको दूसरे एरिया को कमान्ड करने के काम में लाया गया; जैसे पहले सात प्रतिशत में डिस्चार्ज किया जाता था अब काफी एरिया में डिस्चार्ज किया गया है ।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सरकार के पास पानी इतना फालतू था कि इतने और एरिया को पानी दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं आपको बता चुका हूं कि जिस जमीन को पानी दिया जाता है उस जमीन को इतने पानी की आवश्यकता नहीं थी, अतः दूसरे एरिया को पानी दिया गया ।

श्री गुरुदयालसिंह—८५ प्रतिशत किस हिसाब से बताया जाता है ?

श्री भोगीलालपंड्या—इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछियेगा ।

श्री गुरुदयालसिंह—आपने बताया कि ८५ प्रतिशत हो गया है इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने ८५ प्रतिशत नहीं बताया था ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ७ (८/एस.एल.)

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गत वर्ष में गंग कैनाल मेन लाइन में कितने मोघे (आउट लेट) लगाए गए ?

(ख) क्या उससे पहले भी मेन लाइन में कोई मोघा था ?

(ग) अगर नहीं, तो अब लगाने की क्या आवश्यकता थी ?

(घ) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—गत वर्ष में गंग कैनाल मेन लाइन में कोई मोघा नहीं लगाया गया इसलिए आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या मेन लाइन में कोई मोघा नहीं लगाया गया?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—जी हां, गत वर्ष गंग कैनाल की मेन लाइन में कोई मोघा नहीं लगाया गया है । नहर में जरूर ३२, ३३, ३५ एम.एल. पर मोघे लगाए गए थे । पहले २४,११,२५ एम.एल. की ही जगह पर लगे हुए थे ।

श्री गुरुदयालसिंह—पहले इस प्रकार के रूल्स थे कि मेन लाइन पर कोई मोघा नहीं लगाया जावेगा तो फिर किस तरह से ये मोघे लगाए गए और सरकार को परेशानी उठानी पड़ी ।

श्री भोगीलाल पंड्या—परेशानी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब कि कोई मोघा नहीं लगाया गया ?

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सरकार जांच करायेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मोघे ३२,३३ और ३५ जो लगाए गए हैं, वे फीडर लाइन पर लगाए

श्री गुरुदयालसिंह—मन लाइन और फीडर लाइन म तो कोई अन्तर नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इनमें काफी अन्तर समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

Page No.5

प्रश्न संख्या ८ (६/एस. एम.)

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) भाखरा कैनाल से गंगानगर जिले को पानी कब और कितना मिलेगा और किस रकबा को पहुंचाया जावेगा ?

(ख) क्या सरकार उस पानी के पहुंचाने का प्रबन्ध कर चुकी है ?

(ग) अगर कर चुकी है, तो क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—(क) इस नहर से सन् १९५४ में फसल खरीफ को पानी मिलना शुरू हो जायगा। आरम्भ में लगभग १,४२,००० एकड़ जमीन के लिए पानी मिलेगा।

(ख) इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, नोहर, भादरा व सूरतगढ़ तहसीलों का रकबा आता है।

(ग) पानी लाने के लिये नहर खोदी जा रही है और पानी को रकबा पर लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री गुरुदयालसिंह—क्या सरकार इस प्रबन्ध के करने में कामयाब हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, हुई है।

श्री गुरुदयालसिंह—पिछले साल नहर के लिए जो रुपया मंजूर किया गया था तो क्या वह रुपया उस पर लगा दिया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह—तो रुपया लेप्स नहीं हुआ क्या ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह—गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया (भारत सरकार) ने जो रुपया मंजूर किया वह भी खर्च कर दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। भारत सरकार की हमें जो सूचना मिली हुई है उसके अनुसार नियमित रूप से कार्य होता है। प्रतिमास जो कार्य होता है उसकी रिपोर्ट भारत सरकार के पास भेजी जाती है। भारत सरकार को भी संतोष है और राजस्थान सरकार को भी।

श्री कानसिंह—भाखरा नांगल नहर का जो खुदाई का कार्य हो रहा है वह ठीक हो रहा है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने सुना नहीं कि आपने क्या कहा ?

श्री कानसिंह —मैं आपसे पूछ रहा था कि जो खुदाई का कार्य होना चाहिये वह संतोषजनक ढंग से हो रहा है या नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां। हमारा कमान्डेड रकबा ६ लाख ३० हजार है। ८६१ माइल तक डिस्ट्रीब्युटरी नहर खोदनी की है। इसमें से ४२७ मील की नहर खोदी जा चुकी है। मिट्टी जो खोदने को है उसमें से ४२३ लाख की मिट्टी खुद चुकी है, जो ३३ प्रतिशत होती है।

श्री अध्यक्ष—As regards question No. 3, I may just inform the members that a request has been received from the Development department that since nformation on this question is not readily available it may be taken up afterwards. So this question will be taken up later on.

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं श्री पन्नालाल कौशिक के देहावसान पर शोक-प्रदर्शन

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, सदन का कार्य प्रारम्भ हो इससे पहले मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। कुछ अर्से पहले पार्लियामन्ट के एक माननीय सदस्य, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, का देहावसान काश्मीर में जब कि वे नजरबन्द थे, हो गया। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारत की महान् हस्तियों में से एक थे। उनका क्षेत्र न सिर्फ राजनीति था बल्कि शिक्षा, संस्कृति, व्यवसाय और अन्य उन ऐसे विषयों में भी उनकी रुचि और गति थी, जो विषय कि भारत के विकास में सहायक हों। बंगाल के जीवन में उनका विशेष रूप से हाथ रहा है। उनके पिताजी भी एक अच्छे साहित्यिक थे। वे भी बंगाल की युनिवर्सिटी से सम्बन्धित रहे थे। वे बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली से, मंत्रीमंडल से संबंधित रहे और जहां तक दिल्ली की पार्लियामेंट से सम्बन्ध है, बहुत अर्से तक वे उसके सदस्य रहे और साथ ही साथ मंत्री मंडल में भी एक प्रमुख व्यक्तियों में से वे रहे। मुझे विशेष रूप से इसलिये भी दुख है जबकि हम आज डा०श्यामा प्रसादजी को अपने बीच नहीं पा रहे हैं। मेरा उनके साथ पार्लियामेंट में भी घनिष्ट सम्बन्ध रहा है और हम करीब करीब हम उम्र के हैं। उनका अनुपम प्रेम तथा स्नेह बराबर बना रहा था। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके विचार कई बार कांग्रेस दल से विभिन्न भी हुए थे किन्तु उनका अपनी बात-चीत रखने का ढंग मधुर, सहानुभूति-पूर्वक और विचार पूर्वक होता था।

इसलिए उनको सभी सम्मान की नजर से देखते थे, आदर की नजर से देखते थे, स्नेह की नजर से देखते थे और उनकी जो बातें होती थीं उनको बराबर महत्व देते थे।

जिस समय श्री श्यामा प्रसाद जी का देहावसान हुआ और इसके समाचार हमें मिले उसी समय मैंने, मुख्य मंत्री के नाते, उनके देहावसान के सम्बन्ध में तार भेज दिया था और उनके जो कुटुम्बी हैं उन कुटुम्बियों के साथ न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि राजस्थान की तरफ से, आप माननीय सदस्यों की तरफ से समझिये, सहानुभूति और हार्दिक खेद प्रकट किया था और इसके बाद में सामूहिक रूप से यह अवसर आया है, यद्यपि कुछ समय अवश्य बीत गया है क्योंकि इस बीच कोई अवसर आया ही नहीं, मैं यह अवसर अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और सदन की तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धा और श्रद्धांजलि

[श्री जयनारायण व्यास]

अर्पित करने के लिए उपयुक्त समझता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे दूसरे साथी भी चाहे वे उधर बैठे हों और चाहे इधर और हमारी जो संवेदना और दुख उनके निधन पर है उसमें हमारे साथ रहेंगे और इसमें हमारे साथ सम्मिलित होंगे।

एक और दुखदायी घटना हो गई थी, हमारे राजस्थान के पार्लियामेंट के एक सदस्य के सम्बन्ध में। उनका नाम श्री पन्नालाल जी कौशिक है। उनका देहावसान एक हवाई जहाज की दुर्घटना में हो गया। वे हमारे राजस्थान की तरफ से चुने गये थे और दिल्ली में पार्लियामेंट के सदस्य थे। पन्नालालजी अपनी युवावस्था में एक राष्ट्रीय विचार वाले व्यक्ति रहे और ब्यावर में वे राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते रहे। मेरा उनका उस समय से ही साथ रहा था। पार्लियामेंट में जाने से पहले वे व्यापार-धंधे में लगे थे और इस क्षेत्र में भी काफी सफलता उन्हें मिली। उनका भी ऐसी परिस्थितियों में देहावसान हुआ, इसके लिए हमें बड़ा खेद है और मैं समझता हूं कि हमें उनके देहावसान के सम्बन्ध में अपना दुख और सहानुभूति प्रकट करनी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि सदन इसमें भी मेरा समर्थन करेगा और मेरे साथ दुःख और सहानुभूति प्रकट करने में मेरा साथ देगा।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, विरोधी दल की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, इस सदन के नेता, के साथ सम्मिलित होता हूं।

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत जिस परिस्थिति में हुआ वह अगर न होता तो भी यह घटना एक इतनी बड़ी राजनैतिक घटना होती कि उसके लिए जिस प्रकार आज सारा भारत और भारत के नर-नारी इस विषाद में सम्मिलित हुए हैं, होते।

डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी का गुणगान अभी इस हाउस के नेता ने किया है तो मैं उन गुणों के अतिरिक्त और भी बढ़कर यह कहूंगा कि इन गुणों की बदौलत उन्होंने यहां की राजनीति में यह पद और स्थिति प्राप्त नहीं की बल्कि उनके और भी ऐसे गुण कई थे जिनकी वजह से आज उनका स्थान भारत के बड़े बड़े से नेता से भी ऊंचा और टक्कर लेने के काबिल था। डाक्टर मुखर्जी ने, अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर इस देश की जो सेवा की, अपने साथियों की सेवा की और भारत के नर नारियों की सेवा की, उसकी वजह से वे इतना बड़ा स्थान व नाम प्राप्त कर सके। मेरी समझ में भारत के इतिहास में, सिवाय गांधीजी के दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, न होगा जोकि अपने ही बलबूते पर, अपने ही कारण से अपने देश की सेवा कर सकता। अन्य और जो बड़े बड़े नेता हैं वे अपनी संस्था के कारण इतने बड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भारत की इन्डिपेन्डन्स यानि स्वतन्त्रता के लिये लडाई लड़ी और अंग्रेजों को यहां से निकालने का श्रेय प्राप्त किया। इसलिये जो श्रेय देश-सेवा का व देश को आजाद करने का है वह कांग्रेस संस्था को है। इसलिए देश के हमारे और बड़े बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के कहे जाते हैं और कांग्रेस संस्था के पीछे वे बढ़े हैं। पर डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्थान ऐसा स्थान था जो कि किसी संस्था के पीछे नहीं था। उनका नाम किसी संस्था के पीछे नहीं पूजा जाता था पर स्वयं के गुणों के पीछे पूजा

[श्री जसवन्तसिंह]

जाता था। उन्होंने अपने देश के लिए जो त्याग किया और हमारे संविधान में हमें जो हक और हकूक दिये गये हैं उन पर आज के सत्ता दल ने जब जब और ज्यों ज्यों आघात किया उस आघात का मुकाबला करने के लिए किसी की भी परवाह नहीं करके और अपने सब आराम, रुपया-पैसा और दूसरी किसी चीज की परवाह नहीं करते हुए जो त्याग उन्होंने भारत के नर-नारियों के लिए किया वह उनके पीछे एक ऐसा नाम उनका छोड़ गया है जिसकी टक्कर मेरे ख्याल में सिवाय गांधीजी को छोड़कर भारत के किसी भी नेता से नहीं हो सकती।

इसलिये भी उनके लिये श्रद्धांजली अर्पित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उस महान् आत्मा ने इतनी छोटी उम्र में, वे सिर्फ ५२ वर्ष की उम्र के थे, एक ऐसी जगह जाकर अपना जीवन त्याग कर दिया जो कि भारत में हमेशा के लिये आदर्श रहेगा और भारत जैसे बड़े देश के लिए उन्होंने जो अनुपम कार्य किया है उसके लिये हमारी श्रद्धान्जलि अर्पित करना ही काफी नहीं होना चाहिये बल्कि हमारा यह कर्त्तव्य हो जाना चाहिये कि चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो चाहे या किसी और की हो, चाहे पं० नेहरूजी का नेतृत्व हो या किन्हीं और का, उनके दिखाये रास्ते का अनुकरण करें तो हम अपने देश के प्रति एक बड़ा कर्त्तव्य पूरा कर सकेंगे।

उनके गुणों का विस्तार से अगर बखान करूं तो यह बड़ा कठिन काम है। पर अपने जीवन में मार्टरडम का उदाहरण रखकर जो सेवा उन्होंने देश की की है उसके लिए हमारी श्रद्धान्जलि तभी सार्थक होगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक उनका अनुकरण करके उनकी स्मृति को हमेशा कायम रखेंगे।

श्री गोपीलाल यादव —माननीय अध्यक्ष .....

श्री अध्यक्ष—नो, नो! जो भावनायें सदन के नेता और विरोधी दल के नेता ने माननीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बारे में प्रकट की हैं मैं अपनी ओर से सदन की ओर से उन भावनाओं में सम्मिलित होता हूं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मृत-आत्मा की शान्ति के लिए एक मिनट के लिए खड़े होकर अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(सदस्य एक मिनट के लिये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खड़े हुए)

श्री एच. के. व्यास के अवरोध के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—I have to inform the House that I have received the following communication from the District Magistrate, Jaipur. It is signed by one Shri K.L. Baraya on his behalf. The communication reads as follows:—

Page No.9

[श्री अध्यक्ष]

"This is to submit for your kind information that Shri H.K. Vyas, M.L.A., has been ordered to be detained for one month under section 2(3) of the Preventive Detention Act, 1950, as amended by the Preventive Detention (Amendment) Acts, of 1951 and 1952. The grounds of detention are being forwarded herewith."

I have also to inform the House that the enclosure referred to in this letter, having the grounds of detention, has not been received by us.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I do not know whether the leader of the House would be glad to inform us whether the provisions of the Preventive Detention Act are to be invoked on a supposed offence or whether any member of this House has actually done something very serious against the Government by which the life of a Minister has been tried upon or something like that or whether the Hon'ble Member was arrested on some definite grounds.

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी सदस्य को सपोज्ड ऑफेन्स (काल्पनिक अपराध) होने पर गिरफ्तार नहीं किया जायगा और अगर कोई गिरफ्तार किया जायगा तो उसके लिये ठोस कारण होंगे और वे ठोस कारण बराबर सदन के सामने आयेंगे। मुझे खेद है कि अब तक एन्क्लोजर्स नहीं आये। मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि एन्क्लोजर्स जल्दी से जल्दी आ जायं, अगर वे नहीं आयें होंगे तो। मुझे मालूम हुआ है कि वे वहां से रवाना कर दिये गये थे।

श्री अध्यक्ष—Just now the District Magistrate has intimated me of the order. It reads : "Whereas Shri H.K. Vyas has been reported to be pleading the cause of non-giving of the New Municipal Taxes by any means whatsoever and has been trying to organise meetings, procession and Hartals in pursuance of the same and has been leading the procession, the members whereof have caused damage to certain shops in Bazars of Jaipur City and I am satisfied that the above activities of his are prejudicial to the maintenance of public order, peace, tranquillity and normal life in the City of Jaipur I hereby order that he be detained for one month under sub-section (2) of section 3 of the Preventive Detention Act, 1950, as amended by the Preventive Detention Amendment Acts of 1951 and 1952."

Further, he has intimated : " Shri H.K. Vyas was arrested at about 5.30. A.M. this morning." This letter is dated 1st September, 1953.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Sir, I hope you will permit me to ask some questions to the Hon'ble Home Minister in this connection. It is a matter which effects the privileges of this House.

श्री अध्यक्ष—When coming to the next agenda, the Hon'ble Members will have full opportunity of discussing each and every matter which relates to this question. The Hon'ble Members should not be over-anxious to put questions.

जयपुर में हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव।

I have received notice of adjournment motion by the Hon'ble Shri Jaswant Singhji in which he wants that :

> "This House may adjourn to discuss the situation created by the dislocation of normal public life of the City of Jaipur caused by a complete hartal observed by the people successively for the last three days in protest of House Tax and Octroi Duty levied by the Jaipur Municipality."

He has forwarded a copy to me, i.e., the original to me and a copy to the Secretary and a copy to the Minister-in-charge of Local-Self-Government, Government of Rajasthan. This adjournment motion unfortunately seeks to discuss the situation of law and order and I do not think it relates to the Local Self-Government.

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष !............

श्री अध्यक्ष—Anyway, I do not want to go into the technicalities of this matter and rule it as "in order". It will have to be moved under rule 73 of the Rules of Business. You will have to ask the leave of the House and read it out.

श्री जसवन्तसिंह—This is exactly what I am doing.

(विराम)

माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक नोटिस इस बात का दिया है कि जयपुर शहर में तीन दिन से हड़ताल चल रही है जिससे हर किस्म के नर-नारियों और जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है और स्थिति ऐसी हो गई है कि राजस्थान के लिए बड़े शर्म की बात है। हमें यह जानना जरूरी है कि इस बारे में सरकार क्या एक्शन ले रही है, इसलिये मैंने इस प्रस्ताव का नोटिस दिया है :-

"This House may adjourn to discuss the situation created by the dislocation of normal public life of the City of Jaipur caused by a complete Hartal observed by the people successively for the last three days in protest of House Tax and Octroi Duty levied by the Jaipur Municipality".

अभी माननीय अध्यक्षजी ने फरमाया था कि यह लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट से कैसे ताल्लुक रखता है।

श्री अध्यक्ष--It is not needed.

कुं० श्री जसवन्तसिंह-चूंकि अब मुझे आज्ञा दे दी गई है इसलिये मैं इस बात पर प्रकाश न डालता हुआ यह कहूंगा कि यह प्रस्ताव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव मूव करने के लिये आज्ञा मुझे दी जायगी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--I do not oppose.

श्री अध्यक्ष--Then there is no necessity of asking the support of 20 members of this House.

श्री हिम्मतसिंह--Not at all.

श्री अध्यक्ष--So we continue the normal business till 11.00 A.M. Under the rules at 11. A.M. we will adjourn to discuss this.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)--माननीय अध्यक्ष, जो एड्जोर्नमेंट मोशन ....

श्री अध्यक्ष--You see I had received your adjournment motion too. But yesterday I received the adjournment motion by Kr. Shri Jaswant Singh and according to rule 75(i)........you should go through the rule and not waste the time of the House. It is not necessary. I would not allow.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)-वह FRESH SUBJECT है।

श्री अध्यक्ष--When there is one adjourment motion which has been allowed by me, it is not necessary to allow another adjournment motion on the same subject.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)-इन्होंने (कुंवर श्री जसवन्तसिंहजी) ने हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैंने माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के संबन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूं कि दोनों अलग अलग विषय हैं।

श्री अध्यक्ष--The sum and substance of both the adjournment motions comes to the same. By an adjournment motion we adjourn the normal business of the House to discuss a particular subject-matter of urgent public importance. Now the subject-matter of both these adjournment motions comes to the same substance. By that we want to adjourn the House for discussion of a matter of urgent public importance. Any situation which might have been arisen to the arrest of certain members of the public or legislators or anybody else or due to any hartal can be discussed when we adjourn our normal business. The sum and substance of both these adjournment motions is the same.

[श्री अध्यक्ष]

Therefore I do not think there is any necessity of giving any ruling on this, but if you want any ruling, my ruling is implied and that is that I over-rule it.

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्रीमन् राजप्रमुख से अनुमति-प्राप्त विधेयक

श्री सचिव, विधान सभा (श्री मनसाराम पुरोहित)—Sir, I lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Assembly during the last session and have been assented to by His Highness the Rajpramukh.

Bills assented to by His Highness the Rajpramukh.

(1) The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Bill, 1953.

(2) The Rajasthan Evacuee Interests (Separation) Supplementaries Bill, 1953.

(3) The Rajasthan Fisheries Bill, 1953.

विधान कार्य

पुरः स्थापित होने वाले विधेयक

श्री अध्यक्ष—Bills to be introduced, Shri Bhogilal Pandya.

राजस्थान सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विधेयक, १९५३

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, देवस्थान विभाग)—Sir, I introduce a Bill to regulate the construction of public religious buildings and to restrict the use of public places for religious purposes.

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Shri Bhola Nath.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—Sir, I introduce a Bill further to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952.

राजस्थान सिचाई तथा जलोत्सारण (ड्रेनेज) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Shri Bhogilal Pandya.

श्री मोतीलाल चंद्रा (सिचाई मंत्री)—Sir, I introduce a Bill to regulate irrigation and drainage in Rajasthan.

राजस्थान मंत्रीगण वेतन (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Shri Jai Narain Vyas.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I introduce a Bill to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1951.

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों को प्रस्तुति

राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनलाल सुखाड़िया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Sir, I present the report of the Select Committee on the Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951.

राजस्थान भूमि विशेष सिंचाई भार विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष —श्री मालसिंह शक्तावत ।

श्री मालसिंह शक्तावत—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of special charges in respect of lands included in irrigation schemes.

राजस्थान विधि निरसन विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—श्री मालसिंह शक्तावत ।

श्री मालसिंह शक्तावत—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to repeal certain Rajasthan laws.

राजस्थान जिला मंडल विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—श्री रामकरण जोशी ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—I present the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the establishment and constitution of District Boards in Rajasthan.

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिये समय में वृद्धि

राजस्थान कृषि भूधारण विधेयक, १९५१

श्री अध्यक्ष--श्री मोहनलाल सुखाडिया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एजेन्डा के मुताबिक इस बिल के एक्सटेन्शन (समय वृद्धि) के बारे में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना था किन्तु इस बिल के एजेण्डा में रखे जाने के बाद प्लानिंग कमीशन के रेफरेन्स से तथा और जो मेटेरियल चेन्जेज हो रहे हैं, इस वजह से मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि इस बिल को विथड्रा करके उसकी जगह दूसरे बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की आज्ञा दी जाय जिससे कि ज्यादा संशोधनों की आवश्यकता न हो, और मैं उसके लिए बिल को विथड्रा (withdraw) करके नये बिल को मूव करने के लिये अपनी तरफ से प्रस्ताव करूंगा ।

(विराम)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--On, a point of order, Sir..........

श्री अध्यक्ष--Let him move the motion.

श्री मोहनलाल सुखाडिया--I beg to move for leave to withdraw the Bill to consolidate, amend unify and declare the law relating to Agricultural Tenancies, Land, Tenures and other matters connected therewith in the State of Rajasthan and permission to move a fresh Bill on the subject.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मुझे सिर्फ आश्चर्य ही नहीं हुआ मगर बड़ा भारी दुःख हुआ कि हमारी विधान सभा में ....

श्री अध्यक्ष--There is no case for sorrow.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह-(भाषण जारी रखते हुए) इस तरह की कार्यवाहियां मंत्रीगण कर रहे हैं । यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं किन्तु दुःख की भी बात है कि कानून, जो कि सिलेक्ट कमेटी के सामने है, जिस पर कि सिलेक्ट कमेटी विचार कर चुकी है और विचार कर रही है, उसको बाइपास (by Pass) करने के लिये इस बिल को विथड्रा (withdraw) कर रहे हैं और जिसमें कि बेशुमार एमेन्डमेंट्स (Amendments) जो दिये गये हैं, उसको इस तरह से हाउस के सामने उड़ा देते हैं । यह बहुत अफसोस की बात है, और हाउस को चाहिये कि इस पर कतई इस तरह की आज्ञा नहीं दे ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति में कोई एमेन्डमेंट्स (Amendments) नहीं आये हैं और बिल के अन्दर जो कई चेन्जेज (Changes) किये गये हैं उसमें बाइपास (by Pass) करने वाली कोई बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)--On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय मैं यह जानकारी चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल को बाइपास (by Pass) कर जो दूसरा बिल रख रहे तो ह उसकी स्वीकृति उन्होंने प्रवर समिति से ली या नहीं ?

Page No.15

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, न्याय विभाग)—Rule 148 is quite clear.

श्री अध्यक्ष—Do not quote the Rule, you lay your contention.

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, न्याय विभाग)—The member-in-charge may, at any stage, move for leave to withdraw the Bill.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी एक रूलिंग हो चुकी है। मुझे याद नहीं और किताब मेरे पास नहीं, वरना मैं वह रूलिंग आपके सामने प्रस्तुत करता। यदि प्रवर समिति में नामन्जूर किये जाने पर, जब कि मंत्री महोदय अनुमति चाहें बिल के प्रस्तुत करने की अवधि बढाने की तो उसमें आपने एक रूलिंग दिया था। आपको मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपके उस रूलिंग के अनुसार यदि प्रवर समिति अवधि बढ़ाने की अनुमति चाहती है तो दी जा सकती है लेकिन जहां पर प्रवर समिति की बिना अनुमति के अवधि चाही जाती है तो यह रूलिंग के विरुद्ध है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूंगा कि इस पर प्रवर समिति ने किसी चीज के लिये मना नहीं किया। लेकिन जो बात हुई थी वह यह है कि यदि लीगल डिफीकल्टीज़ (वैधिक कठिनाइयां) न हों तो इस बिल को ऐसे एमेन्डमेन्ट के साथ नई तरह से मूव (move) कर दिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—अध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सिलेक्ट कमेटी के सामने पुराना बिल विथ्ड्रा (withdraw) करके नया बिल रख दिया गया है और यह चाहा जा रहा है कि इस बिल (नये बिल) को डिस्कस किया जाय। यह कौनसी कार्यवाही थी? इसके लिए कौन सा कानून काम में लाया गया था? अब अपनी गलती को दबाने के लिये हमारे प्रोग्राम में तो और कोई बात है और यहां नई बात की जा रही है। यहां तो (कार्य-क्रम में) सवाल है अवधि बढ़ाये जाने का और अब प्रस्ताव रख दिया गया है कि "इसको विथ्ड्रा करता हूं"। यह १९५२ का बिल है। यह पब्लिक में सर्क्युलेट हो चुका है और इस पर पब्लिक की सम्मति ली जा चुकी है। १९५३ का जो बिल माननीय मंत्री महोदय इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मेटिरियल चेन्जेज़, (Meterial Changes) हैं। तो यह एक विचित्र बात है जो कि शोभा नहीं देती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि प्रवर समिति की चर्चा यहां पर आई है तो माननीय सदस्य को यह ज्ञात होगा कि १९५२ का बिल जो दूसरे एमेन्डमेन्ट के साथ वाला है वह चर्चा के लिए रखा गया था; १९५२ को हटाकर नहीं रखा गया था।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके द्वारा इस प्रकार का रूलिंग दिया गया था, वह अब मुझे याद पड़ता है। जब कि माननीय टीकारामजी पालीवाल (पूर्व मुख्य मंत्री) ने इस सदन के सामने सिक्योरिटी बिल रखा था और उस पर प्रवर समिति की बिना अनुमति के अवधि बढ़ाने की इजाजत चाही थी उस समय यह रूलिंग दिया था कि जब प्रवर समिति के सामने कोई बिल चला गया है और यदि उसकी अवधि और बढ़ानी है तो उसके लिये पहले प्रवर समिति से अनुमति लेनी चाहिये।

Page No.16

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि मैं अवधि नहीं मांगता हूं ।

श्री भैरोंसिंह—यह अवधि का नहीं तो विथ्ड्रा करने का मामला है, जो अवधि बढ़ाने के मामले से भी अधिक बुरा है ।

श्री अध्यक्ष—The question is very simple. The Hon'ble Member instead of seeking extension of the presentation of the report of the Select Committee wants to withdraw the Bill and introduce a new Bill or rather a Bill which has got substantial changes. I am not conversant with or do not quite recollect the actual ruling which the Hon'ble Member referred to. But so far as the ordinary canons of law are concerned this House is Master House and the Select Committee is not more powerful and competent than this House. This House can agree with a Select Committee or not and if an Hon'ble Member seeks the leave of the House for withdrawal of his Bill it is for this House to grant permission for the withdrawal or not. The House may confer with it or might disagree with it. So I do not think there is any constitutional point involved. It is in order and it is for the Members to vote for the withdrawal or against it.

श्री हिम्मतसिंह (झटक)—Of course there is no constitutional point involved but the reason is that the House has been taken unawares at this moment. It is not in the agenda.

श्री अध्यक्ष—Nothing material is being affected. It is only the introduction of a Bill and if the House wants to make any changes in that Bill they can do so subsequently when the Bill comes for consideration clause-by-clause, or at the time of discussing the principles of the Bill. The Members of the House can give full consideration to this.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—I do not know what prevented the Hon'ble Member, in-charge from bringing amendments in the Select Committee itself. But this is not being done and a new Bill is being brought which is not on the agenda. So the House is being taken unawares. We will not allow this. It is our right and we will fight to the last. You have given a ruling that under the Constitutional provisions it can be done. But we have a right to speak on it and I think the House will not grant the leave asked for.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is too sentimental. It is not a point which I am going to decide straightaway or pass a Bill here and now. It is not my intention. What I want to say is that since substantial changes are intended to be made in the Bill and the Hon'ble Member-in-charge feels that by taking

Page No.17

[श्री अध्यक्ष]

the same Bill through the Select Committee there would be many amendments and the time of the Select Committee as well as of the House will be wasted. He wants that instead of making these material and substantial changes in the previous Bill it should be withdrawn and a new Bill should be introduced. That is a petty thing. I do not want to infringe any privileges or rights of the Hon'ble Members. The Members can give their full and maturer consideration to the Bill. It is only a motion for permission to withdraw a Bill and the Members can give any opinion which they like. It is the choice of the Members. The Hon'ble Member-in-charge wants to withdraw the Bill and to introduce a fresh Bill and there is nothing to prevent him from seeking permission. So there is no question of taking away privileges of the House. The Hon'ble Leader of the Opposition should not be too sentimental about these petty matters. He should view things in an ordinary course because there is nothing for which he need be so particular. It is only asking the leave of the House to withdraw and to introduce a new Bill.

श्री जसवन्तसिंह—I am sorry, I have been completely misunderstood. I am not sentimental at all. I am a matter-of-fact man. I only want to say that the manner in which this thing has been brought here is most objectionable and we will not allow it. I am not linking the constitutional issue with it at all. I only object the manner in which this thing has been done.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और माननीय श्री जसवन्तसिंहजी ने जो खास मुद्दा उठाया है वह इस आधार पर उठाया है कि वे पब्लिक के हितों के कस्टोडियन हैं। मैं इसे मना नहीं करूंगा कि वे कस्टोडियन हैं, लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों के वे कस्टोडियन हैं फिर उनको इस अमेन्डमेंट से कोई हानि नहीं होने वाली है। फिर इस बिल पर एमन्डमेन्ट भी लाये जा सकते हैं और इसकी एक-एक धारा पर विचार भी किया जा सकता है। इस पर प्रवर समिति ने अब तक कोई सम्मति नहीं दी है। कंसोलिडेटेड फोर्म में इस बिल पर विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। सदन के सामने तो यह आयगा ही। माननीय सदस्यों के अधिकारों को कम करने का इसमें कोई सवाल नहीं उठता। ज्यादा सुविधा को दृष्टि में रखकर ही इसे पेश किया गया है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—कुछ मैं भी अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जरूर कहिये।

श्री हिम्मतसिंह—जो टिनेन्सी बिल सन् १९५२ में हमारे सामने आया उसके बारे में मैं समझता हूं कि उसे मिनिस्टर इन्चार्ज और उनके सेक्रेट्रियों ने सोच समझकर तैयार किया था। फिर भी

Page No.18

[श्री हिम्मतसिंह (घटरू)]

सिलेक्ट कमेटी के सामने आया और उस पर विचार किया गया। अब इस स्टेज पर ऐसे इम्पोर्टेन्ट बिल को इस तरह से चेन्ज करके फिर से पेश किया जाता है और पुराने बिल को विथ्ड्रा किया जाता है, तो यह ठीक नहीं है। ओरिजिनल बिल १९५२ सही था और समझदारी से पेश किया गया था। अब उसके स्थान पर नया बिल पेश करने से कितना टाइम लगेगा। वर्षों तक इस बारे में कुछ नहीं हो सकेगा। जिस बिल पर पब्लिक के हितों का दारोमदार है, उसके लिये क्यों आप देरी लगाना चाहते हैं? श्री मंत्रीजी इसे विथ्ड्रा करना चाहते हैं पर कानून के अनुसार वे किस तरह कर सकते हैं? प्रोग्राम के मुताबिक आज इस बिल को नहीं लेना चाहिये। अभी सदन के काफी दिन बाकी हैं फिर अभी ही इसे क्यों लेना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसलिये कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किया जाय।

श्री भीमसिंह—मेरा यह निवेदन है कि यह एक बैड प्रिसिडेन्ट कायम करना होगा।

श्री अध्यक्ष—That is not the point under discussion. Instead of seeking extension of the presentation of the report of the Select Committee, he wants permission to withdraw the Bill. I only want to know what is there to deter him, what is there to obstruct him from doing so? Rule 148 is quite clear. If the Hon'ble Member wants to save the time of the House, he can do so. It is always at his option to seek leave to withdraw any Bill at any stage The Hon'ble Members can object to this introducing a new Bill here and now. He can introduce it later. But there ought not be any objection to this.

श्री मथुरादास माथुर—Sir, after you have given your ruling, are we competent to discuss it? I want to know this. Was it your ruling or was it merely an opinion?

श्री अध्यक्ष—The controversy sprang out of this that the Hon'ble Leader of the Opposition is too sentimental and he thought some very major change is going to happen.

श्री जसवन्तसिंह—Certainly not.

श्री अध्यक्ष—Then what is the hitch? It is always his option to seek leave to withdraw a Bill. Then you should not put obstacles to that.

श्री जसवन्तसिंह—Our objection is this. Can any Minister bring in anything which is not on the agenda? The agenda only contains provision for the extension and now he wants to withdraw the Bill. If I understand the two

Page No.19

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

words there is a difference between "withdrawal" and "extension". If the motion was for extension and leave was asked for withdrawal it is quite wrong. As a human being with some common sense I can understand that there is quite a good deal of difference between "extension" and "withdrawal." If that is so, unless we have to accept your word, I think I can say you are in the wrong, Sir and I am prepared to give a challenge over this.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—विरोधी पक्ष के नेता चैलेंज बड़ी बड़ी बातों पर देंगे तो ठीक होगा, ऐसी छोटी बातों पर क्या चैलेंज करते हैं ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—I am sorry you cannot accept it.

श्री अध्यक्ष—I give a discount to the utterings of the Hon'ble Leader of the Opposition and do not want to enter into further more discussion over this. It is for this House to grant leave for the withdrawal or otherwise. So the question is that leave be granted to withdraw the Bill to consolidate, amend, unify and declare the law relating to Agricultural Tenancies, land Tenures and other matters connected there with in the State of Rajasthan.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री हिम्मतसिंह—कितना पैसा खर्च हुआ है ? विदड्रावल एक मामूली बात हुई है, पैसे की कोई बात नहीं है !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I withdraw the Bill.

अनपूरक अनुदानों के हेतु मांगें (अकाल)

श्री अध्यक्ष—Now we come to demands for supplementry grants.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to move that a supplementry sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLVI, Major Head 54-Famine.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री अध्यक्ष—श्री एच.के. व्यास । (अनुपस्थित)

Page No.20

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--He is behind the bars of the Government.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास कट मोशन्स भेजे थे। मैं आशा करता हूं कि वे आपके पास पहुंचे होंगे। मेरे पास सप्लीमेन्ट्री स्टेटमेंट कल ही पहुंचे और इसलिये कट मोशन्स समय पर नहीं भेज सका। मेरा विश्वास है कि दूसरे सदस्यों के पास भी इसकी प्रतिलिपि नहीं पहुंची होगी।

श्री अध्यक्ष--Why do you presume about others ? You perhaps were too busy. We have just received your c t motions at 8-30 today.

श्री भैरूसिंह--मुझे कल शाम को मिले थे और मैंने कल ही भेज दिये थे।

श्री अध्यक्ष--But why have you ante-dated it ? It is dated 1st September.

श्री भैरूसिंह--मैंने कल ही शाम को तैयार करके भेज दिये थे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा--मैंने भी अपने कट मोशन चार दिन पहले जोधपुर से भेजे थे मगर वे भी लिस्ट पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--There is a cut motion by Shri Bhairon Singh and I take it up with the leave of the House. I have just received it after coming here and I allow it just in order to facilitate matters. The cut motion is;

"That the Demand No. XLVI under Head 54-Famine be reduced by Rs. 100/-(to discuss the all round dissatisfaction prevailing in the famine-affected areas.)"

First of all I will rather request the Hon'ble Member to confine himself to the nature of the supplementry demand for which it is being asked.

श्री भैरूसिंह--माननीय अध्यक्ष, एक दफे इसी फेमिन के अर्से के अन्दर बदकिस्मती से मैं बीकानेर के उन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में चला गया जहां अकाल था और वहां पर जाकर लोगों से इस संबंध में पूछताछ की और कई जगह मैंने प्रत्यक्ष जाकर देखा तो वहां के लोगों ने सबसे पहले जोधपुर और बीकानेर के स्वर्गीय महाराजाओं, श्री उम्मेदसिंहजी और श्री गंगासिंह जी की जय जयकार के नारे लगाये और उन्होंने मुझे कहा भी कि जब मैं फेमिन के मामले में राजस्थान विधान सभा में बोलूं तो उन दोनों [illegible] के प्रति सद्भावना प्रगट करूं।

माननीय अध्यक्ष, आज बीकानेर के अकाल ग्रस्त लोग महाराजा गंगासिंहजी और स्वर्गीय महाराजा उम्मेदसिंहजी के दिनों को याद करते हैं। वे लोग यह कहते हैं कि उनके समय में जनता को यह भी अनुभव नहीं हुआ था कि राज्य में किसी प्रकार का अकाल है या नहीं। आज इस प्रजातन्त्र के युग में स्थानीय सरकारों द्वारा उसी प्रकार का इन्तजाम नहीं होना वहां के लोगों को मजबूर होकर उन

[श्री भैरूंसिंह (वि.सं.१६)]

दोनों राजाओं के समय की याद दिलाता है। मुझे जनतन्त्रवाद के सिद्धान्तों के प्रतिकूल कहने का हक नहीं है फिर भी कहना पड़ता है और दोनों मृत आत्माओं को श्रद्धान्जलि अर्पित कर मैं आगे बढ़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बीकानेर में अकाल के समय लोगों को सहायता देने में सरकार की ताकत थी, सरकार ने रुपया खर्च किया लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखाई दिया कि इन रुपयों का खर्च अकाल ग्रस्त लोगों के लिये ही किया जा रहा है। अकाल में रुपये जिस ढंग से खर्च किये गये उस ढंग को यदि माननीय सदस्यगण एक एक जगह जाकर देखें तो उनको अनुभव होगा कि हमारी गरीब जनता को वास्तव में कितना रुपया मिला। तकाबी आदि जो कुछ भी लोगों को दी गई वह उन्हीं लोगों को दी गई या उन्हीं पार्टीज को दी गई, जिन्होंने कांग्रेस का इलेक्शन में साथ दिया था, वे लोग जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मैंने कहां कहां, किन किन लोगों को तकावी आदि दी गई उसकी एक लिस्ट बनाई है, मगर आज जल्दी में यहां आ जाने के कारण वह लिस्ट में अपने साथ नहीं ला सका। यदि माननीय मंत्री उसको देखना चाहें तो उनको आज संध्या को या कल बतला सकता हूं कि एक एक गांव में किन किन आदमियों को कितनी कितनी तकाबी दी गई और जिन लोगों को दी गई वे किस पार्टी के सदस्य हैं। उन लोगों को नहीं दी गई जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन में विरोध किया और साथ नहीं दिया था।

मैं समझता हूं कि मानवता के नाते किसी भी सरकार का इस प्रकार का कार्य कभी शोभनीय नहीं हो सकता है। कोई जनतन्त्रीय कहलाने वाली सरकार इस प्रकार की चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तकाबी के वितरण में पार्टी पोलिटिक्स से काम लिया जाय। तकाबी वितरण की यह आम शिकायत है। आम शिकायत तो जनता कर रही है और खास शिकायत मैं आज विधान सभा में आपके सामने कर रहा हूं। मैं आपको इन शिकायतों के विषय में प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूं।

दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि उन लोगों को जो अकालग्रस्त इलाकों में काम करते हैं उनको समय पर वेतन नहीं मिलता। जितनी भी वहां वर्किंग कमेटीज हैं उनके कार्यकर्ताओं में परस्पर फिर्का परस्ती है। कोई कहता है कि आपको आज पैसा तकसीम करेंगे, कोई कहता है कि कल करेंगे और इसका नतीजा यह होता है कि लोग भूखे रह जाते हैं और राजस्थान सरकार को लानत-मलामत देते हैं।

राजस्थान सरकार के मंत्रियों का अकालग्रस्त इलाकों में दौरा हुआ। मैंने उनको उन क्षेत्रों में देखा तो नहीं किन्तु अखबारों में छपे चित्रों में अवश्य देखा है। चित्र खिचवाने के साथ साथ अगर मजदूरों के साथ फावड़ा लेकर वे काम करते तो उनके सम्मुख एक उदाहरण पेश करते और इससे उनको प्रेरणा मिलती कि अकालग्रस्त इलाके में काम करने में और अन्य चीजों में हाथ बटाना अच्छा है। इस प्रकार की तो कोई चीज नहीं हुई किन्तु अखबारों में उनके अकालग्रस्त इलाकों में दौरे करने के चित्र अवश्य छपे। इससे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। पालियामेन्ट के सदस्यों में गलतफहमी पैदा करने में प्रेस वालों ने भी गलत फहमी पैदा की। मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रेस वालों ने यह जानबूझ कर किया है। सरकार द्वारा असली स्थिति पर पर्दा डालने में प्रेस वालों का भी सहयोग रहा। एक

[श्री भैरूंसिंह (वि. सं. १६)]

मंत्री महोदय अकालग्रस्त इलाके में गए । मैं माफी चाहता हूं कि किसी मंत्री का नाम बताना अच्छा नहीं है और यह सदन की परम्पराओं के भी प्रतिकूल है । एक माननीय मंत्री वहां पहुंचे । गांव वालों ने एक शिकायत की कि चार दिन से वेतन नहीं मिल रहा है, कार्य समिति के मेम्बर अपने घरों पर काम करवाते हैं, उनके निजी काम करवाते हैं, निजी कुएं खुदवाते हैं और उनके निजी कामों के लिए सरकार का ही पैसा दिया जाता है जो कि उनको सरकार द्वारा सरकारी काम कराने के लिए दिया जाता है । उन्होंने कहा कि जिन महानुभावों ने निजी काम करवाये हैं उनका पैसा वे लोग मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में ही उनको दें । उन्होंने एक मिनिस्टर साहब से कहा कि फलां कार्य-समिति के सदस्य के घर के चारों तरफ डोल दिवाई गई है, अतः आप इसमें दखल करियेगा ; तो मंत्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि यह मेरा काम नहीं है, यह तो लोकल ऑफिसर्स के देखने की बात है.....

(विपक्ष की ओर से "शेम-शेम")

यह मामूली चीज नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--अच्छा हो कि आप उस जगह का नाम बता दें और मंत्री महोदय का नाम भी ।

राजा श्री हिम्मतसिंह (डि० नं० ६१)--समझ जाइएगा, इतना ही काफी है ।

श्री भैरूंसिंह (वि० नं० १६)--अध्यक्ष महोदय, अकाल ऐसी चीज है जिसके दूर करने के लिए पार्टी बन्दी से ऊपर उठ कर मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को काम करना चाहिये । अगर हमें नाज पहुंचाना है तो इसमें एक दूसरे को दबाना नहीं है । यदि राजस्थान में इस प्रकार की समस्या आ जाय तो हम राजस्थान की जनता इस कार्य में प्रयत्नशील हैं । इतना ही कह कर मैं सदन से बैठने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--श्री अवनिकुमार ।

(अनुपस्थित)

(एक सदस्य श्री अवनिकुमार को बुलाने लोबी में गए)

Do not call him. I would not allow him. Once a Member is called and he is absent he loses his right.

श्री हिम्मतसिंह (डि० नं० ६१)--He has tabled a cut motion.

श्री अध्यक्ष--Yes.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, राजस्व मंत्रीजी ने अकाल के मुतल्लिक १० लाख रुपयों की ग्रान्ट इस हाउस से चाही है । इसके बारे में बहुत कुछ बहस पिछले सेशन में हो

[श्री जसवन्तसिंह]

चुकी है और इस वक्त परमात्मा की कृपा से अकाल मिट गया है और राजस्थान में, जहां तक मेरा अनुभव है, इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है और अब अकाल की स्थिति नहीं है और अकाल का महत्व इसी लिए इतना नहीं रह जाता, (आवाज "here you are") फिर भी दस लाख रुपये की ग्रान्ट चाही जाती है। अप्रेल के अन्त तक, जब कि हम इस सदन में मिल रहे थे, अकाल का एक भय सा था और उस समय अच्छी तरह से जान भी हम सकते थे कि किस स्थान में क्या स्थिति है। उस वक्त इन रुपयों के विषय में प्रस्ताव न रखने का क्या कारण है? मैं चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्रीजी प्रकाश डालें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमने अखबारों में पढ़ा कि राजस्थान के दो महारथी, माननीय रामकरण जोशी और माननीय कुम्भारामजी राजस्थानियों से पैसा लेने के लिए बंबई, कलकत्ता आदि एक दो स्थानों में गए हैं और इसके साथ ही साथ यह भी पढ़ा कि वे बड़ी भारी रकम लाये हैं। इतने बड़े महारथी जो राजस्थानियों से पैसा लेने के लिए गए वे ५०-६० लाख रुपये अवश्य ही लाए होंगे। अगर नहीं लाये हैं तो राजस्थान के लिए यह डिस्क्रेडिट की बात होगी। वे गए या नहीं या अखबारों में गलत खबर निकाल दी गई, यह मैं नहीं कह सकता। राजस्थानी भाई, जो बाहर मारवाड़ी कहलाते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वे वहां गए हैं। इस बारे में क्या तथ्य है, यह तो वे ही जानें? किन्तु मैं तो यही जानना चाहूंगा कि जैसी की उम्मीद है और खयाल किया जा सकता है कि वे राजस्थानी भाइयों से बड़ी रकम करीब ४०-५० लाख की लाये हैं। तो उस रकम को काम में न लेकर हमारी माली हालत पर क्यों दस लाख रुपयों का और बोझ डाला जा रहा है? माननीय मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करें कि कितने रुपये यह दोनों मंत्री महोदय लाये और इन रुपयों का क्या हुआ?

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस कट मोशन पर खास कहने की जरूरत नहीं थी किन्तु जब श्री भैरूंसिंहजी ने यह कहा कि राजस्थान में ऑल राउन्ड डिस्सेटिस्फक्शन है तो मुझे बोलना पड़ रहा है और वह इसलिये कि मैं इससे इत्तफाक नहीं रखता। अकाल का काम इस वर्ष जो किया गया, आप सब ही अपने दिलों में सोचते होंगे, जितना अच्छा हुआ है उतना कभी नहीं हुआ।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

ऑपोजिशन के नाते कितना ही कुछ कहदें लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को लाभ अवश्य मिला है और वह इतना मिला है कि जितना गत वर्ष में कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। जिस ढंग से कार्य इस वर्ष चला और जितना शान्ति पूर्वक, बगैर किसी पक्षपात के, चला वह पहले कभी नहीं हुआ। उसके दायरे को मैं इसलिये देख सका हूं कि मैं भी एक अकाल ग्रस्त इलाके से आया हूं और उस इलाके को रिप्रेजेन्ट करता हूं। अकाल के मुतल्लिक श्री भैरूंसिंहजी शायद वहां गए और उन्होंने वहां वैसी हालत देखी हो। हो सकता है कि वे बीकानेर में गए हों और उन्होंने वहां वैसी हालत देखी हो।

[श्री खेतसिंह]

मैंने अपने वहां पर एक-दो रोज का नहीं बल्कि महीने भर का दौरा किया है, वहां रहा हूं, और वहां का कार्य अच्छी तरह से देखा है। उसके आधार और अनुभव से कह सकता हूं कि बड़ा सन्तोषजनकरूप से यह कार्य चला और लोगों को राहत मिली और इसकी वजह से लोगों को कहीं भी मालवा या गंगानगर नहीं जाना पड़ा। मवेशी भी जिन्दा रह गये और अब भगवान की कृपा से वर्षा भी बहुत अच्छी हो गई है, जिससे अब किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा मैंने एक बात की कमी देखी है जो अर्ज कर देता हूं। अकाल के दिनों में जो कार्य शुरू किया वह अभी पूरा नहीं हुआ, उसे पूरा किया जाना चाहिये। जैसे कि सड़कें ही ले लीजिये। सड़कें कहीं २ पांच या सात मील बन गई। अब वहां काम बन्द पड़ा है। अगर काम शुरू करके इन सड़कों को पूरा नहीं कराया गया तो इससे जनता में असन्तोष बढ़ेगा। कार्य हुआ तो सही पर अगर उसको पूरा नहीं कराया तो उसकी युटिलिटी क्या होगी? इसलिये मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय ने इन सड़कों को पूरा करवाने के लिये ही रुपया चाहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं।

इसके साथ ही जो तकावी की रकम मिली है उसके बारे में भी कह देना चाहता हूं कि इतनी तकावी पहिले स्टेटों के वक्त में भी नहीं मिली जितनी कि इस वर्ष मिली। ६ लाख रुपया जोधपुर जिले को मिला। यह रुपया बहुत है। यह रुपया कहां से किस तरह मिला, यह मैं नहीं सोचता। जिस तरह से भी, कहीं से भी मिला हो; इसमें सन्देह नहीं। इसलिये मैं कट मोशन का विरोध करता हूं।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

श्री कानसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव हमारे सामने है उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अकाल के बारे में सरकार की जो नीति है वह पैसा देने की रही जरूर है लेकिन अच्छा तो यह होता कि ज्योंही कहीं अकाल पड़ता है त्योंही फौरन ही इन्तजाम कर दिया जाय। लेकिन सरकार को आदत है कि कोई भी काम स्वतः नहीं करती। जब अंकुश लगाया जाता है तब धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है।

गत अधिवेशन में मैंने अकाल के बारे में कुछ प्रश्न किये थे कि बीकानेर जिले के अन्दर अकाल पड़ा हुआ है, वहां अकाल पीड़ितों के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है, उनके लिए कोई दवाई का प्रबन्ध नहीं है, उनके लिए कोई रहने का इन्तजाम नहीं है तथा न खाने का और न पीने का इन्तजाम है। तो हमारी सरकार के मन्त्रीजी, जो इस काम से सम्बन्ध रखते हैं, उन्होंने उन प्रश्नों को इस चतुराई के साथ उड़ा दिया जैसे किसी हवा के झोंके में बादलों का पता नहीं चलता। इसी तरह मेरे उन प्रश्नों का, इस सदन में कोई पता ही नहीं लगा, जैसे कोई मखौल हो, टालमटोल कर दिया।

ईश्वर की दया से ऐसा हुआ कि २० तारीख को मैंने प्रश्न किया और उसके तीन दिन के बाद ही केन्द्रीय संसद में बीकानेर के अकाल के बारे में और वहां के लोगों की खराब हालत के बारे में कि वे [illegible] की रोटियां खाते हैं, दरख्तों की छाल खाते हैं आदि आदि बातों का जिक्र आया। इस पर हमारे

[श्री कानसिंह]

सरकार की कुछ नींद खुली और सरकार ने अपना एक भाषण देने के लिए, इस सदन में अपनी सफाई देने के लिए एक कांग्रेसी सदस्य, श्री मथुरादास माथुर, से अकाल के बारे में दो-तीन सवाल यहां पेश करवाये और इस पर सरकार ने अपनी सफाई दी कि वह तो बिलकुल सन्तोषजनक रूप से काम कर रही है, किसी बात की त्रुटि नहीं है। इस पर फिर भी डिस्कशन के लिए दरख्वास्त दी गई कि इस पर डिस्कशन करना चाहिये। लेकिन देवयोग से ऐसा हुआ कि वह दरख्वास्त किसी कारण से सदन के सामने डिस्कशन के लिए नहीं आ सकी और उस वक्त डिसकशन नहीं हो सका।

इसके बाद सदन की उस दिन की कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद सब सदस्य अपने अपने घर गये और मंत्री महोदय को यह लगा कि वास्तव में अकाल का इंतजाम तो ठीक नहीं है। इस पर आपकी ओर से वाइट वाश (लीपा पोती) शुरू होने लगी और जब मैं बीकानेर में था तो एक दम से यहां से शाम के वक्त कलक्टर साहब आते हैं और मुझे कहते हैं कि सुबह ही सुखाड़िया जी आ रहे हैं और आपको भी बुलाया है, आप उनके साथ अकाल क्षेत्र के दौरे पर चलियेगा। मैंने कहा बिलकुल ठीक है, पर अच्छा तो यह होता कि कम से कम २४घंटे पहले मुझे इत्तिला दी जाती ताकि मैं अगर कहीं बाहर गया हुआ होता तब भी समय पर सूचना पाकर आ जाता। पर भाग्य से मैं उस दिन घर पर ही था और देर से मिलने पर भी इत्तिला मिल अवश्य गई। पहले से सूचना देने में शायद मन्त्री महोदय को यह हुआ हो कि अगर पहले इत्तिला भेज देंगे तो वह इलाके में कहीं काले झंडे न दिखा दें; क्योंकि भय तो ऐसा ही था। पर उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई ऐसा झूठा बखेड़ा करने का आदी नहीं है; तथ्य को तथ्य कहते हैं। झूठ को बढ़ा-चढ़ा कर कोई बात करने के हम आदी नहीं हैं।

सुबह के समय मैं भी उनके साथ दौरे पर गया। मन्त्री महोदय भी आ गय थ। उनके साथ साथ मोटर में बैठकर मैं अकाल के क्षेत्रों में गया। मैं तारीफ करूंगा उनकी कि उन्होंने गांवों में जाकर, गरीबों के घरों में जाकर धान के कोठे बजाबजा कर देखे कि धान का दाना भी है या नहीं। इससे सिद्ध होगया कि कहीं भी एक दाना भी अनाज का किसी के घर में नहीं है क्योंकि वह नहीं मिला और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में यह अकाल ग्रस्त एरिया है। वे आगे गांवों में गये, घरों से लोगों की रोटियां भी मंगाई। वहां भी तूंबे के बीजों की रोटी भी मिली, जो खाकर भी देखी। तब उन्होंने माना कि वाकई यह एरिया अकाल ग्रस्त है। हमने तो पहले ही इस बारे में सदन में प्रश्न किये थे कि हमारा एरिया अकालग्रस्त है, इसे आप मान लीजिये क्योंकि आखिर हम उसी इलाके के प्रतिनिधि हैं और असेम्बली के सदस्य हैं। जो बातें हम आपसे कहेंगे वे तथ्यपूर्ण होंगी, आप उन पर विश्वास कर लिया कीजिये। आखिर अविश्वास का ऐसा कौनसा कारण हो सकता है? तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार की नींद किसी भी काम के करने में बहुत देर से खुलती है और हर काम देरी से किया जाता है। पिछली बार भी जब काम किया गया तो ठीक वक्त पर शुरू नहीं किया गया इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह हमारा तो इलाका ही है और इसके दुःख-दर्द के बारे में जब भी हम वाजिब बात आपसे कहें तो कम से कम उस पर विश्वास तो आप कर ही लिया करें।

[श्री कानसिंह]

इसके अलावा हमारे यहां के भाखरा डम के सिलसिल म भी में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर बहुत से मजदूर रहते हैं। तो अच्छा तो यह होता कि इस कैनाल में भी फेमिन का रुपया लगाते तो वहां भी इस कैनाल की खुदवाई अच्छी हो सकती थी और रुपये का भी सदुपयोग हो सकता था। पर इसके विपरीत हनुमानगढ़ और सूरतगढ के इलाके में लाखों रुपया यों ही अस्थायी कामों पर लगाकर बरबाद कर दिया गया। यही रुपया कैनाल स्थित अकाल ग्रस्त लोगों में लगाया जाता तो लाखों रुपयों का फायदा सरकार को होता।

इसके साथ साथ रुपयों के सदुपयोग के बारे में यह और कहूंगा कि पिछली साल जो अकाल था वह बीकानेर के इलाके के अलावा उदयपुर के इलाके में भी था जिसके बारे में मंत्री महोदय, रेवेन्यु मंत्री महोदय ने यह कहा था कि उदयपुर का यह अकाल अतिवृष्टि से हो गया है। अतिवृष्टि का नाम लेकर जो अकाल दिखाया गया यह ठीक नहीं था और वहां जो रुपया लगाया गया वह ठीक तरीके से लगाया गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हां, अतिवृष्टि से नुकसान जरूर होता है। हो सकता है कि सावन-भादवा के महीनों में अधिक बरसात होने से फसल बरबाद हो जाय लेकिन वह तो खरीफ की फसल बरबाद हो सकती है, रबी की फसल तो अच्छी हुई होगी। ऐसी हालत में उस इलाके में जिसमें दो फसलें होती हैं एक फसल के अतिवृष्टि से, खराब होजाने पर ही अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देना मेरे खयाल से न्यायोचित नहीं है। हां, यह हो सकता है कि मंत्री महोदय उस इलाके से हैं। उनको अगर उस इलाके की चिन्ता ज्यादा थी तो वे इमदाद दे सकते थे, पर अतिवृष्टि से अकाल होना और इस पर मदद देना मेरे कम जंचती है क्योंकि राजस्थान में अगर अतिवृष्टि हो भी तो ऐसी कोई अतिवृष्टि नहीं होती जैसी कोई गंगा-जमुना में बाढ़ आती है। कम से कम इस बार यह अर्ज करूंगा कि पिछले साल जो होगया सो तो होगया पर इस वर्ष तो कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिये कि उदयपुर में कोई अतिवृष्टि फिर इस बार भी हो जाये। यह आप इस साल तो माफ कीजियेगा।

और अकाल सहायता के बारे में जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता कुंवर साहब जसवंतसिंहजी ने कहा था कि---

श्री अध्यक्ष---You will please not repeat what he has said.

श्री कानसिंह (जारी)---एड करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप चार चांद लगावेंगे इसमें ?

श्री कानसिंह (जारी)---श्री कुंभाराम आर्य और श्री रामकरण जोशी कलकत्ता, बम्बई की तरफ गये थे और इसके लिये रुपया भी कलक्ट (इकट्ठा) किया। कम से कम हमारे सामने इस बारे में कोई स्टेटमेन्ट तो देना चाहिये था उनको।

हमारे सामने यह स्थिति आनी चाहिये कि जो रुपया इकट्ठा किया हुआ आया वह किसी सीग में शामिल किया गया है या ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ गया। पब्लिक से जो रुपया इकट्ठा किया गया

[श्री कानसिंह]

यह पब्लिक मनी (सार्वजनिक धन) है इसलिये Public money must come in Public account. जिन मंत्री महोदय का इनसे ताल्लुक है उनको तो इस विषय में खास तौर से ध्यान देना चाहिये। हमारा रुपया क्रिमीनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट न हो, इस बात का अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिये। मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि आयन्दा जब कभी इस प्रकार अकाल का मौका आये तो ठीक समय पर उचित प्रबन्ध किया जाये ताकि बाद में सरकार पर छींटाकशी करने का मौका न आये।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, फेमिन के संबंध में यह जो ग्रान्ट मांगी गयी है उस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां तक मुझे सूचना मिली है उससे यह पता चलता है कि जितनी सहायता की आवश्यकता थी उतनी लोगों को नहीं मिल सकी है और इसके अलावा ठीक समय पर भी सहायता नहीं पहुंची है। इसी समय मेरे एक मित्र ने खुशी की खबर सुनाई कि उनके इलाके में सहायता बहुत अच्छी पहुंची है। लेकिन श्री खेतसिहजी ने जो आंकड़े दिये उनसे यह ज्ञात होता है कि उन आंकड़ों का उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि जोधपुर इलाके के लिये ६ लाख रुपया मिला। अगर इन रुपयों को एक फेमिली के लिये ४०) रुपया मासिक के हिसाब से खर्च किया जाय और करीब आठ महीना अकाल रहा तो एक फेमिली के लिये आठ महिने का ३२०) रुपया हुआ। अगर उसके पास एक पशु है जो रोजाना २॥ मन चारा खाता है तो इस तरह से एक फेमिली के लिए पशु की खुराक सहित ४००) रुपया खर्च आता है। इस तरह से जो ६ लाख रुपया मिला है वह सिर्फ डेढ़ हजार फेमिली के लिये काफी हो सकता है परन्तु जहां ५७॥ हजार व्यक्तियों की सहायता की बात है तो उसके लिये मेरा निवदन है कि जो ६ लाख रुपया है वह वहुत कम है।

श्री खेतसिह--ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैंने तकावी के लिए जो रक़म दी गयी है उसके लिए कहा है कि यह रक़म हमारे इलाके में सेटिस्फेक्टरी मिल गयी है। मैंने यह नहीं कहा कि हमको बहुत ज्यादा रक़म मिल गयी है। बजट को देखते हुए और हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें जो सहायता तकावी के रूप में मिली है वह काफी सन्तोषजनक है।

श्री जवानसिह--What is the point of Order ?

श्री खेतसिह--Not a point of Order but a point of explanation, Sir.

श्री गोपीलाल यादव (भाषण जारी रखते हुये)--इस रक़म से तो डेढ़ हजार व्यक्तियों से ज्यादा को मदद नहीं मिल सकती इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो रुपया दिया गया है वह बहुत कम है मुझे बीकानेर के कुछ सरकारी अफसरों से मिलने का मौका मिला था व मैंने उनसे पूछा कि यह जो बात कही जाती है कि बीकानेर के इलाके के लोग छाल को पीस कर खाते हैं और यह बात कहां तक ठीक है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सच है, बहुत सी जगह अब तक भी छाल को पीस कर लोग खाते हैं। उन्होंने मुझे इस बात को बिल्कुल सही बतलाया। अकाल के समय अनाज की कमी नहीं रहती। आज-कल अनाज की कमी से कहीं अकाल नहीं होते। हमारे अनाज के कोठे अभी तक भरे हुए हैं।

[श्री गोपीलाल यादव]

राजस्थान में ही यह हालत नहीं बल्कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भी अनाज के गोदाम भरे हुए हैं ? हम जो कष्ट पा रहे हैं यह सिर्फ होर्डिंग की वजह से है । अभी श्री रफी अहमद किदवई ने कहा कि हमारे पास इतना गेहूं है कि हम इसका करें क्या । इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां अकाल पड़े वहां यह अनाज प्रोम्प्टली भेजा जाना चाहिये । इसके अलावा दूसरी शिकायत यह जरूर है कि जो इस विषय में भेद-भाव बरता जाता है उसका सरकारी अफसरों से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं । मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी पार्टी के लोकल आदमियों को हिदायत करें कि वे अफसरों पर इस बात का दबाव डालें कि वे अपने अपने इलाके को ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलावें । कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अपने में और दूसरों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं समझते । उनके सामने अपने इलाके का हित ही रहता है इसलिये उनको यह ध्यान में रहता है कि जहां पर यह काम हो जाय तो ठीक होगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह दूसरी जगह का डिस्क्रिमिनेशन (Discrimination) भी नजर आजायगा । अतएव मेरा निवेदन है कि छोटे-छोटे कार्यकर्त्ताओंको हिदायतें दी जायं कि वे खास तौर से वहां के अफसरों से इस तरह का काम करवायें जिससे भेद-भाव नजर नहीं आवे । अतः मेरा निवेदन है कि जो ६ लाख रुपया मांगा गया है उसकी जगह यदि पचास लाख रुपया भी मांगा जाता है तो यह सदन उसके लिये अवश्य स्वीकृति प्रदान करता ।

श्री राज हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, १० लाख रुपये की जो मांग की गई है और उसके खिलाफ जो कट मोशन रखा गया है उसके पक्ष में मैं अर्ज करना चाहता हूं । मैं भी यह विचार रखता हूं और मेरी यह राय है कि यह जो रकम की मांग की गई है वह नावाजिब है। पहली बात तो यह है कि शायद अब इस प्रदेश में अकाल की अवस्था ही नहीं आयगी और सहायता की कोई जरूरत नहीं होगी । मवेशी, सुना जाता है, आखों से तो मैंने देखा नहीं, अब खड़े खड़े ही घास चरते हैं । इतना घास ऊंचा होगया है कि उनको सिर नीचे झुकाने की जरूरत नहीं । बाजरे की फसल ऐसी देखने में आई है कि इस साल लोगों का अनुमान है कि अगर यह फसल कायम रही तो इससे जो अनाज होगा वह दस साल तक नहीं बीतेगा । इन दो कारणों के अलावा एक कारण और भी है कि इन्द्र देवता के घर में भी न मालूम अब क्यों डेमोक्रेसी आ गई है कि कहां का पानी कहां आकर बरसा ।

श्री सुखाडिया—ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देदूं कि यह रकम खर्च हो चुकी है और उसके लिए सप्लीमेन्टरी डिमान्ड है ।

श्री राज हिम्मतसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आप यह खर्च कर चुके तो यह बड़ी खुशी की बात है । मैं अर्ज करूंगा कि यह मान लिया जावे कि यह रकम आप खर्च कर चुके हैं, बउम्मीद मन्जूरी के, जैसा कि कहा जाता है शायद यह भी अधिकार होगा कि बउम्मीद मन्जूरी आप खर्च भी कर दें और बाद में मन्जूरी लेलें । मैं तो यह समझता था कि मिनिस्टर महोदय का उद्योग बाहर से पैसा लाने में सक्सेसफुल हुआ होगा । और कुछ सिनेमा स्टार्स (Cinema Stars) को यहां बुलाकर उससे कुछ चन्दे

Page No.29

[श्री हिम्मतसिंह अटा]

की पूर्ति हुई होगी। मिनिस्टर्स महोदय तो पैसा नहीं जुटा सके इसलिये उन्हें सिनेमा स्टार्स को इसके लिए बुलाना पड़ा और उनकी सहायता से चन्दे की रकम पूरी कर दी गई होगी। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि क्या जरूरत है कि १० लाख रुपये की मन्जूरी दी जाय। इसके अलावा मेरे कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि बीकानेर जिले में जो बदइन्तजामी हुई, जिसका प्रमाण उन्होंने दिया और वे खुद वहां गये। मैं महसूस करता हूं और जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सही हो सकता है कि हम इस स्थिति में रकम की स्वीकृति दें।

मेरे भी देखने में आया है और सब कोई देखते हैं कि जितने भी मिनिस्टर लोग दौरे पर पधारते हैं तो होता यह है कि वहां के अफसर लोग एक तरफ खड़े रहते हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। मिनिस्टर लोग जाते हैं तो अपनी पार्टीवालों को साथ में लेते हैं और उन्हीं को साथ में लेकर तमाम जगह घूम आते हैं। ये वही चीज देखते हैं जो इनको वे खासतौर से दिखाते हैं। वे इस बात के जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि कहां गड़बड़ है ?.........

श्री चम्पनमल बैद—आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, श्री कानसिंह कौनसी पार्टी के हैं ?

श्री राज हिम्मतसिंह—कानसिंहजी के लिए......

श्री अध्यक्ष—Do'nt reply to interruptions.

श्री राज हिम्मतसिंह—श्री कानसिंहजी ने बतलाया कि शिकायत-निवारण करने के लिए उन्हें जाना पड़ा और उन्होंने वहां पर जो जो बातें कहीं वे सही साबित हुई, इसलिए कानसिंहजी का जाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। ऐसा नहीं मानता हूं कि कानसिंहजी के जाने से कोई नतीजा नहीं निकला है, खैर।

तो इस तरह के दौरे हैं और इस तरह का रियासत में मिनिस्टर साहब का इन्तजाम है जिससे अपने ही आदमियों के कह देने से सब इन्तजाम हो जाय। तो ऐसा इन्तजाम जो कि भैरूसिंहजी ने बतलाया है मैं मानने को तैयार हूं कि वाकई बीकानेर में यह हालत होगी।

हमारे पार्टी के एक मेम्बर साहब ने यह कहा कि जोधपुर में रुपये बरस गये हैं, इधर (विपक्षी-दल) की बेन्चेज की तरफ से सरकार को यह कहा है कि रकम ६ लाख वहां बरस गई है। मुमकिन है कि वर्षा हो गई होगी। इसका विशेष कारण हो सकता है। वहां बरसने के भी विशेष कारण हैं और जो सभी जानते हैं कि चिलम भरने की आवाज यहां पहले सुनी गई है।

आपने खुद ने, गोपीलालजी यादव से स्वयं भी इस बात को कबूल कर लिया है कि जितनी मदद पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची। आपका ही एक स्टेटमेंट दूसरे से कन्ट्राडिक्ट (विरोध) करता है। तो मानना पड़ेगा कि फेमीन (Famine) के इन्तजाम में जो १० लाख रुपये आप खर्च कर चुके हैं बगैर इस हाउस की मन्जूरी के, वह बेजा है। मन्जूरी तो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि खर्च तो आप कर चुके हैं; तो अब इसमें क्या मन्जूरी लेना है ?

श्री हरिदेव जोशी--अध्यक्ष महोदय, हमारे अकाल के सिलसिले में इस सदन के दोनों तरफ के सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। जहां तक अकाल का सवाल है मैं यह समझता हूं कि वह खत्म हो चुका है और काफी अच्छी बारिश हो चुकी है। जहां तक सरकार की सफलताओं और असफलताओं अथवा अकाल के सिलसिले में किये गये कामों का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें उसे वास्तविकता की निगाह से देखना चाहिये, न कि इस दृष्टि से कि चूंकि कुछ सदस्य विरोधी दल के हैं इसलिये वे सरकार की हर चीज को विरोधी की निगाह से देखें। मैं इस सिलसिले में विरोधी दल के माननीय नेता की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीज को सामने रखा। इसमें कोई शक नहीं कि कोई सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि जितनी भी मांगें हैं अथवा जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें सोलह आनों पूरा किया जा सकता है। कई बार कई कामों में कई गल्तियां होती हैं, और हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि जिस काम को कुछ समय पहले शुरू किया जाना चाहिये था वह बहुत समय तक, वक्त पर शुरू नहीं किया जा सका। इसके माने यह नहीं हैं कि उनकी नियत के अन्दर कोई खराबी थी अथवा उस काम को नहीं करने की इच्छा थी। जहां तक मेरे मित्र, जो कि दांता रामगढ़ से आये हुए हैं, उनके कहने का तात्पर्य था, मैं समझता हूं कि हमने उनके न केवल इस आज के भाषण को सुना है बल्कि आज से पहले भी कई भाषणों को सुना है और मैं समझता हूं कि जब कभी भी उनके तर्ज और उनके तरीके को समझा है वे हमेशा प्रहारात्मक, आक्रमणात्मक ढंग से चीज को सामने रखते हैं और मुझे इस बारे में खेद है। मैं उनको इस बात के लिये आमन्त्रित करूंगा कि वे अपने क्षेत्र के बारे में और राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों के बारे में कुछ रोशनी डालते तो ज्यादा अच्छा होता। वे कुछ काल्पनिक चित्रों को सामने रखना चाहते हैं। मैं उन्हें आमन्त्रित करूंगा जोधपुर के उन स्थानों में जाने के लिये जहां कि आदमी कुछ दिन पहले दाने २ को तरसते सुने गये थे। वे उदयपुर के उन क्षेत्रों का दौरा करें जहां कि आदमियों को पहिनने के लिये कपड़ा नहीं मिलता है, जहां खाने के लिये अन्न वे नहीं खरीद सकते हैं, जहां कि माली हालत बिगड़ी हुई है। तो अच्छा रहता। इस बात को मैं जानता हूं क्योंकि राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में पिछले दिनों में पूरे बीकानेर डिवीजन में घूमा हूं, बाड़मेर और सिरोही को छोड़कर पूरे जोधपुर डिवीजन के अन्दर में गया हूं, उदयपुर डिवीजन के अन्दर गया हूं, और मैं यह समझता हूं कि पिछले किन्हीं वर्षों की अपेक्षा सरकार ने अकाल के सिलसिले में जो काम किया है उसकी काफी तारीफ हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दिनों शुरू २ में अकाल के सिलसिले में अखबारों के अन्दर काफी एक दूसरे को काटती हुई कई खबरें निकलीं; मगर साथ ही साथ वे खबरें बहुत ही भ्रामक थीं। उनके लिये चाहे कोई जिम्मेदार हों, मगर वह तरीका उचित नहीं था, जो कि अकाल को राजनैतिक दृष्टिकोण से अपने काम में लेना चाहते थे। यह सबसे अधिक दुष्ट वृत्ति है कि हम अकाल जैसी चीज को भी, जहां कि मानवता की रक्षा का सवाल है राजनैतिक दृष्टिकोणों से देखते हैं और उसको अपने उपयोग में लाना चाहते हैं, अपनी पार्टी के उपयोग में लाना चाहते हैं, अपनी ताकत के उपयोग में लाना चाहते हैं। इससे अधिक बहुत बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन मित्रों को दावत दूंगा कि राजस्थान के इतने बड़े हिस्सों में जो कुछ राजस्थान में अकाल के सिलसिले में इन दिनों में हुआ है उसको देखें, केवल इस निगाह से नहीं कि विरोध करना है, बल्कि इस निगाह से, इस दृष्टिकोण से देखें कि क्या कुछ किया गया है अथवा नहीं किया गया है।

[श्री हरिदेव जोशी]

जहां तक श्री कानसिंहजी का सवाल है अथवा उनके दूसरे मित्रों का सवाल है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कुछ चार्जेज (आरोप) लगाये हैं, कांग्रेस के कुछ मेम्बर्स पर भी चार्जेज (आरोप) लगाये हैं; मैं यह कहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस ही केवल एक पार्टी है जिसने अकाल में अपनी संपूर्ण ताकत को लगा दिया है, अपने आप को झोंक दिया है। उसने अपने सदस्यों से कहा है कि वह अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करें। वे मित्र भी आकर काम करते और फिर उसके बाद में शिकायत करते तो ठीक होता। जहां तक मिनिस्टर्स का सवाल है, मिनिस्टरों ने उन सब लोगों को मदद देने के लिये कहा है। कांग्रेस ने उनसे कहा है कि वे सब लोगों की मदद करें। जहां काम करने का मौका आता है हमारे मित्र पीछे हटते हैं। विरोधी दल के मेम्बर्स में से भी कुछ आये हैं; सदन के जो सदस्य नहीं हैं वे लोग भी आये हैं, मगर तादाद उनकी बहुत कम है। कांग्रेस केवल यह नहीं समझती है कि कांग्रेस की हुकूमत है बल्कि यह कि कांग्रस रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर सामने आती है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी समझती है कि वह और उसके सदस्य जगह बजगह जाकर आम लोगों की मदद के लिये काम करेंगे। अगर दूसरे लोग नहीं आते हैं और कांग्रेसमैन आते हैं तो कांग्रेसमैन अपने द्रष्टिकोण से काम करेगा, अपने उसूलों से काम करेगा। कांग्रेसमैन जिस चीज को उचित समझता है उस द्रष्टिकोण से काम करेगा। वे लोग मदद नहीं करते हैं और उसके बारे में शिकायत रखते हैं। वे मौके पर मदद नहीं करना चाहते हैं, वे सज्जन नहीं चाहते हैं कि वे कोई चीज सामने रखें लेकिन उसके बाद में केवल बुराई करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि अकाल के सिलसिले में कोई बुराई नहीं हुई, अकाल के सिलसिले में कोई खराबियां नहीं रही होंगी। इतने बड़े काम में बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन वे सारे कामों को केवल आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और स्थिति की तारीफ नहीं करते हैं, वे समालोचना नहीं करते हैं। यह चीज अच्छे से अच्छे रूप में सामने रखी गयी होती तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता। मेरा यही निवेदन है।

श्री हंसराज आर्य--अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने बीकानेर के अकाल को लेते हुए आलोचना की है। बीकानेर के अकाल के बारे में न केवल इस हाउस में ही बल्कि पार्लियामैन्ट में भी बहुत कुछ कहा गया और यहां तक लोगों ने कहा था कि बीकानेर के क्षेत्र में वहां के किसान पेड़ों की छाल और फूस की रोटियां खा रहे हैं और कुछ रोटियें पार्लियामैन्ट के कुछ माननीय सदस्यों के पास तक पहुंचाई गई। हमें भी यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम जो बीकानेर में जाये-जन्मे हैं, बीकानेर में पले हैं, बड़े हुए हैं और रहते हैं तो फिर हमारी आंखों से ओझल ऐसी कौनसी जगह है जहां पर पेड़ की छाल की रोटियां बनाकर खाई जाती हैं। हमने उसकी छानबीन करने और तह तक पहुंचने की कोशिश की। माननीय सुखाड़िया जी भी इस बात को गवारा नहीं कर सके। खुशी की बात है कि जांच करते करते हम उसकी तह तक पहुंच गये।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि बीकानेर का अकाल बहुत भयंकर अकाल था। इसका असर केवल पशुओं पर ही नहीं बल्कि मनुष्यों पर भी बहुत बुरा पड़ा। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कई सालों तक यह अकाल पड़ता गया। पहले अकाल में तो किसानों ने कुछ विशेष परवाह नहीं की परन्तु जब दूसरा भयंकर अकाल आया तब किसानों ने सरकार के सामने हाथ पसारा

[श्री हंसराज पार्य]

और सरकार ने भी जितना उससे हो सका प्राण-पण से उनका हाथ बटाया और इसमें विशेष बात यह थी कि जिन दो सरकारी अधिकारियों के हाथ में अकाल-सहायता का काम रहा वे वास्तव में योग्य, निपुण और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने कार्य-कुशलता और दया के साथ जनता को राहत पहुंचाने में कुछ भी न उठा रखा। मेहता भगवतसिंहजी ने गांव गांव में जाकर जिस तरह से लोगों को सहायता पहुंचाई उसके कारण आज उन गांवों का एक एक किसान सरकार का आभारी है। यह बात मेल नहीं खाती कि कोई महानुभाव एक बार उधर चले गये तो कहने लगे कि अकाल से लोग भूखों मर रहे हैं, घास और छाल खा रहे हैं; जब कि हमने वहां रहते रहते जिन्दगी गुजार दी है, उनसे यह बात छिपी रहे; यह एक मानने काबिल बात नहीं है।

बीकानेर का अकाल इतना भयंकर था कि हम खुद उससे हिल गये थे। न केवल मवशी बल्कि मनुष्यों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। लकिन सरकार ने जिस तत्परता और बुद्धिमानी से अकाल पीड़ितों की सहायता की वह बीकानेर के इतिहास में जो सन् १५४५ से मिलता है, आज तक नहीं हुई। (हिअर-हिअर) सरकार ने अकाल का कार्य इस तरह से किया कि आज तक बीकानेर में अकाल के लिये इस तरह का कार्य पहले नहीं किया गया था। बीकानेर में यदि कोई भयंकर अकाल था तो संवत् १९९६ में पड़ा था। उस समय भी सरकार के कर्मचारियों ने कुछ सहायता का काम किया था। लेकिन वह सहायता इस सहायता के मुकाबले में नहीं के बराबर थी। आज वहां के किसान सरकार को बधाई दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने भी बीकानेर के अकाल क्षेत्रों का दौरा किया था और सरकारी सहायता और व्यवस्था देखकर आपने राजगढ़ के आखिरी मुकाम पर यह फरमाया था कि यदि आयन्दा कभी ऐसा अकाल पड़ा, ईश्वर न करे फिर ऐसा अकाल पड़े, और सरकार की तरफ से आज के जैसा इन्तजाम नहीं किया गया, तो लोग कोसेंगे। यदि सरकारी सहायता नहीं पहुंचती तो न केवल मवेशी बल्कि इन्सान तक मर जाते। सरकार की ओर से दिल खोलकर जो पैसा सहायता के लिये दिया जाता था वह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के, निष्पक्षता के साथ पैसा वितरण किया जाता था और ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रत्येक कर्मचारी जिस लगन के साथ सहायता के काम में लगा हुआ था उसके लिये वहां की जनता उनकी आभारी है। मैं विशेष नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सड़कों पर जो काम हो रहा है वहां काम करने वाले हजारों आदमी केम्पों में रहते थे। गर्भवती स्त्रियों को, जिनके दो माह बाद बच्चा होने वाला था, उन्हें केम्पों में रहते हुए भी बिना काम के सहायता मिलती थी। बच्चों और बूढ़ों को भत्ता मिलता था। जो कोई बीमार हो जाता था उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया जाता था और डाक्टर केम्पों का मुआयना किया करते थे और दवाइयों की व्यवस्था की जाती थी। सब तरह से इतनी सुन्दर व्यवस्था थी कि देहली के रहने वाले या राजस्थान के रहने वाले जो कोई वहां दौरे पर आये, सबने उस सुन्दर व्यवस्था की सराहना ही की है। बीकानेर के अकाल को लेकर जो आपत्ति उठाई जा रही है वह व्यर्थ की आपत्ति है। यह कहना कि जरूरत के मुताबिक पूरा सामान वहां पर नहीं पहुंचाया गया, समय पर नहीं पहुंचाया गया और वितरण बराबर नहीं हुआ, एक विचित्र बात है। इसकी गहराई तक पहुंचना जरूरी है।

Page No.33

[श्री हंसराज आर्य]

छान और घास की रोटियों के बारे में जांच करते हुए जब हम उसकी गहराई तक पहुंचे तो पता चला कि वे रोटियां गांवों में नहीं बल्कि बीकानेर में तैयार कराई गई थीं और केवल एक-दो ही नहीं बल्कि ५००-५५० रोटियां तैयार कराई गई थीं। हमने पचासों गांवों में ये रोटियां देखीं । वे एक ही साइज की थीं, एक ही तवे पर बनी हुई थीं और एक शक्ल और आकार की थीं। पता लगाते लगाते हम एक गांव में गये । माननीय सुखाड़ियाजी के सामने भी यह मामला आया। उन्होंने कहा कि आखिर बात क्या है। एक आदमी के पास इस प्रकार की रोटी मिली। उसकी जांच के लिये उसके मकान में गये। घर में तलाशी ली कि यह रोटी कहां से आई। मैंने उसको चक्की का पाट उठाकर तलाशी ली तो वहां बाजरी मिली, उसकी हांडी में बाजरी मिली, उसकी छाक में बाजरी मिली। तब उससे पूछा गया कि यह रोटी तुम्हारे पास कहां से आई? तब उसने बताया कि फलां सेठजी बीकानेर से लाये थे जो सबको तकसीम कर गये और कह गये कि अब कोई डिवीजन के कमिश्नर, फेमिन कमिश्नर या मिनिस्टर साहब आवें तो उन्हें यह रोटियां बताना और कहना कि हम यह रोटियें खा रहे हैं (शेम, शेम)। आखिर उक्त सेठजी को बुलाया गया और उन्होंने तसलीम किया कि हमने यह रोटियां बांटी थीं। इस तरह से रोटियें वितरण करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और यही रोटियें पार्लियामेन्ट तक पहुंचाई गयीं। जब सुखाड़ियाजी को इस बारे में मालूम हुआ तब वे हिम्मत करके इसकी छान-बीन करने निकले। उस समय भयंकर गरमी पड़ रही थी, लू बड़े जोरों से चल रही थी। डाक्टरों ने यह राय दी थी कि आपको ऐसी गरमी में नहीं जाना चाहिये पर उन्होंने एक की भी नहीं मानी और इस राज की छानबीन करने निकल पड़े। मैं समझता हूं कि ये ही हिम्मत वाले थे जिन्होंने इसकी छानबीन करने का पक्का इरादा कर लिया था। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं इसकी छानबीन करके रहूंगा और उन्होंने ११०० मील का दौरा उस भयंकर गरमी में किया और वास्तविक स्थिति को समझा।

बीकानेर डिवीजन के कमिश्नर और अकाल कमिश्नर एक बार कमजोर माने जाने वाले गांव में हरिजनों के मकानों पर गये। रात के १२ से ४ बजे तक उनके घरों की तलाशी ली गई। उनकी चक्की हंडिया, छाक आदि देखा गया; पर इस तरह की रोटियां कहीं नहीं मिलीं। बीकानेर डिवीजन की तहसीलों में कई गांवों की तलाशी ली गई पर इस प्रकार की रोटियें खाना कहीं नहीं पाया गया। वास्तव में कुछ हुल्लड़बाज लोगों ने पार्लियामेन्ट सदस्यों तक यह रोटियें पहुंचाईं और हमारी धारा-सभा में भी बहुत कुछ कहा गया, जिसका कोई आधार ही नहीं है। वहां के किसानों का यह कहना है कि यदि सरकार की सहायता न मिलती तो न मालूम हमारा क्या हाल होता (हिअर, हिअर)। जिस तरह की कार्यवाहियें और षड़यंत्र बीकानेर में चल रहे हैं, उन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूं। जांच करने से पता चला कि कुछ महानुभाव नारंगदेसर नामक गांव में गये। उन्होंने यह कहा कि यदि तुम मघी नामक मेघवाली को भूख से मरा बता दो तो १ लाख रूपया लगाकर तुम्हारे गांव में कुए खुदवा देंगे। लोक में आकर ऐसा कह दिया गया, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। मघी भूख से नहीं मरी। वह कई दिनों से बीमार थी। वह लावारिस थी। उसकी लड़की वहां आई और उसने मां को अपने साथ चलने को कहा, पर वह गई नहीं। उसके दूसरे भी रिश्तेदार थे। वह बीमारी के कारण मर गई। उसके मरने के बाद उसके पास ३५), ४०) रूपये निकले और मरने के उपरान्त १५-२० आदमियों ने उसके यहां भोज

[श्री हंसराज आर्य]

किया। वह एक राजनैतिक षड्यंत्र था। बाकानेर की अकाल की स्थिति को राजनैतिक चालों का अखाड़ा बनाया गया। असलियत के आधार पर कोई बात नहीं कही गई। हमने गांवों में घूमकर असलियत का पता लगाया है। सरकार ने अकाल पीड़ितों की जितनी सहायता हो सकती थी की और पूर्ण रूपेण की। सुन्दर व्यवस्था के लिये में सरकारी कर्मचारियों को व सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री संतोषसिंह--माननीय अध्यक्षजी, जो १० लाख की रकम........

श्री अध्यक्ष--Your case looks somewhat changed.

श्री संतोषसिंह--But I am not changed.

एक सदस्य--He does not come from famine stricken areas.

श्री संतोषसिंह--यह जो दस लाख की रकम फेमिन में खर्च कर दी है वह किस तरह और कैसे कर दी यदि इसका ब्यौरा आप देखें तो आपको मालूम होगा कि यह फेमिन डिपार्टमैन्ट फेमिन के लिये नहीं है बल्कि हमारे कांग्रेस सदस्यों की भलाई के लिये एक गौशाला है। जिस तरह से गौशाला के अन्दर पैसे जाते हैं उसी तरह हमारे फेमीन के पैसे निरर्थक, वगैर किसी जरूरत के खर्च किये गये हैं। बीकानेर की बात तो में नहीं कहूंगा लेकिन बीकानेर डिवीजन का हाल मुझे मालूम है। वहां पर जिस जगह फेमीन था वहां कुछ खर्च नहीं किया गया और जहां नहीं था वहां खर्च किया गया। यदि आप इसकी डिटेल्स में जायेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। मेरे क्षेत्र बिलाडे में ५, ७ गांवों में फेमिन था जो जोधपुर नोर्थ की तहसील से लगते हुए हैं। जब जोधपुर नोर्थ की तहसील को फेमिन एरिया मानते हैं और एक लाइन खींचते हैं तो लाइन के एक फुट उधर की जमीन को फेमिन में मानते हैं और एक फुट इधर की जमीन को फेमिन एरिया नहीं मानते, यह कैसी बात है ? मेंने माननीय मंत्रीजी से दो बार, जब वे दौरे पर पधारे थे, यह अर्ज किया था कि चार-पांच गांव जो जोधपुर नोर्थ से लगते हुए हैं उन्हें भी फमिन एरिया में ले लिया जाय और फेमिन एरिया की तरह इसमें भी व्यवस्था की जाय। माननीय मंत्रीजी ने कमिश्नर और कलेक्टर को आदेश दिया था कि वे इसकी जांच करें, पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

क्या सरकार नोर्थ जोधपुर को फेमिन इफक्टेड एरिया मानती है ? वहां भी बराबर दुष्काल है। जब कलेक्टर के पास गये तो जवाब मिला कि जब तक हमारे यहां फेमिन आफिसरों के पास इत्तला नहीं आये तब तक उसको फेमिन इफेक्टेड एरिया डिक्लेअर नहीं किया जा सकता। जब दूसरी और तीसरी दफे माननीय मंत्री आए तो देवातडा से पीपाड सिटी तक सड़क के ६ मील के टुकड़े को जो जोधपुर नोर्थ में है इस फेमिन में बनवाने के लिये प्रार्थना की गई, तो उन्होंने बहुत महरबानी करके उसकी मंजूरी दे दी। इसमें बिलाड़ा का १।। फर्लांग का टुकड़ा भी आ जाता है। इसलिये यह कह दिया जाता है कि बिलाड़ा में भी फेमीन में काम हुआ। मगर दरअसल कोई काम हुआ नहीं। १।। फर्लांग का टुकड़ा जो देवातडा से पीपाड सिटी तक बना उसमें आ जाने से यह कहा जाता है।

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

आप लोगों ने शायद अखबारों में नहीं पढ़ा होगा और किसी ने पढ़ा होगा तो उसको मालम होगा कि जब हमने जोधपुर में माननीय मंत्री से पूछा कि जोधपुर सिटी फेमीन में है या नहीं तो आपने यह कहा कि क्या यह जोधपुर भी फेमीन में हो सकता है ? उसके बाद मैंने कहा कि क्या बिलाड़ा फमीन में है तब उन्होंने कहा कि इसके लिये आप कोई बात करें ही नहीं। उनके इतना सा कहने से हमारी सब बातें खत्म हो गई। मगर आपके जोधपुर से जाने के बाद हमें मालूम हुआ कि जोधपुर शहर में ५-६ सड़कों के जगह जगह केम्प लगे हुए हैं। एक सड़क यहां और दूसरी सड़क वहां और वह भी किस जगह ? वह नागोरी दरवाजे से आगे को जोधपुर के हार्ट में है, दूसरी सिवान्ची दरवाजे से और कहीं और इसी तरह से ऐसी आठ जगह सड़कें बनाई जाने लगीं, जहां फेमीन नहीं था और जिस जगह फेमीन था उसके लिये बराबर रिक्वेस्ट्स (प्रार्थनायें) की गई, किन्तु नहीं खोली गई।

मैंने पहले फमीन के बारे में कहा था कि बिलाड़ा में अकाल पड़ गया है। मगर यह कहा गया कि बहुत वर्षा हुई है, कोई अकाल नहीं है। मैंने यह कहा था कि अकाल का कारण टिड्डी है. तो कहा गया कि फसल बहुत अच्छी है। मगर टिड्डी के कारण अकाल हुआ। इस साल भी बिलाड़ा में वर्षा बहुत अच्छी हुई है मगर टिड्डी इतनी पैदा हो गई है कि उसको रोकने वाला नहीं। केन्द्र का टिड्डी मारने का महकमा है वह तो शेरगढ़, फलोदी आदि इलाकों में ही अपना काम करता है और इस एरिया में केन्द्र का विभाग काम नहीं करता और राजस्थान का टिड्डी मारने का विभाग है वह इस काम के लिये काफी नहीं है। टिड्डी अनाप शनाप बढ़ गई हैं और उनसे खेतों के खेत बरबाद हो रहे हैं। फिर भी सरकार की तरफ से सफाई और लचक से यही बताया जावेगा कि वहां यह हुआ और हमारी कांग्रेस ऐसा करती है, वैसा करती है। जो कुछ बरबाद करते हैं वे तो हम ही करते ह।

(समय-समाप्त सूचक घंटी)

इन सब बातों को देखते हुए में यह अर्ज करूगा कि जो १० लाख रूपया खर्च किया गया है वह तो हजम। इसके लिये मैं इसके पक्ष में हूं कि यह ग्रान्ट मंजूर नहीं होनी चाहिये।

डा० श्री मंगलसिंह (६४)—अध्यक्ष महोदय, अकाल पीड़ित स्थानों को देखने के लिये मैं भी एक बार गया था और मैंने भी दृश्य देखे। मैं स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार का दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक मौका था जब बिहार में भूकम्प हुआ था और श्री मालवीयजी महाराज ने मुझे उसको देखने के लिये और मेडिकल रिलीफ आर्गेनाइज करने के लिये वहां भेजा था। वहां पर यही दृश्य नजर आया था कि बहुत से लोग जिनके पास पैसा, भोजन और वस्त्र नहीं, जिनके पास मजदूरी नहीं, कहीं भी उनको काम या दाम नहीं मिलते थे। मैं दो-तीन स्थानों पर गया। वे स्थान कुछ बीकानेर और जोधपुर के हिस्से में पड़ते हैं। एक स्थान पर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मीलों तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देता था जिसकी छाया में कोई बैठ सके।

कु० श्री जसवंतसिंह—अब आपको एक भी पेड़ नजर नहीं आयेगा।

डा० श्री मंगलसिंह—यदि आपका यही रुख रहा तो जरूर ऐसा ही हो सकता है।

कु० श्री जसवंतसिंह--अगर सरकार की यही नीति रही।

डा० श्री मंगलसिंह--यदि आप और कुछ कहेंगे तो और सुनेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं कैम्प में गया था उस समय उस कैम्प में लगभग तीन हजार आदमी काम कर रहे थे। उसके आगे जो कैम्प था उसमें भी २॥ हजार आदमी काम कर रहे थे। वहां शिकायतें हुई और मैं अपने मित्रों से सहमत हूं कि जितना खर्चा अकाल पीड़ितों पर सरकार को करना चाहिये था, उसके लिये रुपये में दो आना भी खर्चा नहीं हुआ। इसके लिये बहुत धन की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जितनी सामर्थ्य गवर्नमेंन्ट में थी, जितना वह खर्च कर सकती थी, जितनी खबर उनके पास आई थी उसी के अनुसार रुपया मंजूर किया गया था और खर्च किया गया। मैंने इन लोगों से अकेले में भी बात की और उनसे पूछा कि उनकी क्या क्या शिकायतें हैं और क्या क्या जरूरतें हैं। मेरा उनसे जानकारी हासिल करने का यह ध्येय था कि राजस्थान के किस हिस्से में क्या हालत है उसको जान सकूं और सच्ची शिकायतें मालूम करूं।

मैं वहां मजदूरों में गया। मैंने मजदूरों से पूछा कि क्या मजदूरी मिलती है, क्या खाने को मिलता है, कैसा आटा मिलता है और वह क्या भाव मिलता है एवं उनकी क्या क्या शिकायतें हैं? एक शिकायत तो यह थी कि हमको दस दिन से मजदूरी नहीं मिली है और मजदूरी नहीं मिलने की वजह से हमको तकलीफ है। मैंने वहां पर कुछ कर्मचारियों से, जो वहां प्रबन्ध कर रहे थे, यह बात पूछी। उन्होंने भी अपनी कठिनाइयां बतलाई। उन्होंने कहा कि दूसरे स्थानों से मंजूरी आती है और मंजूरी आते ही हम वैसा प्रबन्ध कर लेते हैं। लेकिन उनके लिये (मजदूरों के लिये) यह प्रबन्ध कर रखा है कि तनख्वाह की मंजूरी की इन्तजार की जरूरत नहीं। यदि मजदूरों का मेट यह लिख देता है कि अमुक व्यक्ति चार-छः दिन से काम कर रहा है तो उसको उसके अनुसार राशन आदि वहीं खुली दुकान से मिल जाता है। वहां राशन की अथवा अन्य किसी चीज की तकलीफ नहीं थी। यह बात कही जा सकती है कि १०-१५ दिन बाद वेतन मिलता, वैसा न होने से किसी बात की तकलीफ रही हो, यह वहां के प्रबन्ध से नहीं मालूम होता था। वहां का प्रबन्ध उन परिस्थितियों को देखते हुए मेरे खयाल से बहुत अच्छा था।

दूसरी बात यह थी कि किसी घर में चार बच्चे हैं और काम पर नहीं लिया जाता है उनको भी लिया जाना चाहिये और मजदूरी दी जानी चाहिये। बताया गया है कि उनका कायदा है कि जब तक १४ साल का बच्चा नहीं हो जाता है तो उसको कड़ी मजदूरी पर नहीं लगाते हैं। मैंने उन बच्चों को बुला कर देखा। दस, पांच, बारह बच्चे मेरे पास आये। डाक्टर की हैसियत से मैंने कह दिया था कि इनमें से पांच-सात बच्चे काम कर सकते हैं और उनको काम देना चाहिये। वह ऐसा ही मौका था और इस प्रकार के सख्त कानून को उस समय मुलामियत से बरतने की जरूरत थी; अगर उन बच्चों को खाने को नहीं मिलेगा तो उनका बढ़ाव रुक जायगा और स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। सबसे दर्दनाक चीज जो मैंने देखी वह थी पानी की। जो लोग हमेशा नल से पानी लेते हैं और गंगा और जमुना के किनारे पर रहते हैं उनको यह दृश्य देखकर अवश्य आश्चर्य होगा। मैंने देखा कि दस-पंद्रह ऊँट आ रहे हैं। देखा कि यह खतरा कैसा आ रहा है। मैंने समझा कि शायद राशन ला रहे होंगे। जब वे

Page No.37

[डा० श्री मंगलसिंह]

नजदीक आये तो मैंने देखा कि तोप जैसी चीज उन पर रखी हुई है। उस तोप में नाल भी थी। मैं अन्दाजा कर रहा था, यह क्या है। जब वे नजदीक आ गये तो मैंने एक मित्र, जो मेरे साथ थे, से पूछा कि यह तोप जैसी चीज जिसमें नाल लगा हुआ है क्या रखी हुई है। तो उन्होंने बताया कि यह पानी आ रहा है। तो दो २. चार २ कोस से पानी आता है और यहां पर बर्तन रखे जाते हैं उनमें इस पीपे का नल खोल दिया जाता है और उनमें पानी भर दिया जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि पानी का इन्तजाम दो दो, तीन २ मील से किया गया है और वहां इस प्रकार से यह प्रबन्ध होता है। मोटर में बैठकर हम फिर लौटे और मजदूरों के पास आये। मैंने पूछा कि यहां पानी का प्रबन्ध इस तरह कैसे होता है, अन्न तो रेल से आ सकता है। मुझे बताया गया कि सब लोगों को घड़े दे दिये गये हैं, सुबह या शाम को पानी आता है तो घड़ों में भर दिया जाता है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे लिये यह पानी काफी होता होगा? उन्होंने कहा कि पानी वक्त पर आजाता है और हम लोग भर लेते हैं और पीछे रह जाते हैं तो पानी नहीं मिलता। पानी पीने के लिये तो कोई दिक्कत नहीं है किन्तु नहाने-धोने की दिक्कत जरूर है। अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में और उन परिस्थितियों में अगर ऐसी स्थिति हो भी, तो वह क्षम्य है।

तीसरी एक बात और कही। एक शिकायत यह थी कि इस सड़क की केवल छ: मील की मंजूरी हुई है जो थोड़े ही दिनों में खत्म हो जायगी। अतः छ: मील के टुकड़े की और मंजूरी शीघ्र दे दी जाय तो हमारी जान बच जायगी, अन्यथा मंजूरी न आई तो हम भूखों मर जायेंगे, बेकार हो जायेंगे और खाने को नहीं मिलेगा, उसके लिये फौरन प्रबन्ध किया जाय। मैं समझता हूं कि जब तक हम जंगल से लौट कर आदमियों के रहने के स्थानों पर आये तो मुझे मालूम हुआ कि मंजूरी आ गई है। मैं समझता हूं कि ऐसी कठिनाइयों में इससे और अच्छा प्रबन्ध होना कठिन था।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

रुपयों की कमी है, दस लाख रुपयों की मांग है। मैं समझता हूं कि अगर आवश्यकता हो तो उस पर एक सिफर और लगा दी जाय।

(विपक्ष की ओर से दो सिफर और लगा देने की आवाज)

जब मैं लौट कर आया तो मैंने मिनिस्टर साहब से कहा कि जो रकम मंजूर की है वह काफी नहीं है। मैंने दो-चार केन्द्र ही देखे हैं। अगर ऐसी ही हालत दूसरी जगह है तो यह रुपया काफी नहीं है। मैंने उनको यह भी सलाह दी कि अधिक आवश्यकता पड़ने पर चाहे स्कूल बन्द करने पड़ें और दूसरे जो काम करने के हैं वे भी बन्द करने पड़ें किन्तु उन भूखों को खाने को दिया जाना चाहिये। चाहे वह सड़कों को बनवा कर दीजिये या और दूसरे किसी भी तरीके से दीजिये किन्तु उनको खाने को दीजिये। अकाल पीड़ितों को जो रकम दी जा रही है और उसमें भी हो हल्ला जो किया जा रहा है यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात है।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

Page No.38

[डा० श्री मंगलसिंह]

अगर दूसरे काम में रुपया मांगा जाता तो आप हील-हुज्जत करते तो दूसरी बात थी किन्तु नंगों को कपड़ा देने, भूखों को खाने को देने की बात के लिये हील-हुज्जत सुनकर बड़ा दुःख होता है। हमारे साथी मंत्रियों की टीका-टिप्पणी करें, लेकिन ऐसे कामों में उनको उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये। मैं यह भी नहीं कहता कि उनका विरोध करने का मौका नहीं है। मैं उनसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि जैसे बिल्ली चूहे पर एक ही हमले में दांत गड़ा देती है और चूहे की ऊपर और नीचे की चमड़ी बींध देती है लेकिन जब बिल्ली अपने नवजात बच्चे को उन्हीं दांतों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पकड़ कर ले जाती है तो वह उसको उन्हीं दांतों से पकड़ती है जिनसे वह चूहे पर हमला कर उसकी ऊपर और नीचे की चमड़ी को बींध देती है; अगर वे ही दांत बच्चे की चमड़े में उसी प्रकार घुस जांय तो गजब हो जाय। अतः मैं चाहता हूं कि विरोध पहली मिसाल को लेकर न करें बल्कि दूसरी मिसाल को लेकर करें। अगर पकड़ कमजोर होगी और बच्चा ठीक से पकड़ा नहीं जाएगा तो बच्चा छूट कर मर सकता है। हमला जरूर हो किन्तु उसको खत्म करने की बात न सोची जाय बल्कि रक्षा करने के विचार से हमला किया जाय। ऐसा होने से तो हम सब खत्म हो जावेंगे और काम नहीं चलेगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दस लाख की रकम सर्व सम्मति से मंजूर की जाय तथा कोई ऐसा सदस्य न हो जो इसमें साथ न दे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, आज मुझे इस बात की खुशी है कि अकाल के संबन्ध में जो मांग मैंने पेश की हैं उसे पेश करते हुए आज राजस्थान की जो स्थिति है विगत कई वर्षों में जैसी खुशहाल वह नहीं थी; वैसी खुशहाल आज है। जो मांग पेश की गई उसके संबन्ध में विविध दृष्टिकोणों से बहुत सी बातें यहां पर रक्खी गईं। कुछ महानुभाव जिन्होंने अकालक्षेत्र में जाकर स्वयं देखने का कष्ट नहीं किया उन्होंने भी कुछ बातें कहीं और कुछ बोले। जो उन क्षेत्रों में घूमे और काम किया उन्होंने भी कुछ बातें कहीं। सारी बातों का विश्लेषण अगर किया जावे तो मैं समझता हूं कि जो कुछ यहां कहा गया, चाहे किसी भी तरफ से उसमें जो विरोध में बातें कही गईं, उनसे साफ जाहिर होता है कि वे विरोध करने की ही दृष्टि से अधिक कही गईं। यह इन सब बातों से साफ मालूम हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य श्री हिम्मतसिंहजी, जो इस समय मौजूद नहीं हैं, कहने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मवेशी अब चरने लग गये और अब कोई राहत-कार्य की उतनी आवश्यकता नहीं रह गई फिर इस रकम की क्या आवश्यकता है और जब यह कहा गया कि यह मांग तो, इस सिलसिले में जो अधिक खर्चा हो चुका उसकी मंजूरी के लिए है; पर यह जानते हुए भी उन्होंने विरोध में कहना चालू रक्खा।

एक माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि एक मंत्री महोदय के सामने यह बात रक्खी गई कि वहां की कमेटी के कुछ मेम्बर्स में से, जो कि उनका स्पष्ट संकेत था कि कांग्रेस मैन ने अपने घर का कुआ खुदवाया और इससे मंत्री ने स्पष्ट इन्कार किया। मैं समझता हूं कि अगर किसी ने मना किया इस बात के लिए तो वे इस नाम को जाहिर कर दें, मंत्री का भी और उस स्थान का भी तो यह ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पर मैं यह कहूंगा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य के लिए यह शोभास्पद नहीं होता कि वे सही बात

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)]

को सदन से छिपाएं। वे साफ साफ बात करें ताकि निश्चित तौर पर किसी भी बात का पता लगाया जा सके और अगर ऐसा ही है तो मैं नहीं समझता कि इस बात में कितना तथ्य हो सकता है।

जब यह अकाल पिछले साल पड़ा था तो मैं समझता हूं कि इस संबन्ध में किसी भी स्टेज पर हमने इस बात से इन्कार नहीं किया कि अकाल भयंकर है और जो कुछ हम कर रहे हैं उससे हम समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। न एसा मैंने कभी कहा और न मैं आज कहना चाहता हूं। इससे अधिक हो सकता था और इससे अधिक किया जा सकता था और अधिक सहायता का काम किया जाता तो ज्यादा सुविधा होती। लकिन मैं यह समझता हूं कि आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो करना नितान्त आवश्यक था अधिक से अधिक प्रयत्न किया गया और सदन के सदस्यों को यह जानकर, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, हर्ष होना चाहिये कि हमने पिछले बजट में जो कुछ मांग की और इसके बाद चाहे पालियामेन्ट, चाहे यहां जो कुछ कहा गया हम केवल १० लाख रुपये के लिए सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड लेकर आपके पास आये हैं और इसके अन्दर भी खास तौर से जो मांग बढ़ाने का कारण हुआ वह रिलीफ के तथा और कामों के अलावा कटल कैम्प और इसी प्रकार के कुछ खर्च जो ज्यादा हुए, इसके कारण सदन के सामने उपस्थित होने का अवसर आया।

पहले जो सोचा था उसमें और जो खर्चा आया उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया है, ऐसी भी बात नहीं है। मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो सोचा था और कुल मिलाकर जो नक्शा हमारे सामने था उससे हमने बहुत कुछ काम किया और यह प्रसन्नता है कि वह सन्तोष जनक साबित हुआ।

तकाबी का संबन्ध इससे नहीं है। आगे जब इसका जिक्र आवेगा तब मैं विस्तार से उस पर कहूंगा। लकिन इस अकेले मामले को लेकर कई तरह की बातें कई समय अलग अलग तरह से कही गई हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता और यही कहना चाहता हूं कि इस विषय में बहुत से अधिकारियों ने अपनी स्थितियां स्पष्ट कीं। पर मुझे यह जानकर कष्ट हुआ कि जो सदस्य वहां इलाकों में गये नहीं और अधिकारियों ने जो कुछ भी कहा है उन्हीं की बात पर विश्वास करके अपनी धारणाएं बनालीं. यह ठीक नहीं मालूम होता। अच्छा होता कि अधिकारी की बात सुनकर बाद में वे स्वयं वहां पर जाते। श्री हृदयनाथ कुंजरू से बढ़कर बहुत कम निष्पक्ष व्यक्ति इस देश में कहे जा सकते हैं। इन्होंने राजस्थान के अकाल के इलाकों में दौरे किये और उन्होंने जो कुछ कहा है वह वहां के काम के लिए काफी उत्साहजनक है। पर इसके मुकाबले में हम सुनी हुई बातों पर ज्यादा भरोसा करके यहां कुछ बातें कह दें तो अगर इससे यह मान लिया जावे कि यह सब कुछ इसलिय केवल कहा जा रहा है कि कोई सदस्य विरोध में है इसलिए विरोध में कुछ कहना ही चाहिये तब तो मैं समझता हूं कि उनका यह कहना अनुचित नहीं होगा।

माननीय कानसिंहजी को मैं अपने साथ दौरे पर ले गया और एक रात पहले मैंने सूचना दी, इसका कारण काले झंडों आदि से डरना नहीं था। मैं हर इलाके में गया हूं, बीकानेर खास में रहा हूं, दो रोज तक आ-आ कर रहा हूं। अगर इनसे डर कर पीछे हटने की सोचता तो इस सारे इलाके में जाता ही नहीं। सूचना देर से देने का मतलब तो यह था कि मैं चाहता था कि मैं कब किधर की तरफ दौरे

[श्रीमोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)]

के लिए चल दूं इसका किसी अधिकारी को भी पता न चलने दूं और न किसी भी व्यक्ति को यह मालूम होने दूं क्योंकि यकायक कहीं भी पहुंच कर किसी भी परिस्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। कुछ लोग जान बूझ कर रोटियों की और छाल की रोटियों की बात को बढाना चाहते थे। माननीय कानसिंहजी उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो वे यह जानकर सहमत होते कि जब वे मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप बताइये कि कहां चलें। न मैंने किधर भी जाने का तय किया है और न किसी से कुछ पूछा ही है; आप जिधर कहें उधर ही चलें और वहां की हालत को देखें। यह सही है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। जो बहुत अकाल पीड़ित इलाका है पूछ नौखा साइड का है वहां छाल की रोटी कहीं नहीं मिली। बहुत सी जगह अचानक गये। घर-घर जाकर उनकी रोटियां देखीं। वहां की हालत देखी, मजदूर लोगों की हालत देखी। अनाज उनके पास जरूर नहीं था, काम की आवश्यकता थी; लेकिन रोटी देखी वह सब जवार की थी। ज्यादातर लोग जवार ही खा रहे थे। कुछ भुरुट की रोटियां खाते थे और भुरुट के लिये कहते थे कि यह हम कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन छाल की रोटी की जो बात निकाली गई वह बात कहीं सामने नहीं आई और जहां सामने आई वहां के लिये श्री हंसराजजी ने बताया। मैं साफ साफ कहता हूं कि इस बात से बीकानेर में मुझे दुःख होता था कि ऐसी परिस्थिति में भी लोग किस तरह से स्थिति का शोषण करना चाहते हैं। वास्तव में छाल की रोटी का तो एक प्रचार मात्र था। उस आदमी के पास जाकर कोई देखे तो दर असल सोच सकता है कि वास्तव में वह छाल की रोटी खा सकता है। एक भिखारी की तरह आदमी था। जब हम एक स्कूल के अन्दर से निकल रहे थे तो एक आदमी निकलता है और एक कोटड़ी खोलकर कहता है कि यह छाल की रोटी खाते हैं। उस आदमी को यह रोटियां महज प्रचार के लिये दी गई और उस वक्त दो गई जब मैंने अपनी आंखों से इसे देखा। तो इन बातों पर मैं विश्वास करने को तैयार नहीं हूं। हंसराजजी मौके पर पहुंचे। मैं बताऊं कि यह मामासर का जिक्र है। मैं वहां से सरदारशहर पहुंचता हूं और वहां एक आदमी स्वयं आकर माफी मांगता है, लिखकर देता है कि मुझे अमुक आदमी ने यह रोटियां लाकर दीं और इस तरह से केवल कहने को कहा। उसने यह भी कहा कि मैं उस आदमी का नाम नहीं बतलाऊंगा। मैं इस स्थिति में हूं कि कौन व्यक्ति यह सब कह रहा था यह अच्छी तरह जान रहा हूं। मैं मेरे यहां के किसी माननीय सदस्य पर यह चार्ज नहीं लगा रहा हूं।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—हम नाम जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—He is not on the floor of the House but he definitely refutes the charges of opposition.

श्री मोहनलाल सुखाडिया (जारी)—तो जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं और जो इसका उत्तर यहां नहीं दे सकता उसका नाम बताने में कोई लाभ नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों को बढ़ाने के लिये जानबूझ कर वे प्रयत्न कर रहे हैं और इन चीजों को फैलाने के लिये उन लोगों ने इलाकों के दौरे किये। उन्होंने यहां तक इस तरह की स्थिति पैदा की कि एक गरीब मजदूर के कन्धे पर बच्चे

[श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमंत्री)]

को बैठा कर फावड़ा दिया और फोटोग्राफर को उसकी फोटो खींचने के लिये कहा गया। आप अन्दाज लगाइये कि विशिष्ट हालतों में इन सब बातों से क्या प्रयोजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में भी उसका दुरुपयोग अपने स्वार्थ में करने से वे बाज नहीं आये। लेकिन यह सारी बातें की गई।

इस प्रकार की जो सारी बातें की गई उनके द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि जो चीजें हो रही हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर दिखाया जाय। मैं तो यह अच्छा समझता हूं कि इन्हीं व्यक्तियों के कारण हम लोगों को इस क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां की स्थिति से जानकारी प्राप्त भी करने का। राजस्थान को इस विषय में पार्लियामेन्ट में जो बहस हुई उससे काफी फायदा हुआ। श्री कुन्जरू साहब खुद इस स्थिति को देखने के लिये वहां गये और जो राय उन्होंने दी उसका असर ऊपर के क्षेत्र में काफी हुआ और इससे यहां की स्थिति और इन्तजाम के बारे में भी बहुत कुछ सहायता मिली और वहां जाने का कई व्यक्तियों को अवसर प्राप्त हुआ।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कई बार जो यह कहा जाता है कि जो कुछ खर्च किया जाता है वह पार्टियों के आधार पर खर्च किया जाता है, जहां कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स होते हैं वहां खर्च ज्यादा किया जाता है, तो मैं इस विषय में जोधपुर के लिए खास तौर से अर्ज करना चाहता हूं। बीकानेर के इलाके में हमने माननीय श्री कार्नसिंहजी को साथ में लिया, विरोधी पक्ष के नेता उन दिनों कैलाश की ओर गये थे इसलिये उनको साथ नहीं ले पाये। अकाल के क्षेत्र में हम उनसे लाभ नहीं उठा सके और बाहर होने की वजह से वे हमें सहायक साबित नहीं हुए।

जोधपुर के विषय में अर्ज करना चाहता हूं कि महाराजा श्री हिम्मतसिंहजी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। डाक्टर मंगलसिंहजी, श्री सन्तोषसिंहजी और श्री खेतसिंहजी और नागौर के अकाल क्षेत्र के प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे और इन सब व्यक्तियों के बीच अधिकारियों को लेकर रिलीफ प्लान वर्क आउट किया गया। केवल कांग्रेस के लोगों को लेकर कोई प्लान नहीं बनाया गया। यह बात अवश्य है कि श्री सन्तोषसिंह जी ने यह कहा कि बिलाड़ा में अकाल है इसलिये वहां सड़क बनाई जाय, किन्तु अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं माना इसलिये वहां कोई काम नहीं करवा सके, इसके लिए मैं मजबूर हूं। अगर उस कॉन्फ्रेंस के अन्दर मौजूद व्यक्ति यह निर्णय दे देते कि बिलाड़ा में भी सड़क निर्माण की जाय, क्योंकि बिलाडा एक अच्छा उपजाऊ इलाका है तो मैं कोई मना नहीं कर सकता था। किन्तु उन व्यक्तियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ अधिकारियों को कह सकता हूं, विस्तार में जाने का काम उनका ही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां जहां मदद की आवश्यकता प्रतीत हुई वहां पर यह ख्याल नहीं रखा गया कि यह अमुक पार्टी का क्षेत्र है इसलिये नहीं दिया जाय। यह हमने कदापि ध्यान नहीं रखा और हम से जितनी अधिक से अधिक सहायता दी जा सकती थी, वहां के लोगों को दी। माननीय श्री भैरूंसिहजी ने कहा कि लोग पिछले महाराजाओं के दिनों को याद करते हैं और उनके द्वारा यह सन्देश यहां पहुंचाया है कि वहां के लोग उन महाराजाओं को याद करते हैं। मैं भी कई बार उन अकाल क्षेत्रों में गया किन्तु मेरे सामने किसी भी व्यक्ति ने पुराने राजा-

Page No.42

[श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमंत्री)]

महाराजाओं का जय जय कार किया हो, यह मुझे याद नहीं। मैं यह बात कई बार कह चुका हूँ कि महाराजा श्री उम्मेदसिंहजी ने जोधपुर में इस विषय में काफी कार्य किया है, उसके लिए हमें उनके प्रति श्रद्धा है। इसके लिये यह कहना कि इस वर्ष नहीं किया गया इसलिये पुराने राजा महाराजाओं को याद करते हैं, ठीक नहीं। पुरानों की याद करने से इस साल जो अकाल से पीड़ित हैं, उनको राहत मिल जायगी, यह अवसर नहीं आया। इस साल जितनी सहायता की आवश्यकता थी उसके माफिक अधिक से अधिक कार्य किया गया। दूसरी बात जो यह कही गई कि वहां फोटो ज्यादा उतरवाये गये तथा मैं खुद मजदूरों के बीच काम करता और फोटो नहीं उतरवाता तो ज्यादा अच्छा रहता। शायद उनको यह अच्छा लगता कि मैं अकाल क्षेत्र में मजदूरों के बीच काम करता रहता जिससे कि अकाल पीड़ितों को ज्यादा सहायता मिल पाती। यह दृष्टिकोण मेरी समझ में नहीं आया, यह तो अपने अपने दृष्टिकोण का भेद है।

जहां तक मजदूरों को मदद देने का सवाल है अधिक से अधिक जितना राजस्थान सरकार कर सकती थी और जितनी मदद केन्द्र से हम प्राप्त कर सकते थे हमने प्राप्त की और जनता का अधिक से अधिक फायदा किया गया। इस वक्त जो मांग की गई है वह ऐसी मांग नहीं है कि जिसके बारे में किसी को यह ख्याल हो कि इसका गलत उपयोग किया गया हो और उसको सदन से स्वीकृत कराने के लिये यह सदन के सामने रखा गया हो, यह बात नहीं।

एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो यह कहा गया कि अकाल का कार्य जोधपुर शहर में किया गया इसके लिए मेरा निवेदन है कि किसी भी शहर में यह काम नहीं किया गया। हां, आसपास के अकाल पीड़ित इलाके होने की वजह से इन शहरों के पास कुछ काम करवाया गया। जैसे बीकानेर में भी किया गया और जोधपुर में भी किया गया, ताकि आसपास के लोग जो किसी काम काज की वजह से चल आते हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिये, उनको कोई काम अवेलेबल (उपलब्ध) होना चाहिये, ताकि वे काम कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुये शहरों के आसपास कुछ काम करवाया गया। शहर में डामर की सड़क बनवा ली गई, यह गलत बात है। इस तरह की गलत बातें उनको सोचना ही नहीं चाहिये। जोधपुर और बीकानेर के पास कुछ कार्य किया गया, यह इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया गया कि वहां के आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके और ज्यादा से ज्यादा उनको राहत मिल सके।

एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। वह बात यह है कि माननीय श्री कानसिंहजी ने कहा कि अतिवृष्टि से अकाल कैसे हो जाता है तथा मैं इस डिवीजन से आया हूं इसलिये उस क्षेत्र को जान-बूझकर अकाल क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके लिए मेरा सबसे पहले यह निवेदन है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उस क्षेत्र में अकाल का एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और न किया जाता है। अतिवृष्टि से फसल कैसे खराब हो जाती है यह जो बात कही गई है उसके लिए मेरा कहना है कि यह नौबत बीकानेर डिवीजन में न आयी हो, लेकिन उदयपुर के इलाके में जहां अतिवृष्टि के कारण फसल

[श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्वमंत्री)]
खराब हो जाती हैं उसके लिए मेरा निवेदन है कि बिना ज्ञान कभी कोई बात नहीं कही जानी चाहिये। उनको चाहिये कि वे अपने पक्ष के लोग जो उस इलाके से आये हैं उनसे जानकारी करलें कि किस प्रकार अतिवृष्टि से फसल खराब हो जाया करती हैं। यह जो कहा गया कि रबी की फसल तो इससे अवश्य अच्छी होनी चाहिये किन्तु इसके लिये मेरा निवेदन है कि किसी खास जमीन पर ही यह अवलम्बित है, इस विषय में भी उन्हें अपने पक्ष के लोगों से आपस में मिल कर पता लगाना चाहिये कि किस प्रकार अतिवृष्टि से भी अकाल पड़ जाया करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस क्षेत्र की जानकारी नहीं, वहां जाकर उन लोगों को जब तक न देखा जाय तब तक कोई मोटिव्ज इम्प्यूट किया जाना ठीक नहीं होगा। इस बारे में आप पूरी तरह जानकारी करलें। बिना पार्टी के भेदभाव के सारे राजस्थान में जहां मदद की आवश्यकता थी सरकार ने मदद की है और किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं बरता। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए वे अपना कटमोशन वापस लेलें और इस सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड को स्वीकार करें।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—मैंने जो छोटे छोटे सवाल पूछे थे उनका भी जवाब देने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—आप सवाल पूछते ही रहेंगे और मैं जवाब देता ही रहूंगा।

श्री अध्यक्ष—Let them be in vacuum.

(विराम)

The question is that the Cut Motion moved by Shri Bhairon Singh that the Demand No. XLVI Major Head 54-Famine be reduced by Rs. 100/-, be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion is dropped.

(विराम)

Now the question is that a supplementry sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to H.H. The Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. XLVI, Major Head 54-Famine.

(स्वीकृत)

The demand is granted.

(विराम)

We now adjourn the discuss the Adjournment Motion.

जयपुर में हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव

कुंवर श्री जसवन्तसिंह---माननीय अध्यक्षजी, जैसा कि इस सदन को मालूम है कि अभी मुझे इस बात की इजाजत दी गयी कि मैंने जिस एडजोर्नमेन्ट मोशन (स्थगन-प्रस्ताव) का नोटिस दिया था उसको मैं इस सदन में पेश करूं।

अभी करीब ४ महिने के बाद में मुझे जयपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले सेशन के बाद किन्हीं कारणों से मैं यहां नहीं आ सका तो मैं यही आशा करता हूं कि जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां अच्छी चहल-पहल रहेगी, सेशन जो कि हमारे हाउस का होगा उसमें भी चहलपहल होगी और शहर में चहलपहल होगी और सब आनन्द की बातें होंगी। हमने यह भी सोचा था कि कुछ जरूरी चीजें जयपुर से खरीदेंगे। किन्तु यहां पहुंचते ही सबसे पहले हमने देखा और खबर मिली कि जयपुर के शहर में पूर्ण हड़ताल मनाई जा रही है, और वह इस प्रकार की हड़ताल है कि जिसके पीछे जनता की मदद है, क्योंकि यह हड़ताल इतनी अच्छी तरह से मनाई गई है कि अगर जोर देकर हड़ताल कराई जाती या सरकार द्वारा भी हड़ताल कराई जाती तो भी वह इतनी अच्छी तरह से नहीं होती।

अब यह देखना है कि यह हड़ताल यहां पर क्यों की गई है जनता द्वारा और जनता की नॉर्मल लाइफ (साधारण जीवन) बिल्कुल स्टेन्डस्टिल (अवरुद्ध) क्यों कर दिया गया है? इसका कारण पूछताछ करने से हमें यह मालूम हुआ कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा दो कर लगाये गये हैं। वे कर हैं, हाउस टैक्स और ऑक्ट्रोय ड्यूटी। ये एक सितम्बर से लागू होंगे। इनके प्रति रोष प्रकट करने के लिये जनता ने यह हड़ताल की है। इस हड़ताल का कुछ इतिहास भी है। जयपुर म्युनिसिपैलिटी ने कुछ समय पहले यह तय किया कि यह दो कर लिये जायं। म्युनिसिपैलिटी में जो विपक्षी सदस्य थे और वह भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इनका विरोध किया। बहुमत से यह पास किया गया। फिर जनता के कुछ प्रतिनिधि सरकार से भी मिले। उनकी मुख्य मंत्रीजी से भी लिखा-पढ़ी हुई और मुताल्लिका मंत्रीजी से भी लिखा पढ़ी हुई। बाद में एक डेपुटेशन भी लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मंत्रीजी से मिला। उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बात-चीत की और मैं समझता हूं कि अगर मुझे गलत इत्तिला मिली है तो माननीय मंत्रीजी मुझे रोकेंगे कि उनके और डेपुटेशन के बीच में यह तय हुआ कि जो यह कर लगाये गये हैं वे उचित कर हैं या अनुचित कर अर्थात् यह लगने चाहिये या नहीं लगने चाहिये, इसके लिए एक एन्क्वायरी कमेटी जिसका प्रेसिडेंट हाईकोर्ट का जज होगा, निर्णय करेंगे और उसके बाद में जिस निर्णय पर यह एन्क्वायरी कमेटी पहुंचेगी वे (निर्णय) मान्य होंगे, जनता को भी और सरकार या म्युनिसिपैलिटीज को भी...

श्री रामकरण जोशी---यह गलत बात है। जब मैं जवाब दूंगा उस वक्त आपको मैं बताऊंगा कि ऐसी बातें नहीं हुई थीं। बात जो हुई थी वह मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुई थी।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह---जो मेरे सुनने में आया है उसका मैंने जिक्र किया है। जो लोगों से सुनने में आया है वह यह है कि यह बात मान ली गई थी कि जो एन्क्वायरी कमेटी तय करेगी वह मान लिया जायगा; लेकिन फिर भी एक तरफ जहां सुनने में हम लोगों के आया है यह बात मानने पर भी,

[श्री जसवन्तसिंह]

उस एन्क्वायरी कमेटी की नियुक्ति की बात मानने के बावजूद भी यह तय हुआ कि १ सितम्बर से यह कर लगाये जायेंगे। इस बात पर वे डटे रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि करीब १५ दिन पहले एक टोकन हड़ताल हुई। वह भी संपूर्ण हड़ताल हुई। उसके पीछे अगर जनता की मदद या सहायता नहीं होती तो इस तरह की हड़ताल नहीं की जा सकती थी। वह हड़ताल मनाई गई। ३०, ३१ व १ तारीख को भी हड़ताल मनाई गई है और आज भी जहां तक देखने में आया है कहीं कहीं हड़ताल है।

यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो मेरा एडजर्नमेन्ट मोशन (स्थगन-प्रस्ताव) इस सदन के सामने आया है वह मैं अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं लाया हूं। उसको ऑपोजीशन (विरोधी पक्ष) की तरफ से लाया हूं इसलिये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ जो कुछ भी आपको कहना चाहता हूं, कहूंगा। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह विचार नहीं किया जाय, क्योंकि हम इस पक्ष में हैं, उसमें बहुतसों को जिम्मेवारी का काम करने का अवकाश मिला है। जहां तक सुव्यवस्था का संबंध है सरकार की उचित बातों में हम हरदम उनके साथ रहेंगे (सरकारी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि) मगर जहां पर अन्याय किया जायगा, जहां पर अनुचित बात होगी, वहां पर किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का डर और किसी प्रकार की भी बात से हम अपना जो सिद्धान्त का मार्ग है, नहीं छोड़ेंगे (विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)। जो कर लगाने का सिद्धान्त है तो वाजिब कर लगाने में हम गवर्नमेन्ट के साथ हरदम रहेंगे (सरकारी पक्ष की ओर से "हियर, हियर") मगर कुव्यवस्था के साथ अगर अच्छी तरह से जांच नहीं करके कर लगाने की जो चाल चली जायगी उसमें गवर्नमेन्ट का साथ नहीं देंगे, गवर्नमेन्ट का विरोध करेंगे। यह दृष्टि हमारी हमेशा रही है और रहेगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिससे गलत फहमी न हो कि चीप पॉपुलरिटी (सस्ती वाहवाही) के कारण हम इसके विपक्ष में नहीं हैं। आप यह न सोचें कि चीप पॉपुलरिटी के लिए हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मुमकिन हो कि दूसरे करते होंगे, किन्तु संयुक्त दल की तरफ से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीप पॉपुलरिटी को ठुकरायेंगे, फेंकेंगे। जहां पर जनता का हित हो तो अगर हमें अपने साथियों के साथ लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ेंगे। चीप पॉपुलरिटी या पोलिटिकल एडवान्टेज (राजनीतिक लाभ) उठाने के लिये कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन इस सदन के सामने नहीं लाया जायगा।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के कर लगाने का एक बहुत पुराना इतिहास है। वह जयपुर राज्य में कहीं सन् १८७६-७८ से चला आ रहा है। उसके बारे में न मैं सदन से समय लेना चाहता हूं और न उस विषय पर इस समय जाने की आवश्यकता है, मगर इस वक्त जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

हमारा दूसरा उद्देश्य इस प्रस्ताव को लाने का यह है कि अगर हम हमारी स्टेट यानि हमारे प्रान्त को डेमोक्रेटिक वैलफेयर स्टेट (Democratic walfare State) कायम रखने का दावा कर सकते हैं तो हमें किसी हद तक ऐसे कार्य करने होंगे जो सिर्फ प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) के नाम पर जनता को दबाये जाने या कुछ ऐसे व्यक्तियों को जिनसे उनकी नहीं बनती होगी और जिनके दबाने से उन्हें पोलिटिकल एडवान्टेज मिलता होगा, न हों। इसलिये डेमोक्रेटिक विषय को लाना आज यहां आवश्यक हो गया है।

Page No.46

[श्री जसवंतसिंह]

अब यह बात देखने की है कि जयपुर म्युनिसिपेलिटी द्वारा ये दो कर, हाउस टेक्स और ओक्ट्राय ड्यूटी, लगाना नियमानुसार रहता है या नहीं? यह बात जरुर शान्ति के साथ देखने की है। यह म्युनिसिपेलिटी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है यानी जयपुर म्युनिसिपेलिटी का भार कांग्रेस पार्टी पर है और उसकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही है। इसलिये हमारी सरकार के लिये और भी जरूरी हो जाता है कि इस बात को निष्पक्ष रुप से और शान्ति के साथ निपटावें। इस म्युनिसिपेलिटी की अवधि २० मार्च, १९५३ को खतम हो गई थी। यह अमूमन देखा गया है और मुझे यह कहने में शंका भी नहीं है कि हमारी सरकार चाहे म्युनिसिपेलिटी हो या लोकल बोडीज हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस हों या पंचायतें हों, उनके बारे में जो कुछ कार्यवाही यह सरकार करती है वह, निस्संकोच में कह सकता हूं, कि राजनैतिक से वह कार्यवाही करती आ रही है। यदि सरकार चाहे तो सैंकडों ऐसे उदाहरण में दे सकता हूं जिनमें जनमत का विचार छोड़ कर, डेमोक्रेटिक वेलफेअर स्टेट का ख्याल छोड़ कर, पार्टी हित में काम किया गया है। यह हम सिद्ध करने को तैयार हैं। यदि गवर्नमेन्ट चाहे तो एक इन्क्वारी बिठा सकती है जिसमें हम अपने भी सदस्य शामिल करेंगे और गवर्नमेन्ट अपने भी सदस्य उसमें ले और फिर उसकी जांच करे। सैंकडों उदाहरण दे सकता हूं। जनहित का काम छोड़ कर पार्टी हित में चुनाव कराना न कराना या किसी को सस्पेन्ड कर देना इस तरह के कार्य किये जा रहे हैं। जब कि २० मार्च को इस का समय खत्म हो गया तो उसको ६ महीने के लिये और एक्सटेन्ड किया गया। मैं समझता हूं कि मुमकिन है मंत्रीजी यह कहेंगे कि इलेक्टर रोल (मतदाता सूची) तैयार नहीं था। यह कारण इतना साधारण हो गया है कि इसे हम कई बार सुन चुके हैं। और सुनते सुनते हम थक गये हैं। इसके आगे यदि हम वास्तविक हित की बात भी कहेंगे तो मानने के लिये तैयार नहीं हैं। २० मार्च को इसकी मयाद खत्म हो गई थी, इसलिये वह ६ माह के लिये और एक्सटेन्ड की गई और जब २० दिन के बाद ही, वह मयाद पूरी हो जाती है फिर भी इस जयपुर म्युनिसिपेलिटी का काम कांग्रेस अधिकारियों के हाथ में चलता रहे, इसको देखते हुए नये इलेक्शन जल्दी ही करायेंगे नहीं। जहां तक सरकार का रवैया देखते आये हैं हमें विश्वास नहीं होता कि चुनाव जल्दी ही करा दिये जायेंगे। जब उसकी लाइफ एक्स्पायर हो चुकी है, जब जनता का उसमें विश्वास नहीं है और जब व्यवस्था इतनी खराब होगई है तो उसको चलाते रहना कहां तक उचित है। इसका अध्यक्ष ऐसे सज्जन को बनाया गया है जिनकी योग्यता किस तरह की है, यह छिपा हुआ नहीं है। गवर्नमेन्ट के कुछ ऑडीटर्स हिसाब की जांच करने के लिये वहां भेजे गये थे। अपनी रिपोर्ट देत हुए श्री एम. एन. कल्ला ने लिखा है कि :

"In the interest of the tax-payer as well as of the Council it is very essential that such unsatisfactory state of affairs is thoroughly overhauled and radically improved."

यदि हमारी सरकार ऐसा कहती है कि हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रेस्टिज के विरुद्ध यह बात जाती है तो हमें विश्वास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की प्रेस्टिज का ध्यान उन्हें ज्यादा रहता है, जन-हित और प्रान्त-हित की उन्हें कोई परवाह नहीं है। जयपुर म्युनिसिपेलिटी की लाइफ एक्स्पायर हो चुकी थी

Page No.47

[श्री जसवन्तसिंह]

इसलिये नये चुनाव कराते और जनता के सच्चे रिप्रेजेन्टेटिव्ज द्वारा कर लगाया जाता तो सबको मान्य होता और उस समय यदि कोई विरोध करता तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विरोधी पार्टी के हम लोग सेन्ट-परसेन्ट गवर्नमेन्ट की तरफ होते, पर यह बात नहीं हुई। जिस प्रकार का करप्शन (भ्रष्टाचार) इस म्युनिसिपेलिटी में है, जिस प्रकार के करप्ट (भ्रष्ट) अधिकारी इसमें हैं और जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह जनहित का कार्य नहीं है और इसलिये हम कभी सरकार की सराहना नहीं कर सकते। यदि म्युनिसिपेलिटी की इन्कम...

श्री अध्यक्ष--I do not want to intervene nor it is my intention to take part in the discussion but the Hon'ble Member should keep in view that Municipality is an autonomous body and, therfore, his arguments-rather his speech should be confined to the Adjournment-motion only. He should niether impeach the municipality nor the functions of the Municipality but should confine himself only to the extent to which the Government is responsible.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--I am not impeaching the Municipal Officers or the Municipality but I am impeaching the Government for their apathy, neglience and participation in the injustice.

(विराम)

बेशक कोई म्युनिसिपेलिटी, कोई भी सरकार बगैर करों के नहीं चल सकती, कर लगाने चाहिये, कर लगेंगे और हमेशा से लगते आये हैं। इसमें किसी का विरोध नहीं है, लेकिन प्राथमिकता उन करों को दी जाय जिससे कि साधारण जनता पर बहुत ज्यादा भार न पड़े, प्रमुख व्यवसाइयों पर भार पड़े। जो कर वाजिब हों उन करों को पहले लगाना चाहिये और दूसरी बातें बाद में करनी चाहिये। म्युनिसिपेलिटी की जो वाजिब आय है और अन्य स्थानों पर वे सोर्स म्युनिसिपेलिटी के पास हैं वे वाजिब आय के सोर्स सरकार ने जयपुर म्युनिसिपेलिटी को दिये हैं या नहीं, यह देखने की बात है। मैं यह जानता हूं क्योंकि माननीय जयनारायणजी व्यास के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। सरकार की माली हालत खराब है। मगर यह होते हुए भी यह भी देखा जा रहा है कि जो म्युनिसिपेलिटी की लाजमी आय है उसमें शुमार होनी चाहिये और म्युनिसिपेलिटी को मिलनी चाहिये किन्तु वह आमदनी उसको नहीं दी जा रही है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सी आय के हेड्स ऐसे हैं जो म्युनिसिपेलिटी के होने चाहिये मगर सरकार ने वे हेड्स म्युनिसिपेलिटी को ट्रान्सफर नहीं किये और उसी कारण उसकी सोचनीय हालत है या उस सोचनीय हालत को, जो किसी से छुपी नहीं है, दूसरे करों से पूरा करना होगा। बहुत से ऐसे हेड्स हैं जो म्युनिसिपेलिटी को जाने चाहिये, जैसे विहिकल टेक्स आदि। यदि सरकार नहीं दे सकती तो दूसरे करों की आय म्युनिसिपेलिटी को दी जा सकती है।

श्री रामकरणजोशी (स्वायत शासन मंत्री)—एन्टर्टेनमेंट तो म्युनिसिपेलिटी को ही मिलता है और इसी तरह हाउस टेक्स भी............

कुंवर श्री जसवंतसिंह—मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी मुझ सुन मगर, पेन्स (सब्र) न रख कर बीच में ही कूद पड़े। मैं जानता हूं कि हाउस टैक्स लागू ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—You are in possession of the floor of the House. You should not care.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—I am a constitutional man, Sir, and I have to care; however,
लेकिन बहुत से ऐसे कर हैं जिन्हें माननीय मंत्री देखेंगे जो म्युनिसिपेलिटी को मिलने चाहिये।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री) —आप उनके नाम बतावें।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—इसके लिये आप जानना चाहते हैं तो सिटी इम्प्रूवमेंट का जो हेड है वह म्युनिसिपेलिटी में क्यों नहीं? मोटर वेहिकल (मोटर गाड़ियों) का हेड म्युनिसिपेलिटी में क्यों नहीं जाता? सेल्स आफ प्लोट्स, वाटर वर्क्स आदि का हेड म्युनिसिपेलिटी को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं यह कहता हूं कि म्युनिसिपेलिटी को क्यों नहीं दिये जाते? म्युनिसिपेलिटी के सदस्य भी जनता के चुने हुए हैं और आप भी जनता के चुने हुए हैं, आप भी इस काम को चलाते हैं, वे भी इसे चला सकते हैं। जो बात आप बजट में डेफिसिट दिखलाते हैं यदि आप म्युनिसिपेलिटी के चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंपेंगे तो वे फायदा दिखा सकेंगे।

इसलिये जब तक दूसरे सोर्सेज (जरिये) टक्सों के हैं उनको लागू न करके और जो वाजिब म्युनिसिपेलिटी की आय के हेड हैं उनको म्युनिसिपेलिटी को न देकर यह डबल टक्स जनता पर लगाया जा रहा है और नया टैक्स जो लगाया जा रहा है उसका जनता जो विरोध कर रही है वह मैं समझता हूं बिलकुल दुरुस्त है।

अब आक्ट्राय ड्यूटी (Octroi duty) के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो टेक्स लगाये जाते है उनके कुछ प्रिन्सिपल्स (सिद्धान्त) हैं, उनकी जानकारी रखने का मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं लेकिन यह कह सकता हूं कि जो देश सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक (सभ्य और प्रजातान्त्रिक) होने का दावा रखते हैं उन सब देशों में कहीं भी डबल टेक्स, जिस प्रकार यहां पर लगाया जा रहा है मेरे सुनने में नहीं आया Autocracy और despotism (ओटोक्रसी और डस्पोटिज्म) के साथ काम करके जनता की आवाज को नही सुनें तो आपका मुकाबला हमें करना पडगा। यह हो सकता है कि हमारे साथ थोडी कम मजोरिटी है या धारासभा में अपनी मेजोरिटी पर आप जनता की ताकत को भूल रहे हैं। मगर जिस चीज पर आप कस्टम ड्यूटी लगाते हैं उस पर आक्ट्राय (चुंगी) नहीं लगा सकते। आप किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में देख सकते हैं कि एसा नही होता जैसा कि राजस्थान में जैसा हो सकता है। वहां यदि किसी में आक्ट्राय (चुंगी) और कस्टम ड्युटी (महसूल कर) बता दें तो मुझे बडी खुशी होगी

श्री अध्यक्ष----I presume we are all civilised.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह---हमारे एक्शन सिविलाइज्ड (कार्य सभ्य) नहीं हैं। ओक्ट्रोय (Ootroi) और कस्टम (Custom); यह डबल टेक्स का बोझा जो सो काल्ड डेमोक्रेटिक स्टेट्स (so called democratic states) में जनता पर लादा जा रहा है, मैं यह कहता हूं कि यह बहुत अन्याय की बात है और यदि सरकार ऐसी चीज करेगी तो मैं यह कहूंगा कि इसमें न तो सरकार का हित होगा और न जनता का हित होगा। यदि ऐसा होगा तो ऐसी घटनायें होने की आशंका है; जिसमें दोनों का अहित हो।

अब हाउस टेक्स के लिये मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पहले दूसरे करों को वसूल किया जाय। पहले हाउस टेक्स लगाया गया था तब पब्लिक के प्रतिनिधि हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट का यह फैसला हुआ कि यह अल्टावायर्स (गैर कानूनी) है। यह निर्णय होने पर भी म्युनिसिपेलिटी द्वारा वसूल किया हुआ हाउस टेक्स अभी तक उन लोगों को वापिस नहीं दिया गया है। आज हमारी हाई कोर्ट के फैसले पर म्युनिसिपेलिटी अमल करने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है मगर अभी तक म्युनिसिपेलिटी उसको मानने को तैयार नहीं है यह जो रोष सरकार के प्रति जनता द्वारा प्रकट किया जा रहा है और उसका जो परिणाम हो रहा है और आगे क्या होगा वह भी देखने मे आ जायगा। मुमकिन है सरकार अपने को बहुत प्रबल समझती है क्यों कि उसके पास पुलिस है, उसके पास आर्म्ड पुलिस है, उसके पास बंदूकें और गोलियां हैं; मुमकिन है हमारे होम मिनिस्टर जो हमारे सोभाग्य से चीफ मिनिस्टर हैं इस मामले पर यह भी कहें कि हमारी प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का प्रश्न है, हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट के मिनिस्टिर की प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) में फर्क आवेगा, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे; तो भी मैं यह कहूंगा कि जनता अब जागृत हो गई है, अब वह मूक जनता नहीं जिसके साथ आप किसी हद तक अन्याय करें अगर आप अन्याय करेंगे तो हालां कि व्हील्स ऑफ मिल्स ऑफ जस्टिस (Wheels of mills of justice) धीरे धीरे चलती हैं मगर आटा बहुत अच्छा निकालती हैं। हमने निर्णय किया है और निर्णय पर कह सकते हैं कि म्युनिसिपेलिटी यह कर लेने के लिये कॉम्पीटेन्ट (Compe on.) नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (२१)–On a point of Order, Sir, is there no time limit fixed for the Hon'ble Member ?. Has Rule 77 been suspended.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह---मैं समाप्त कर रहा हूं।

तो पब्लिक का यह जो रोष है वह दुरुस्त है क्योंकि यह म्युनिसिपेलिटी इस बात की योग्यता नहीं रखती है। जब तक आय के दूसरे साधन उनके पास मौजूद हों इस प्रकार के कर लगाना वाजिब नहीं। मगर जो लिमिट पहुंच गई है इसके लिये दो-चार शब्द बड़े दुःख के साथ मुझे कहने पड़ेंगे और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो लोग कानून और व्यवस्था को भंग करेंगे और कानून को अपने हाथ में लेंगे और बदमाशी करेंगे, उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। जो कानून को अपने हाथ में लेकर कानून के जो रास्ते हैं उनको छोड़ेंगे तो उनके साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं और अगर सरकार ज्यादती और अन्याय करेगी तो सरकार के साथ भी हमारी सहानुभूति

(श्री बसवन्तसिंह)

नहीं होगी और न हो सकेगी। सरकार ने इस सिलसिले में जो गिरफ्तारियें की हैं उनके लिये यह कहूंगा कि जब आपके पास कानून है, आपके पास सिविल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है आप क्यों नहीं कानून के द्वारा एक्शन लेते हैं। आप यह चाहते हैं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट, चाहे इस सदन का सदस्य हो उन पर लागू करके, चाहे दूसरों पर लागू करके पब्लिक की आवाज को कुचल सकते हैं, तो जनता भी आपको कुचल सकती है

इस वक्त आपको पद का भी नशा है। यह नशा हमारी सरकार में आ रहा है। मैं समझता हूं कि जनता के सामने पद का नशा नहीं टिक सकता है। प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के अनुसार जयपुर में आज जो हड़ताल है तो जिसको चाहे इस एक्ट के अन्तर्गत रख दिया जावे। किसी व्यक्ति को इस लिये रख दिया गया कि हमारे माननीय मंत्री महोदय अगर शहर में जावें और लोग उनकी मोटर के कांच तोड़ दें तो इस एक्ट के अन्तर्गत उस व्यक्ति को रख दिया जावे। हमारे मंत्री महोदय जन-प्रिय नहीं हैं और इसलिये लोग उनको काले झन्डे दिखलाते हैं, किन्तु उन व्यक्तियों को इस एक्ट के अन्तर्गत डिटेन्शन में रख दिया जाता है। यदि आप सेन्टर में इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको कहीं पर भी इस प्रकार का इतिहास देखने को नहीं मिलगा, जैसा यहां मिल रहा है। आप इन सब बातों को भूल कर और पदों के नशे में आकर यह एक्ट लगा रहे हैं, वाजिब नहीं है। आज स्वर्गीय डाक्टर श्यामा प्रशाद मुखर्जी के प्रति इतनी बड़ी प्रेम की लहरें क्यों थीं ? इसका यही कारण था कि सरकार द्वारा छोटी सी गलती हुई थी। यह एक्ट इसलिये लगाते हैं कि आप बगैर ट्रायल के उन लोगों को जेल में रख सकते हैं

यह कोई सभ्यता नहीं है और वेलफेयर स्टेट का भी यह काम नहीं है। आप सुव्यवस्था के लिए अच्छे कार्यों के लिये जनता से कर लें, जनता पर कर लगाएं किन्तु जनता यह महसूस करें कि हमारे फायदे के लिये ही यह कर लगाए गए हैं। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि इससे जनता आगे आयगी और आपको कर देगी। लेकिन कर लगाकर उस रकम को दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जावेगा तो जनता उसका विरोध करेगी। इस संबंध में मैं दूसरे मौकों पर वर्णन करूंगा कि किस प्रकार हमारे राज्य में फिजूल खर्चा किया जा रहा है। हमारी फाइनेन्स की हालत केन्द्रीय सरकार को भी मालूम है। वेलफेयर स्टेट के इस दावे को देखते हुए ही हमें ऑपोजिशन की ओर से यह स्टेप लेना पड़ा कि हम जनता की आवाज आपके पास पहुंचाएं। आप इस पद पर होने से अब जनता के साथ नहीं हैं क्योंकि आपका दृष्टिकोण बिल्कुल पलट गया है। आपका दृष्टिकोण इकतरफा है। इसीलिये हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि आपके दृष्टिकोण को सीधे रास्ते पर लाएं। क्यों नहीं आप जनता के हित की बात कर रहे हैं ? जनता के साथ क्यों अन्याय किया जाता है ? जो टैक्स लगाए जाते हैं उनको रोक कर कायदे के अनुसार क्यों नहीं आप काम करते ?

श्री भोगीलाल पांड्या—माननीय अध्यक्ष,...

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—एडजॉर्नमेन्ट मोशन जो हमारे सामने है उस पर दो घण्टे बहस होगी । विरोधी पक्ष के नेता ने पूरा एक घण्टा ले लिया है । इसलिए मैं दरियाफ्त करना चाहूंगा कि हमको भी जवाब देने का मौका दिया जायगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष—The motion will not be concluded unless a right of reply is given.

श्री पीपोलाल बाहव—माननीय अध्यक्ष, जो स्थिति जयपुर शहर में तीन दिन से पैदा होरही है उस पर दो पहलुओं से विचार करना है । सबसे पहला और मुख्य पहलू तो यह है कि क्या शहर में लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने में गवर्नमेंन्ट ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और दूसरा पहलू यह है कि क्या जो टेक्सेज लगाए गए हैं और जिनकी वजह से यह जो दुर्घटनाएं हुई हैं, क्या वे उचित थीं और क्या गवर्नमेन्ट ने उन पर विचार किया ?

तो सबसे पहले मैं लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति को लेना चाहता हूं । मुझे बड़ा दुःख हुआ यह देखकर कि दो दिन से ऐसा महसूस होता था कि राजस्थान में शायद कोई गवर्नमेन्ट ही नहीं रही और यह बिल्कुल खतम हो गई है । सड़क बंदी हुई है, आग लगाई जा रही है, सिनेमाओं पर हमले हो रहे हैं, किसी वक्त किसी तांगे वाले को और किसी वक्त किसी रिक्शे वाले को पीटा जा रहा है और कहीं कॉलेज के, स्कूल के स्टूडेन्ट्स पर पत्थर डाले जा रहे हैं । मेरी खुद की कार बंदी हुई थी, मैं तो कोई बचा गया था और पेट्रोल न होने से छोड़ गया था । पेट्रोल कहीं मिला ही नहीं । मालूम है कि गवर्नमेन्ट ने नहीं समझा कि हड़तालवालों के पास लोग थे ।

जो इन्तजाम बाद किया गया है क्या वह कलेक्टरों की ही वजह से है ? क्या वह इन्तजाम कल या परसों नहीं कर सकते थे ? क्या मिलिटरी नहीं थी या पुलिस नहीं थी ? मुझे यह देख कर एक बात याद आ गई । एक पुलिस के थानेदार खड़े हुए थे । लाठी चलने वाली है, मैंने कहा । उन्होंने कहा कि चल जाने दो, सिर फूट जावेंगे तब हम जावेंगे । यही बात हुई कि दो दिन लोगों को लूटने दें, पीटने दें; यह शोभनीय चीज नहीं । गवर्नमेन्ट को यह समझ लेना चाहिये था कि इस प्रकार की हड़ताल में हुल्लड़ बखेड़ा हो सकता है । रोड पेट्रोलिंग के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिये थी, जो नहीं की गई । मैं समझता हूं कि इन दो दिनों में दस हजार की सम्पत्ति का नुकसान हुआ होगा । सिनेमा के शीशे तोड़ दिए गए, छतरियों को उखाड़ दिया गया । मान लीजिये कि इससे फायदा उठा कर करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को भी नष्ट कर दिया जा सकता था तो भी कुछ नहीं था । मैं समझता हूं कि इन दो-तीन दिनों में गवर्नमेन्ट ने अपनी ड्यूटी अदा नहीं की और शहर में इस प्रकार की स्थिति पैदा होने दी ।

दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि हड़ताल होने के कारण लोगों को इस प्रकार का मौका मिला । इसको रोकने के लिए गवर्नमेन्ट को उपाय करना चाहिए था । सबसे पहले म्युनिसिपल कमेटी के कार्य को गवर्नमेन्ट द्वारा देखने का गवर्नमेन्ट का कर्तव्य था । उसका यह कर्तव्य था कि म्युनिसिपैलिटी जो यह टेक्स लगा रही है उसकी मंजूरी देनी है या नहीं । मैं यह मानता हूं कि हर जगह टेक्स के बगैर काम नहीं चलता है । जयपुर म्युनिसिपैलिटी के लिए यह कोई नहीं चाहता

[श्री गोपीलाल यादव]

इस म्युनिसिपेलिटी को, मेरा ख्याल है कि एक दिन में सुपरसीड कर देना चाहिये और कोई योग्य एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करके, अगर जरूरत हो तो नए कर लगाए जायं।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि(

जिनके हाथों में आज म्युनिसिपेलिटी है वे इस योग्य नहीं है कि उनकी मौजूदा जो पोलिसी है उसको चलने दिया जाय और नए कर लगा दिए जायें मुझे म्युनिसिपल कमेटी के एक माननीय सदस्य ने बताया कि आप असेम्बली में एक प्रस्ताव लावें कि एक अच्छे ऑडिटर से म्युनिसिपेलिटी के चार साल के अकाउन्ट्स (हिसाब) की जांच करवाई जाय जिससे जो अधिकारी और अफसर हैं वे जेल के अन्दर नजर आवें।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

उन्होंने कहा कि ऐसा करके आप जयपुर की जनता की सेवा करेंगे। मैंने उनको कहा कि इस प्रस्ताव को लाने की जरूरत नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिलूंगा और अगर वे हाउस के लोगों को एक बेसिस बताएंगे तो म्युनिसिपेलिटी के ऑफिस का चैकिंग करा दिया जावेगा। मैं आपके समक्ष सबसे पहली चीज यह कहना चाहता हूं कि जयपुर के लोगों की शिकायत है और मेरी भी दृढ़ धारणा है कि उनका रुपया बर्बाद हो रहा है। दूसरी चीज इस विषय में जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि आप गलियों में चले जाइए। मेन रोड्स से तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप जौहरी बाजार और चौड़े रास्ते की गलियों से निकल कर आजायं तो नामुमकिन बात है। इस कदर बदबू आती है कि सिर में चक्कर आ जाते हैं। जब उनसे गंदगी ही नहीं मिट सकती है तो वह कर क्यों ले रही है? इस कदर की गंदगी हिन्दुस्तान के किसी कोने में, किसी शहर में आपने नहीं देखी होगी। इस समय इस म्युनिसिपेलिटी की दस-ग्यारह लाख की जो आमदनी है वह कम नहीं है। तो हमें यह देखना चाहिए कि वह किस तरह से काम कर रही है। तीसरा, इसके साथ नए टेक्सेज का सवाल है। मैं यह निवेदन करूंगा कि टेक्सेशन के संबन्ध में एक नीति होनी चाहिए और वह यह है कि उससे पब्लिक को क्या फायदा पहुंच सकता है। उससे यदि आप चार पैसे ले रहे हैं तो क्या उसको छः पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह देखिये। जब पब्लिक से टैक्स लेते हैं और उसको कोई फायदा नजर नहीं होता है तो सिवाय इसके कि आन्दोलन हो, और क्या हो सकता है? चार साल पहले गवर्नमेन्ट को कस्टम्स ड्युटी बन्द करनी थी। चार साल का टाइम होगया है। पिछले बजट सेशन की बहस के वक्त में गवर्नमेन्ट की ओर से यह आश्वासन दिलाया गया था कि पांच साल में जरूर कस्टम टैक्स बन्द कर दिया जायगा। अब उस अवधि में भी एक साल का टाइम और रह गया है। पचास या ७५ प्रतिशत तो बन्द कर ही देना चाहिये था। इसमें कोई खास दिक्कत भी पैदा होने वाली नहीं थी। लेकिन कस्टम का इतना बोझा पड़ रहा है कि लोग उससे रिजेन्ट करेंगे और उसको रोका जाना जरूरी है। एक दलील यह भी दी गई है कि दूसरे शहरों में यह टैक्स चल रहा है। यह कोई उचित दलील नहीं है। तो इसके लिये मैं कह दूं कि संसार में तीन प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी को आप मार दीजिये, पीट दीजिये वह कुछ नहीं बोलेगा, दूसरे को पीट

Page No.53

[श्री गोपीलाल यादव]

दीजिये तो वह वापस चांटा मार देगा, तीसरे को पीट दीजिये तो वह अदालत में चला जावेगा। तो तीनों इन्सान तो हैं हीं। इसमें जयपुर के लोग ज्यादा आर्गेनाइज्ड (संगठित) हो सकते हैं, इस वास्ते वे आपकी इन हरकतों को बरदाश्त नहीं कर सकते और दूसरे शहरों में लोग यह बरदाश्त कर लेते हों। इसलिए इस चीज की दलील देकर कि चूंकि दूसरे दूसरे शहरों में ये टैक्स हैं, इसलिए जयपुर में भी आप टैक्स लगावें, यह तो उचित नहीं जंचता।

दूसरी चीज यह है कि टेक्सेशन का बोझा जितना राजस्थान की पब्लिक पर है उतना दूसरी जगह की पब्लिक पर कहीं नहीं है। इसलिये धीरे धीरे और जैसा उचित हो वैसा काम आप करिये। म्युनिसिपलिटी का इन्तजाम अच्छा करिये और मेरा तो यह कहना है कि आप इस पोइन्ट को अपना इलेक्शन का पोइन्ट बना लीजिये। इस म्युनीसिपलिटी की अवधि के समाप्त होने के बाद इसको आप समाप्त कर दीजिये। आप कहिये कि हम तो ऑक्ट्राय टैक्स लगाएंगे, हाउस टैक्स भी लगाएंगे जिस किसी की मरजी हो, हमें वोट दे (घंटी) अगर लोग आपको वोट देते हैं तो अवश्य लगाइये। पर इन्तजाम अच्छा चलाइये और लॉ एंड आर्डर को न बिगड़ने दीजिये। यही मुझे खास तौर से कहना है।

श्री भैरोंसिंह(१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में चार दिनों से चल रही हड़ताल के विषय में ज्यादा जानकारी देने को खड़ा नहीं हुआ हूं पर जो बातें मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने छोड़ दी हैं उनकी ओर ध्यान दिलाने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जयपुर में जनता का चुना हुआ म्युनिसिपल बोर्ड है और इस सदन के सदस्य भी चुने हुए हैं। जब जयपुर के म्युनिसिपल बोर्ड ने ऑक्ट्राय और हाउस टैक्स लगाये तो जनता ने उन्हें देने का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया, जितने भी शान्तिपूर्ण उपाय हो सकते हैं वे सब उसने अपनाये।

जयपुर शहर में जितनी भी राजनैतिक संस्थाएं थीं, जितने भी शिक्षित व समझदार आदमी थे उन्होंने सबने एकमत होकर इसका विरोध किया। राजस्थान में जो इन्टेलिजेन्शिया समझा जाता है, उस जयपुर की बार एसोसियेशन ने भी कल अपनी एक मीटिंग में इस बात का, इस टैक्स का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है कि राजस्थान सरकार को इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा देनी चाहिये और इसका जब तक कोई फाइनल डिसीजन (अन्तिम निर्णय) न हो तब तक इस टैक्स लेने के निर्णय को स्थगित कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अगर अन्य राजनैतिक संस्थाओं के बारे में मैं कहूंगा तो सत्तारूढ़ दल वाले यह कहेंगे कि वह सारे के सारे अल्पमत में हैं और उनकी पार्टी बहुमत में है, इसलिए अल्पमत वालों की बात बहुमत वाले मानने को बाध्य नहीं। पर फिर मैं उनकी जानकारी के लिए भी कहूंगा कि जयपुर नगर कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पास किया है और म्युनिसिपल बोर्ड से अपील की है कि वह अपने लगाये हुए टैक्सों पर पुनर्विचार करे। अब इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जयपुर की जनता, शहर के सारे नागरिक इन टैक्सों का विरोध करते हैं। फिर यह समझ में नहीं आता कि वहां पर कुछ माननीय सदस्य जो गिनती में दस-बारह हो सकते हैं उन्होंने ही सारी समझदारी का ठेका कैसे ले लिया? उनको कैसे

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

सत्ता सौंप दी गई कि जिसका दुरुपयोग करके कर लगा रहे हैं ? जब म्युनिसिपल कौंसिल का चुनाव हुआ तो इन्हीं सदस्यों ने, इनके बड़े बड़े नेताओं ने शहर की गली गली में घूम-घूम कर माइक्रोफोन के जरिये, बुलेटिनों के जरिये, पोस्टरों और पेम्फलेटों के जरिये जितनी भी कोशिश हो सकती थी, कोशिश करके कांग्रेस की तरफ से यह कहा कि वे कम से कम कर लगा कर म्युनिसिपल बोर्ड का संचालन करेंगे। पर आज इसके विपरीत ही इनके सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने जो कर लगाये, जनता ने इनका घोर विरोध किया और जनता अब भी हर संभव शान्तिपूर्ण उपायों से विरोध करने को तैयार है और करती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, आज यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सारे नगर में इस प्रकार के कितने व्यक्ति मिल सकते हैं कि इन टैक्सों का समर्थन करते हों। मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा पचास-साठ आदमी ऐसे मिलेंगे जो यह कह सकते हों कि जो यह टैक्स लगाये गये हैं वे वाजिब हैं। पर उनमें भी साहस नहीं है पब्लिक के बीच में आकर यह कहने का और वे यह नहीं कह सकते कि ये टैक्स वाजिब हैं। वे चाप-लूसी के लिये किसी मिनिस्टर साहब के सामने कह सकते हैं और दूसरे व्यक्ति के सामने कह सकते हैं पर उनमें तनिक भी हिम्मत नहीं, नैतिक साहस नहीं कि पब्लिक के बीच में खड़े होकर कह सकें कि ये टैक्स वाजिब हैं। वे नहीं कह सकते। उन्हें मालूम है कि जनता में किस प्रकार की भावना है। जनता जानती है कि टैक्स की कार्यवाही उनके विरोध में है। यह जनतन्त्र का युग है। अगर हमें स्वस्थ जन-तन्त्रात्मक परम्पराएं स्थापित करनी हैं तो जनता की इस भावना को कुचलने का मौका नहीं आने देना चाहिये। जनतन्त्रात्मक स्वस्थ परम्पराएं तभी कायम हो सकती हैं जब जनता द्वारा चुनी गई जनतन्त्रात्मक कहलाने वाली सत्ता जनता की भावनाओं को महत्व दे। अगर जनता किसी बात का विरोध करती है तो जनतन्त्र के इस युग में जनता की सरकार को उसे कुचलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये और न यह सोचना चाहिये कि उसके पास पुलिस है, फौज है, एटम बम है या और हथियार आ गये हैं इसलिये कोई सरकार के निर्णय का, चाहे वह कैसा ही हो कोई विरोध न करे और अगर कोई करेगा तो सरकार हिंसक उपायों से और अपनी सत्ता के बल पर उसे कुचलेगी; सरकार उस विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगी चाहे वह विरोध शान्तिपूर्ण उपायों से और अहिंसक ही क्यों न हो तथा विरोध करने वालों को जेल के सींकचों में रख देगी। मैं समझता हूं कि ऐसा सोचना किसी भी जनतन्त्रात्मक सरकार के लिये कभी शोभाजनक नहीं हो सकता। आज हिन्दुस्तान की सारी जनता हमारी तरफ टकटकी लगाये बैठी है कि राजस्थान की जनतन्त्रात्मक सरकार जनता की भावनाओं को कुचलने में किस प्रकार का काम कर रही है। वे यह आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जनतन्त्र सरकार जनता की भावनाओं को स्वीकार करेगी, उन्हें कुचलेगी नहीं।

जनता ने भी कोई मांग ज्यादा और गैरवाजिब नहीं रखी। उसका सिर्फ इतना कहना है कि कस्टम ड्यूटी के रहते हुए ऑक्ट्राय ड्यूटी नहीं लगायी जावे और जब तक इस म्युनिसिपल कौंसिल का प्रबन्ध ठीक नहीं किया जाता तब तक गृह कर नहीं लगाया जाना चाहिये और फिलहाल एक्सपर्टस् की एक ऐसी कमेटी बिठा दी जावे जो गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट का न्यारा पता लगाए कि कौन कौनसी

Page No.55

[श्री भैरोंसिंह (१६)]

ऐसी मद हो सकती हैं कि जो म्युनीसिपैलिटी को सौंपी जा सकती हैं। अगर फिर भी म्युनीसिपैलिटी की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके तो ऐसा कोई रास्ता कमेटी प्रोपोज करे जिससे आमदनी बढ़े और म्युनीसिपैलिटी का काम ठीक तरह से चले। जनता इसका विरोध नहीं करेगी, बल्कि स्वागत करेगी। अगर एक्स्पर्ट कमेटी की बात तय कर लेंगे तो न जनता सरकार का विरोध करेगी और न सरकार को ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिससे जनता की भावनाओं को कुचलना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जनता की यह मांग अनुचित नहीं है, उचित है; टैक्स लगाने का सवाल तो दूर की बात है। इससे पहले तो जनता मांग करती है कि क्या इन करों की आवश्यकता है भी या नहीं? यही बात आज इस तरफ बैठे हुए मेरे माननीय सदस्यों ने और कांग्रेस के सदस्यों ने भी कही है। श्री गोपीलाल यादव ने भी कहा कि म्युनीसिपल बोर्ड इसका सदुपयोग भी कर सकेगा किन्तु उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है तथा उसे पहले ठीक किया जावे। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। यह स्पष्ट है कि कस्टम के रहते हुए ऑक्ट्रॉय लगाना गैरवाजिब है और जब तक म्युनीसिपल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को ठीक करके उसका प्रबन्ध ठीक न किया जावे यह कर लगाना गैरवाजिब है। गरीब-अमीर सभी वर्ग पर बुरा प्रभाव इन टैक्सों का पड़ेगा, उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ जावेंगी। तो इस आधार पर मैं समझता हूं कि अगर जनता ने कोई विरोध किया है तो उसका यह विरोध बिल्कुल उचित है और उसको उचित मानते हुए सरकार को अपनी जिद्द छोड़ देनी चाहिये तथा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लेना चाहिये और यही स्पिरिट उसें यहां बतानी चाहिये। अगर जनता इस चीज का विरोध करती है तो हमारे सामने प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिये। जनतन्त्र के युग में जनता की आवाज को महत्व दिया जाना ही प्रतिष्ठा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताते हुए सरकार को कह देना चाहिये कि अच्छी बात है अगर हमें चुनने वाली जनता यह चाहती है कि उनका विरोध ठीक है तो वह भी इन टैक्सों को वापिस लेने को तैयार है। (घंटी) तथा एक्स्पर्ट कमेटी को हम स्वीकार करते हैं और इस प्रकार की एक्स्पर्ट कमेटी की आज ही घोषणा कर दे। यह सदन के लिये शोभा की चीज होगी।

एक चीज और निवेदन करूंगा कि जैसा मैं कह चुका हूं कि जितनी भी राजनैतिक संस्थाएं एवं शिक्षित विचारधाराओं के आदमी हैं उन सबने इसका विरोध किया है। सरकार के लिये यह शोभा की बात है कि इन सबको महत्व देते हुए जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को बनाये रक्खे।

उन सबने इस चीज का विरोध किया है और आशा लगाये बैठे हैं कि राजस्थान विधान सभा के इस अधिवेशन में राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार की घोषणा की जायगी जिससे जनतन्त्रवाद की स्वस्थ परम्पराएं कायम रह सकें और जनता के हित में कुछ लाभ हो सके। माननीय मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री अपने भाषण करने से पूर्व जनता की इस भावना को महत्व देंगे और इस प्रकार का हल निकालेंगे जिनसे जनता की भावना को किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचेगा और सरकार और जनता के जो आपसी संबंध हैं वे परस्पर अच्छे बने रहेंगे।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष व सदस्य गण............

श्री राव हिम्मतसिंह—Addressing the Members is not necessary.

श्री अध्यक्ष—Yes all the Members are represented by the Speaker.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्तशासन मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, ऑर्नमेन्ट मोशन में हड़ताल के बारे में जिक्र था और इसके साथ साथ म्युनिसिपैलिटी द्वारा लगाये जाने वाले ऑक्ट्रॉय और हाउस टैक्स की चर्चा करते हुए कुछ बातें यहां कही गयी हैं। मैं इस विषय में कुछ फेक्ट्स सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं जिन पर सबको गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। यह एक मानी हुई बात है कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी या लोकल बोडीज को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिये स्वावलम्बी होना जरूरी है। इस स्वावलम्बन की दिशा में राजस्थान की सभी लोकल बोडीज बढ़ रही हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यदि हम राजस्थान की दूसरी म्युनिसिपैलिटीज के बारे में विचार करें और उसके साथ साथ जयपुर म्युनिसिपैलिटी की तुलना करें या हिन्दुस्थान के दूसरे शहरों के प्रान्तों के बारे में यहां की म्युनिसिपैलिटी की तुलना करें तो हमको यह मालूम होगा कि जयपुर म्युनिसिपल टैक्स अन्य शहरों की म्युनिसिपैलिटियों के मुकाबले कुछ नहीं हैं।

जनता की भावना की बात जिस कदर बताई गई वह कहां तक सच है, इसके लिये मैं निवेदन करूं कि जनता को जो बातें बताई गई, जैसा कि इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि "ऑक्ट्रॉय टैक्स से यहां गरीब, यहां के नंगे-भूखे आदमी भी दुखित और पीड़ित होंगे। इस तरह का टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगाए, इससे अधिक दुःख की बात और क्या हो सकती है?" इस किस्म की बातें जगह जगह प्रचारित की गई। जिसके परिणामस्वरूप यह है कि जनता में से कुछ लोग इससे उभार खा जायं। यह जो सब बातें बताई गई वे सब, बिना ऑक्ट्रॉय के शिड्यूल को देख, उसको बिना जांचे, कही गई हैं। ऐसी बातें चाहे कोई भी व्यक्ति कहे इससे अधिक गैर जिम्मेदारी की बात और कोई नहीं होगी। ऑक्ट्रॉय के बारे में बोलते हुए सदन में जो कहा गया उसके लिये शिड्यूल जो मेरे पास है मैं उसके डिटेल में न जाकर आपको यही कहूंगा कि जो बातें कही गई हैं वे गैर जिम्मेदारी की बातें हैं और जब कोई गैर जिम्मेदारी की बातें प्रचारित करता है तो लोगों की भावनाएं यानि सेन्टिमेन्ट्स उभारे जा सकते हैं। कल एक बात यह भी प्रचारित की गई कि म्युनिसिपैलिटी ने मुर्दों पर भी टैक्स लगा दिया है, इसलिये एक मुर्दा लाश चौंदपोल के बाहर पड़ा हुआ है उस पर जब तक म्युनिसिपैलिटी के पांच रूपया टैक्स के नहीं दे दिये जाते उसको जलाने नहीं दिया जा रहा है; इस किस्म की बातें फैलाई गई। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय और यह देखा जाय कि इस टैक्स का असर कहां होता है और कहां नहीं। इस बारे में बोलते हुए यह भी बातें कही गई कि म्युनिसिपैलिटी अपनी जवाबदारी पूरी नहीं कर रही है, सफाई ठीक नहीं होरही है। थोडी देर के लिये यदि यह सब बातें मान भी ली जांय तो भी आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी यहां की म्युनिसिपैलिटी के आर्थिक सुधार का जरिया क्या है तथा उसके कितने फंड्स हैं, एवं उसका कितना खर्चा है; इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिये।

[श्री रामकरण जोशी]

मैं इस विषय में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। आज तक जयपुर म्युनिसिपैलिटी ने रोड-स्ट्रीट लेन्टर्न्स और वाटर पाइप्स का एक पैसा भी सरकार को नहीं दिया है। इसलिये आज तक वह पैसा उधार होते होते २० लाख रूपया बकाया सरकार का म्युनिसिपैलिटी में निकलता है। इस तरह से सरकारी आय के साधन म्युनिसिपैलिटी ने दबा रखे हैं। सरकार को उसके आय का हिस्सा नहीं दिया जाना, कहां तक उचित है? आज यह बात कही जाती है कि वाटर वर्कस और पॉवर हाउसेज म्युनिसिपैलिटी की सम्पति होनी चाहिये और वह म्युनिसिपैलिटी को लौटा दिये जाने चाहिये; इसके बाद यदि कुछ आमदनी की आवश्यकता हो तो वह पूरी की जा सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक वाजिब होगा? यहां पॉवर हाउस में जो करोड़ों रुपयों का इनवेस्टमैन्ट है, यह जयपुर म्युनिसिपैलिटी के फंड से बना हुआ नहीं है और न यह उससे तैयार किया गया है। यह फॉर्मर जयपुर के सारे यूनिट, जो उसके हिस्से थे उनसे और पुराने राजस्थान के हिस्सों से इसमें पैसा दिया गया है, यह स्टेट का पॉवर हाउस है इसमें राजस्थान के फंड से पैसा दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की दलीलें देकर यह कहा जाता है कि वाटर वर्कस और इलेक्ट्रिक डिपार्टमैन्ट म्युनिसिपैलिटी के अधीन कर दिये जाने चाहिये, यह ऐसी बात हुई कि किराया तक पास में नहीं और सोची जाती है पूरी गाड़ी पर कब्जा करने की बात।

आमदनी के बारे में मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने एन्टरटेंन्मेन्ट टैक्स (आमोदकर) म्युनिसिपैलिटी को दे रखा है, जब कि राजस्थान के बाहर हिन्दुस्थान के किसी भी हिस्से में एन्टर-टेन्मेन्ट टैक्स म्युनिसिपैलिटी को नहीं दिया जाता। यहां पर म्युनिसिपैलिटी को फीड करने के लिए यह टैक्स भी म्युनिसिपैलिटी को सरकार दे रही है, अपने आय के साधन को भी म्युनिसिपैलिटी को सौंप रखा है। इसके अलावा लैन्ड के बारे में भी कहा जाता है कि यह भी म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय, इसके बारे में मैं यह निवेदन करूं कि सेल ऑफ लैन्ड (भू-विक्रय) कार्य हिन्दुस्तान के किसी भी नगर या कस्बे में लोकल बोडीज को नहीं दिया जाता; किराये की आमदनी लोकल बोडीज़ ले सकती है। टेम्पोरेरी कन्स्ट्रक्शन बनाने की इजाजत म्युनिसिपैलिटी द्वारा दी जा सकती है। इस प्रकार के पॉवर्स यहां की म्युनिसिपैलिटी एन्जोय करती है। परकोटे के अन्दर की करीब करीब सारी मिल्कियत म्युनिसिपैलिटी की है। परकोटे के अन्दर की जितनी भी जमीन है उस सारी जमीन के सारे राइट्स म्युनिसिपैलिटी एन्जोय करती है। इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान के दूसरे नगरों की म्युनिसिपैलिटीयों को जो टैक्स से आमदनी होती है उसके मुकाबले हमारे जयपुर की म्युनि-सिपैलिटी की आमदनी को लिया जाय तो वह एक प्रकार से नगण्य साबित होगी।

जयपुर म्युनिसिपैलिटी की पर केपिटा (Per capita) टैक्स रेवेन्यु १ रु. २. आ. ९ पा. है। इसी के मुकाबले में इससे बहुत ही छोटे कस्बे हैं जो इसी राजस्थान में हैं उनकी पर केपिटा रेवेन्यु इस प्रकार है:—

१. प्रतापगढ़ में ३ रु. १२ आना. पर केपिटा है।
२. किशनगढ में ३ रु. ४ आना. पर केपिटा है।

[श्री रामकरण जोशी]

३. बूंदी में ३ रू. २ आना. पर केपिटा हैं।

४. कोटा में ३ रू. २. आना पर केपिटा हैं।

५. बीकानेर में ३ रू. १ आना. पर केपिटा हैं।

६. अलवर में ६ रू ४ आना. पर केपिटा हैं।

७. मेड़ता में ५. रू. १० आना. पर केपिटा हैं।

८. गंगानगर में ५ रू. ८. आना पर केपिटा हैं।

९. उदयपुर में ४ रू. २ आना. पर केपिटा हैं।

तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि आपके सामने यह बात है। यहां की पॉपुलेशन इस सेल को देन के बाद भी जितने कस्बों के मैंने आपके सामने नाम लिये हैं वहां पर की अरबन पापुलेशन पर म्युनिसिपल टैक्स इस तादाद से पर केपिटा ज्यादा देते हैं। जयपुर की अरबन पॉपुलेशन पर उस टैक्स के लगने के बाद भी १ रू. २ आना. ९ पा. पर केपिटा टैक्स पड़ता है। एमिनिटीज (Amenities) और फेसिलिटीज़ (Facilities) के लिए इस जगह और उन जगहों का अगर आप मुकाबला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ इस वक्त दूसरे टाउन्स के बजाय जयपुर शहर में ज्यादा दी हुई हैं।

इसके बाद मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि यह तो यहां की आमदनी का जरिया है। इन जरियों से यहां को जो वसूली होती है उनसे ५,३०,०००) रु० की आमदनी म्युनिसिपेलिटी को होती है। इसमें वह टैक्स और प्रॉपर्टी का किराया भी है। ५,३०,००० रू. सालाना की आमदनी यहां की म्युनिसिपैलिटी की है, किन्तु ९,४५,०००) रु० यहां की म्युनिसिपैलिटी को तनख्वाह और वेजेज़ देने के अन्दर बांटना पड़ता है। अब आप इस पर अन्दाजा लगाइये कि इस किस्म की म्युनिसिपैलिटी डवलपमेन्ट का क्या काम कर सकती है? जयपुर शहर में गन्दी और कच्ची गलियां हैं जिनका पेवमेंट नहीं हुआ है, वे पक्की नहीं बनी हैं, उनमें पानी भरता है और कीच सड़ता है। उसे उठाने के लिये कितना स्टाफ रखेंगे कि उस गन्दगी को दूर किया जाय। जब तक गलियां पक्की या पेव्ड नहीं होंगी, सड़कों पर पानी भरा रहेगा। इस तरह म्युनिसिपैलिटी अपनी आय की तीसरे महीने माहवारी तनख्वाह व वेजेज़ में खर्च कर देती है और उसकी आय को कोई साधन नहीं रहता है। इस बात की किसी की जिम्मेदारी मानी जाय, यह आपके समझने की बात है।

यह टैक्स म्युनिसिपैलिटी ने लगाया। देखना यह है कि टैक्स वाजिब है या गैरवाजिब है? वाजिब क्या होना चाहिए, यह बात मैं आपसे निवेदन करता हूं। सरकार का इसमें कोई दायित्व नहीं है। सरकार का इतना दायित्व जरूर है कि सरकार यह सुझाव देती है कि हर लोकल बोडी को अपनी जिम्मेदारी को खुद निबटाना चाहिए। अपने खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार आमदनी के जरिये बताती है और आमदनी को खर्चे के बराबर करती है। इसके बाद सरकार का कोई दबाव नहीं है कि म्युनिसि-

[श्री रामकरण जोशी]

पैलिटी कौनसा टैक्स लगाये और कौनसा नहीं। वे अपनी पसन्द का टैक्स लगाती हैं और जैसा कि सदन के सदस्य जानते हैं वे अपना काम चलाया करती हैं। जयपुर म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने ये टैक्स लगाने पसन्द किये, उसके बारे में विचार किया और मैजोरिटी ने फैसला किया कि बिना आमदनी को बढ़ाये वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते हैं। क्योंकि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के पास कोई आय का जरिया जरूर होना चाहिये, उस आय के जरियों के अन्दर कोई टैक्स लगाना चाहिए और कुछ सोच समझकर उन्होंने टैक्स लगाये। टैक्स लगाने के बाद उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, पब्लिश किया कि यह टैक्स लगाने का म्युनिसिपैलिटी विचार कर रही है। उसके पब्लिकेशन (प्रकाशन) के बाद जो ऑब्जेक्शनन्स आये उन पर विचार किया और जैसा भी उन्हें ठीक करना था कर लिया और उन्होंने उसे गवर्नमेण्ट के पास भेज दिया एप्रूवल (अनुमति) के लिए, क्योंकि गवर्नमेण्ट के एप्रूवल (अनुमति) के बिना कोई टैक्स नहीं लगा सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी यह कहा गया है कि २० मार्च, १९५३, को इस म्युनिसिपैलिटी की मयाद खत्म हो जाती है तो खत्म होने वाली मयाद की म्युनिसिपैलिटी की बात को सरकार ने कैसे माना है ? हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी ने एक दफे पहले लगाया था तो उस वक्त हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था। वह फैसला इस बात का था कि कुछ टैक्निकल मिस्टेक्स (Technical Mistakes) रह गई थीं। गवर्नमेण्ट एप्रूवल होने के बाद म्युनिसिपैलिटी की बैठक में उसका फैसला करके नोटिफिकेशन निकालना चाहिए और एक महीने की मयाद देनी चाहिए कि फलां तारीख से यह टैक्स लगेगा। यह टैक्निकल गलती उसमें रह गई थी, इसलिए वहां (हाईकोर्ट में) रिट मंजूर हुआ था और उसका फैसला इस किस्म से हुआ था :

"The High Court Order was not to the effect that House Tax could not be realized when it is legally imposed or that it should be imposed by October, 1953, or it was to be imposed from any other later date."

इस तरीके का यह फैसला था। उस फैसले का यह मतलब नहीं था कि हाई कोर्ट ने यह बात कही थी कि हाउस टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए तथा वह गैरकानूनी है, अतः नहीं लगाना चाहिए। यह बात दो वर्ष पहिले की है। सन् १९४९ में वह टैक्स लगा था। उस टैक्स के नहीं लगने से म्युनिसिपैलिटी की हालत इतनी खराब होती गई कि महीने की तनख्वाह को छोड़कर गवर्नमेण्ट के वाटर चार्जेज और बिजली के चार्जेज भी नहीं दिये गये हैं। इस प्रकार से उन पर वह रकम २० लाख रुपये की हो गई है। इतना ही नहीं माहवारी तनख्वाह बांटने के लिए वक्त वक्त पर जो रुपया गवर्नमेण्ट ने म्युनिसिपैलिटी को दिया है वह ९,५०,०००) रु. हैं। म्युनिसिपैलिटी पर इस किस्म का इतना कर्ज हो गया है। माहवारी तनख्वाह नहीं बटती है तो महतरों की हडताल हो जाती है। उस वक्त तनख्वाह देने के लिए गवर्नमेंट को लोन देना पड़ता है। बार बार वे गवर्नमेन्ट से यह कहते रहे हैं कि अब की बार टैक्स लगायेंगे, अब की बार आमदनी का रास्ता निकाल देंगे। इस किस्म की बात वे बराबर कहते आये हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह टैक्स जो कि गवर्नमेण्ट ने एप्रूव किया था, गवर्नमेण्ट ने सेंक्शन किया था। हाउस टैक्स तो दूसरी बार २७ फर्वरी सन् १९५२ को सेंक्शन हो गया था। उसके बाद भी सरकार की सेंक्शन के लिए इस म्युनिसिपैलिटी ने

[श्री रामकरण जोशी]

२० मार्च से बहुत पहले उसे भेज दिया था। अपने यहां रिजोल्युशन पास कर दिया था कि यह टैक्स गवर्नमेण्ट पास करके भेजे। इस तरीके से एक वार यह टैक्स १० दिसम्बर, सन् १९५२ को गवर्नमेण्ट से सेंक्शन हो चुका था, गवर्नमेण्ट ने १० दिसम्बर, सन् १९५२ को सेंक्शन कर दिया था। यह सब होने के बाद म्युनिसिपैलिटी ने अभी २५ जुलाई के गजट में यह बात निकाली कि १ सितम्बर से जो कि एक महीने की मयाद होती है, क्योंकि २५ जुलाई की मीटिंग में यह रिजोल्युशन पास किया, यह टैक्स लगाना चाहिए और २५ जुलाई के गजट में वह नोटिफिकेशन निकला और पूरी मयाद के अन्दर यह बात लोगों के सामने आ गई।

आप सब लोगों के सामने यह बात पेश करना चाहता हूं कि अगर किसी किस्म की बातचीत इस बारे में करनी थी और किसी किस्म का रिएग्जामिनेशन (Reexamination) या रिकन्सीडरेशन (Reconsideration) की बात थी तो उसका तरीका यह था कि उस बात पर विचार करने के लिए कोई साहब आते। एक डेपुटेशन का जिक्र अपोजिशन के माननीय नेता ने किया है कि एक डेपुटेशन मुझसे मिला था, लेकिन वह मुझ से, ३० तारीख की वे हड़ताल का फैसला करके २९ तारीख को मिलता है और कहते हैं कि ऑक्ट्राय टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऑक्ट्राय टैक्स ही नहीं बल्कि कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह भी उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने के पहले गवर्नमेण्ट देखे कि कौन से म्युनिसिपैलिटी की आमदनी के जरिये सरकार ने अपने पास रख छोड़े हैं, गवर्नमेण्ट ने कौन सी प्रोपर्टी (सम्पत्ति) म्युनिसिपैलिटीज को अपने कब्जे में कर रखी है; इस बात का फैसला करने के लिए हाई कोर्ट जज की मातहती में एक कमेटी बना देनी चाहिए और कमेटी का फैसला जब तक नहीं आये उस वक्त तक यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि हाई कोर्ट के जज साहब को रेफर कर दिया जायगा, अगर आप मुझे यह बतला देंगे कि कौनसी आमदनी के जरिये गवर्नमेण्ट ने लेकर रखे हैं, सो गवर्नमेण्ट जल्दी से जल्दी उन आमदनी के जरियों को म्युनिसिपैलिटी को दे दे और यह २० लाख और ९,५०,००० रु. का एडजस्टमेंट किसी तरीके से होगा। वह जरिये तो मालूम होने चाहिए कि कौन से जरिये ऐसे हैं जो म्युनिसिपैलिटी ने ले रखे हैं।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कस्टम के होते हुए आक्ट्राय टैक्स नहीं लगना चाहिए। राजस्थान के दूसरे हिस्सों की ३५ लाख की अरबन पॉपुलेशन आक्ट्राय के टैक्स को देती है और कस्टम भी देती है तो यह पक्षपात नहीं हो सकता कि यह टैक्स जयपुर शहर पर ही न हो। कस्टम का ही अगर सवाल हो तो कस्टम के सवाल के बारे में गवर्नमेण्ट से एप्रोच कीजिये। सदन में भी यह चर्चा कई बार हो चुकी है कि कस्टम राजस्थान में नहीं होना चाहिये। इस किस्म की बातें सदन के विचार के लिये आ गई हैं, उनको इस म्युनिसिपल टैक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जब तक म्युनिसिपैलिटी की आमदनी का दूसरा जरिया नहीं मालूम हो तब तक यह जारी रहे। यदि वह एक्सपर्ट कमेटी यह एप्रूव करले कि यह टैक्स जारी रहे तो टैक्स जारी रह जायगा, नहीं तो दूसरा टैक्स लगेगा और यह टैक्स नहीं लगेगा। उस टैक्स की टैकनीकेलिटीज में ४ महीने या ज्यादा लगें तब तक यह टैक्स जारी रहेगा। जब से यह टैक्स लवी होने लगेगा तब से यह टैक्स बन्द कर दिया जायगा। इस किस्म की बात उनके और मेरे बीच हुई थी।

[श्री रामकरण जोशी]

इसके बाद वे मेरे पास नहीं आये और उन्होंने अपने दूसरे तरीके अख्त्यार कर लिये । मुझसे मिलने के पहले वे एक्शन कमेटी बना चुके थे तथा एन्टी टैक्स कमेटी बना चुके थे । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें कही गई हैं वे ठीक नहीं हैं । माननीय जसवन्तसिंहजी ने जो बात कही है कि कस्टम टैक्स के होते हुए आक्ट्रोय गलत है और दूसरे म्युनिसिपल टैक्स गलत है तो मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे बीकानेर में चीफ मिनिस्टर थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट मिनिस्टर भी थे और उन्होंने खुद ने कस्टम के होते हुए आक्ट्रोय टैक्स लगाया था । उन्होंने तो रेलभाड़े के ऊपर भी दो आना प्रति टिकट टैक्स लगाया था । यह दूसरी बात है कि अब वे कहें कि हमें सस्ती वाहवाही लेनी है । मैं उनकी भावना को जानता हूं । उन्होंने अपने कार्यकाल में कस्टम के होते हुए आक्ट्रोय टैक्स लगाया था और वही टैक्स वहां पर माननीय जसवन्तसिंहजी के जमाने से अब तक चल रहा है ।

जयपुर म्युनिसिपैलिटी की तनख्वाओं का खर्चा ६ लाख रुपये हैं और फिर डेवलपमेण्ट की स्कीम आदि में एक-आध करोड़ रुपया चाहिये । किसी को अपने पैरों पर खड़ा रह कर ही अपना काम चलाना चाहिये । छोटी-बड़ी प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी ने यह टैक्स लगाया है । पहले लोगों को म्युनिसिपैलिटी से मिलना चाहिये था और कहना था कि शिड्यूल में अमुक टैक्स ज्यादा है या कम है, इसलिये इसमें कमी या बढ़ौती होनी चाहिये । म्युनिसिपैलिटी को एप्रोच करने के बाद यदि वह उस पर विचार नहीं करती तो गवर्नमेण्ट के पास आना चाहिये था और वैसी हालत में गवर्नमेण्ट जरूर मदद करती । यह तो कोई बात नहीं हुई और बात यह उठाई गई कि टैक्स बन्द करना चाहिये ।

पेट्रोल पर टक्स लगाया गया है और वह टक्स, जो लोग मोटरें रखते हैं, उनको देना पड़ता है । ऐसी आराम की चीजों पर टैक्स है । जरूरी वस्तुओं पर टैक्स नहीं है, जैसे खाद्य सामग्री पर टैक्स नहीं है, कोटन क्लोथ पर कोई टैक्स नहीं है, पर सिल्क पर टैक्स है । लाली, लिपस्टिक, हेयर ऑइल या ऐसी चीजों पर टैक्स है जिन्हें ऐसे आदमी इस्तेमाल में लाते हैं जो जरूरत से बचाकर ऐसे कामों में खर्च कर सकते हैं । टैक्स म्युनिसिपैलिटी ने बहुत सोच-समझ कर लगाया है और ऐसे लोगों पर लगाया है जो इसका वजन संभाल सकते हैं । इसके अलावा यह टैक्स रिफन्डेबल भी है । जिस माल का कंजम्पशन जयपुर में नहीं होता है ऐसे माल पर यदि टैक्स लिया गया है तो वह रिफन्ड कर दिया जायगा । इसके अलावा कोई मुसाफिर है तो उसको कोई नहीं पूछता । इस पर भी समझदार आदमी यह कहते हैं कि यह टैक्स मुर्दों पर लगाया गया है और फी मुर्दा ५, रु० लिये जायेंगे तो इसका असर आप चाहें जैसा हो सकता है । इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी की आमदनी गवर्नमेन्ट में आती है, ऐसी कोई बात नहीं है । यह विन्डक्टिव एटिट्यूड नहीं है, प्रेस्टिज का सवाल नहीं है । जैसा गोपीलालजी ने बताया ऐसी बात में यदि कोई पकड़ा गया होगा या, किसी ने ऐसा काम किया होगा तो उसके बारे में मुख्य मंत्री जी बतायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ड्यूटी में कोई गलत बात हुई है तो उस पर विचार करने के लिये कोई समझदार आदमी रिप्रेजेन्टेटिव के तौर पर या साधारण आदमी बात करे तो मैं तैयार हूं । लेकिन यह कहना कि म्युनिसिपैलिटी बदनाम है, सफाई नहीं करती तो उनके लिये मैं कहूं कि १रु. २ आना ९ पा. टैक्स के रूप में देते हैं और उस पर तुर्रा यह कि हमारे लिये यह होना चाहिये, वह होना चाहिये : तो यह दोनों बातें नहीं हो सकतीं । ये जो दो टैक्स लगाये

Page No.62

[श्री रामकरण जोशी]

गये हैं उनकी आमदनी ६ लाख रुपये सालाना होती है। यदि ६ लाख रुपया होता है तो २ रु. पर केपिटा पड़ जाता है और कुल मिलाकर ३ रु. ९ पा. पर केपिटा होता है जो कई बड़े शहरों से और छोटे शहरों से कम होता है। किशनगढ़ में ३ रु. ४ आ. पर केपिटा यह टैक्स पड़ता है।

ऑडिट कराने की जो बात कही गई उस बारे में निवेदन है कि दो बार तो मेरे जमाने में ही मैं जांच करवा चुका हूं। यदि ऑडिट करने पर यह मालूम होगा कि कोई आदमी गलती पर है तो वह सजा पायगा। यह पब्लिक फंड है, इसमें गड़बड़ी सहन नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ऑडिट करवा लीजिये, कमेटी की जांच करवा लीजिये, पर सवाल तो यह है कि टैक्स नहीं लगने चाहिये। अब आप ही विचार कीजिये कि यह कहां तक वाजिब है? जनरल रेवेन्यु में रूरल एरियाज से जो रकम आती है उस रकम को शहरों की फैसिलिटीज, एमिनिटीज में ही कैसे खर्च किया जा सकता है? आप चाहते हैं कि जयपुर म्युनिसिपेलिटी को गवर्नमेन्ट डिपार्टमेंट के तरीके से ट्रीट करना चाहिये; जब कि बूंदी, किशनगढ़ आदि छोटी म्युनिसिपेलिटीज अपना खर्चा आप चलाती हैं। या तो आप यह कहिये कि राजस्थान की १६० म्युनिसिपेलिटीज को भी सारा खर्चा गवर्नमेन्ट से मिलना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस किस्म की बात आपने समझी है वह गलत बात है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह भटरू—एक बात रह गई है, उसको भी साफ कर देते तो अच्छा रहता और वह यह है कि क्या इस म्युनिसिपेलिटी की अवधि २० मार्च तक एक्सटेण्ड हो गई थी और एक्सटेन्ड (Ex.e..d) करने के बाद भी अब उसकी अवधि २० सितम्बर को खत्म होने वाली है? इतना और बता देते तो सहूलियत होती।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी पक्ष के नेता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया। मैं धन्यवाद इसलिये नहीं देता हूं कि उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, बल्कि धन्यवाद इसलिये देता हूं कि बहुत सारी बातें कह कर सरकार को अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखने का मौका दिया।

म्युनिसिपेलिटियों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस जमाने में यहां एकतंत्र शासन था राजस्थान की भिन्न भिन्न रियासतों की इस जमाने में जो राजधानियां थी उनकी म्युनिसिपेलिटियों के ऊपर खासतौर से महरबानी थी और देहातों से जितने रुपये आते थे उनका ज्यादा खर्चा राजधानियों को खूबसूरत बनाने और उनको ज्यादा महत्व देने में लगाते थे। हम यह महसूस करते हैं कि अब भी राजधानी में सुविधाएं हों, लेकिन साथ ही इतना जरूर महसूस करने लग गये हैं कि राज्य की सरकार से राजधानी की म्युनिसिपेलिटी को कुछ सहायता देते हुए भी जो सहायता हम जयपुर, जोधपुर, बीकानेर-सभी देते हैं जबकि राजधानी के लोगों को देहातों के मुकाबले में पढ़ाई, दवाई, सफाई, रोशनी, पानी और दूसरे सीगों में भी सुविधाएं हैं तो उन्हें खर्च में भी कुछ हाथ बटाना चाहिये और उनको बाहर की आमदनी पर मुनस्सर नहीं रहना चाहिये।

[श्री जयनारायण व्यास]

राजधानी से देहात के लोग भी माल ले जाते हैं वे भी कस्टम का भार भोगते हैं, परोक्ष रूप से उनको भी भोगना पड़ता है। यह सरकार की पोलिसी रही है कि जनरल रेवन्यु से पुरानी राजधानीयों को सहायता जरूर दी जावे। जिस तरह से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को मदद दी जाती है उसी प्रकार पुरानी राजधानियों को भी मदद मिलनी चाहिये। मगर यह नहीं हो सकता कि कोई भी टैक्स राजधानियों पर नहीं लगाया जाय। जब उन पर टैक्स लगाया जाता है तो कहते हैं कि यह टैक्स ठीक नहीं है, आप दूसरे लगा सकते हैं। मैं विरोधी पक्ष के नेता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे आप हमें यह कहते हैं कि हाउस टैक्स, ऑक्ट्राय, सेल्स टैक्स नहीं लगने चाहियें, इनके स्थानों पर दूसरे टैक्स लगने चाहिये तो हर एक टैक्स जो लगाया जाता है उसके बारे में यही कहा जायगा कि टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये। मैं आपका बड़ा आभारी होता अगर आप इस संबन्ध में कोई रचनात्मक सुझाव देते कि कौनसे टैक्स लगाये जाने चाहिये। आपने टैक्सों को न लगाने के संबन्ध में तो कहा है लेकिन उनकी जगह कौनसे टैक्स लगाए जायं, यह नहीं बतलाया।

यह कहा गया है कि जयपुर में सेन्ट्रल रवेन्यु से खर्च किया जाना चाहिये। अगर ऐसा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जैसा मेरे साथी ने कहा है। मगर यह प्रस्ताव मेरी तरफ से नहीं आया है, यह विरोधी पक्ष की तरफ से आ सकता है। मगर मैं यह कहूंगा कि विरोधी पक्ष और दूसरे सब लोग इसका विरोध करेंगे। हम सरकार के कुछ आदमी चुप-चाप बैठ जावें उससे सभी लोग चुप-चाप बैठ जाएंगे, यह बात होने वाली नहीं। वे सब लोग उसका विरोध करेंगे: इसलिए मैं यह कहूंगा कि हमें आर्थिक दृष्टिकोण व्यवहारिक रखना चाहिये।

चीफ मिनिस्टर होने के नाते व पुलिस का विभाग भी मेरे पास ही होने से मेरा मुख्य काम शांति और व्यवस्था को बनाए रखने का है। शांति और व्यवस्था के संबन्ध में मुझे थोड़ी सी बातें आपसे कहनी थीं। मुझे दो बातें सुनने में आई:

(१) कि लोगों की धर-पकड़ की गई और उनको विना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया और उनके साथ अन्याय किया गया है; और,

(२) जैसा कि श्री गोपीलालजी यादव ने कहा कि बड़ा जुल्म हो रहा है; कहीं आग लगा दी जाती है, तो कहीं मोटरों के काच तोड़ दिये जाते हैं, उनकी मोटर के कांच तोड डाले गये, पेट्रोल पम्पों पर कोई इन्तजाम नहीं: इत्यादि।

मैं यह कहूंगा कि पेट्रोल पम्पों पर कोई आग नहीं लगी। कई जगह मोटरों के कॉच तोड़े जाने और पत्थर फेंके जाने की घटनाएं हुई? इसका कारण यह था कि यहां टैक्स-विरोधी-समिति बहुत पहले बनी थी और जैसी हमारी मारवाड़ी में कहावत है,'भींद पन पनाकडे होते हैं' उसी प्रकार हुआ। "भींद पन पनाकडों" के हर सावे फेरे होते हैं और हर साल वे योंही हो जाते हैं। ये भी इसी तरह की मांग करते हैं और हर एसेम्बली सेशन के अवसर पर और एसम्बली सेशन के पहले टंटा लाने की कोशिश करते हैं। चाहे कानून जुलाई में पास हुआ हो, चाहे मार्च में पास हुआ हो वे तो डेप्युटेशन एसेम्बली सेशन से

[श्री जयनारायण व्यास]

पहले ही लाना पसन्द करेंगे। इसके पहले भी किशनगढ़ मिल प्रश्न को भी विधान सभा के पिछले सत्र के अवसर पर ही उठाया गया था।

इसलिये हम भी यही सोचते हैं और यही कल्पना करके चलते हैं कि इस सेशन में भी कोई न कोई ऐसी बात पैदा होगी, इसलिये एसेम्बली के बाहर पूरा इन्तजाम करना चाहिये। दूसरा पहलू हमारे ध्यान में नहीं रहता। इस बार यह जो योजना बनी इसकी कल्पना मुझे नहीं हुई। इसकी कल्पना अब इस लिये हो रही है कि जिन क्षेत्रों में नुकसान किया गया वे चुने हुए स्थान थे; चांदपोल से मिश्रराजाजी के रास्ते तक। इसका मतलब यह है कि इसकी पूर्व योजना थी।

सिनेमाघरों के कांच तोड़े गये, स्कूलों के विद्यार्थी जो शामिल नहीं हो रहे थे वहां भी लोग पहुंचे और कहा कि तुम निकलो और जो नहीं निकले और निकलने से जिन्होंने इन्कार किया उनको पीटा गया। इस हुल्लड़ बाजी के विषय में तो यही कहूंगा कि यह हुल्लड़ बाजी हुई है। हुल्लड़ में जो जाता है उसकी पगड़ी उछाल दी जाती है, यदि कोई जाए तो उसको थप्पड़ या चांटा लगा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई भी सज्जन आदमी इस प्रकार के हुल्लड में जाने की हिम्मत नहीं करता और इस प्रकार की हुल्लडबाजी का समर्थन करना न्याय की बात भी नहीं है। मैं इसका सारा इतिहास आपको सुनाना चाहता हूं। श्री गोपीलाल जी ने कहा कि आपने इसका इन्तजाम पहले क्यों नहीं किया। विरोधी दल के नेता ने भी बहुत कुछ बातें कही।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—मैंने तो यह कहा कि यदि सरकार प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट काम में लावेगी तो हमको विरोध होगा।

श्री जयनारायण व्यास—इस एक्ट के अलावा दूसरी बातों को तो आपने मंजूर कर लिया। जहां तक मैं सुन पाया, "ज्यादती" और बहुत से शब्द ऐसे आपने कहे हैं जिनको मैं पेश भी कर सकता हूं अगर आप अपनी सारी स्पीच को इस एक्ट तक ही सीमित रखते और दूसरी चीजों को नहीं रखते तो दूसरी चीजों को दूसरे के खाते में डाल देता हूं।

श्री हिम्मतसिंह (६१)—क्या खाते खोल दिये हैं?

श्री जयनारायण व्यास—फाइनेन्स मिनिस्टर होने के नाते खाते रखने पड़ते हैं। मैं इन दो तीन चीजों के बारे में कहना चाहता हूं। हड़ताल होने से पहले यह तांगे में एलान किया गया था कि सप्ताह भर तक हड़ताल रखी जायेगी, आप लोग इसका प्रबन्ध कर लें, वरना आपको तकलीफ होगी। ऐसे एलान करने वालों और तांगेवालों को हमने नहीं रोका। यदि हम रोक लेते तो आप लोग कहते कि किस कानून से रोका? मैं यह कहूंगा कि हडताल करने का वाकई उनको कानूनी अधिकार है। मगर उस एलान के बाद हडताल पूरी नहीं हुई और अधूरी हडताल भी इस डर से हुई की टंटे में कौन पड़े। जब लोगों को मालूम हुआ कि अधूरी हडताल हुई और कुछ दुकानें खुली हैं तो जो लोग हडताल की योजना कराये हुये थे उन्होंने यह किया कि जो जो दुकाने खुली थीं वहां पर हुल्लड बाजी की। तो दूसरे दिन तारीख ११ को जो दुकानें पहले दिन खुली थी वहां पर हुल्लडबाजी की गई। रविवार को आम तौर पर

[श्री जयनारायण व्यास]

दुकानें बन्द रहती हैं। ३१ तारीख को जाकर कुछ लोगों ने हुल्लड़बाजी की और मार पीट की, जिसके कई केसेज़ बने हैं और वे केसेज़ बकायदा कानून से बने हैं। वे सब सामने आते रहेंगे और बहुत मुमकिन है कि और भी केसेज़ सामने आयें, जिनके कारण दुकानें बन्द हुई।

जब सरकार के सामने ऐसी बात आई तो सरकार यह तो नहीं कह सकती कि तुम दुकानें खोल दो क्योंकि उनका यह अधिकार है कि वे दुकानें बन्द रख सकते हैं और हड़ताल कर सकते हैं। हम मना नहीं कर सकते कि तुम हड़ताल क्यों करते हो। मगर जो लोग जबरदस्ती हड़ताल कराते हैं उनको तो रोकना सरकार का फर्ज हो जाता है। यह काम तो जनता का है कि वह उन हड़तालियों से पूछे कि तुम हड़ताल क्यों करते हो।

जब हमने देखा कि शांति और व्यवस्था इससे बिगड़ती है तो हमने पुलिस को भेज दिया। हमने न १४४ धारा लगाई, और न गोलियां चलाई, न बन्दूकों को काम में लिया और न टीअर गैस ही काम में लिया और न लाठी चार्ज किया। मगर जो लोग जबरदस्ती दुकानें बन्द कराते और दूसरों के साथ जबरदस्ती करते थे उनको रोका। इतना होते हुए भी बहुत सी घटनायें घटीं। पुलिस पर पत्थर मारे गये। हमने बरदाश्त किया। हमको यह कहा गया कि जब पुलिस वालों पर पत्थर पड़े तो वह सरकार हुल्लड़बाजों को कैसे रोक सकेगी। एक बार पत्थर भी पड़े तो भी पुलिस ने बरदाश्त किये। यदि शांति और व्यवस्था को खतरा होता तो हम १४४ धारा को काम में लेते, टीअर गैस भी काम में लेते और जरूरत पड़ती तो दूसरे साधन भी काम में लेते। इस हड़ताल में और गड़बड़ी करने में षड़यंत्रकारी और गुन्डे थे जिन्होंने यह सारा पार्ट प्ले किया और गड़बड़ पैदा की स्कूलें बन्द कराने के लिये और जबरदस्ती दुकानें बन्द करवाने के लिए।

इसी तरह का एक डेप्युटेशन कुछ बदमाशों और गुन्डों के साथ चेअरमेन म्युनिसिपल बोर्ड के मकान पर पहुंच गया। एक हमारी एसेम्बली के सदस्य भी उसमें शामिल थे और उन्होंने उनका आना जाना बन्द कर दिया और हुल्लड़बाजी की, जो बाद में आपको अदालत के जरिये से मालूम होगा, जिन का जिक्र करना यहां ठीक नहीं होगा।

ऑक्ट्रोय लगाई गई तो ऑक्ट्रोय पोस्ट को ही जला दिया गया। चांदपोल दरवाजा बन्द कर दिया गया और साइकिल और रिक्शों वालों को नहीं निकलने दिया गया। यह सब होता देख कर पुलिस को कार्य करना पड़ा और शान्ति और व्यवस्था की गई। मैं सन्तोष के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद शान्ति और व्यवस्था बनी है। उस व्यवस्था को बनाए रखने में जिन लोगों ने हिन्सा की, मारपीट की, कानून को हाथ में लिया है उनको जो पकड़ने में आये हैं, उनको पकड़ लिया गया है। जिन लोगों ने इस प्रकार का षड़यन्त्र किया और जिनको कानूनी दायरे में लेने में दिक्कत आती है, जिनको बिना पकड़े शान्ति और व्यवस्था कायम नहीं हो सकती थी उनको प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिया गया है और आज जो आप शान्ति और व्यवस्था देख रहे हैं, वह नहीं हो सकती थी। हमारी कभी इच्छा नहीं है कि हम दमन करें। जहां कहीं इस प्रकार गड़बड़ी होती है तो लाठी बरसाते हैं, किन्तु हमने १४४ धारा तक नहीं लगाई। आप देखेंगे कि ज्यादा शान्ति होने वाली है।

Page No.66

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट इसीलिए लागू किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट उन लोगों के लिए काम में लिया जाता है जो पीठ के पीछे काम करते हैं, हिन्सा को बढावा देते हैं और उसे काम में लेते हैं,

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

किसी भी कार्य से लोगों को लुटवाते हैं, मोटरों को रोकते हैं इत्यादि। ऐसे लोग पीठ के पीछे इस प्रकार की कार्यवाही करवाते हैं, उनके लिए तो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट मामूली है। ऐसे व्यक्तियों के लिये इससे भी सख्त कानून होना चाहिए और ऐसे समाज-विरोधी तत्वों को कुचल देना चाहिये।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह समझा हूं कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट जैसा कानून कोमन कानून है: तो मैं यह कहूंगा कि इस डेमोक्रेटिक स्टेट को धिक्कार है। अगर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के संबन्ध में पार्लियामेन्ट में इसकी बुनियाद को देखेंगे तो आपको इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। मैं तो मुख्य मंत्री जी से यही समझा कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट को किसी भी आदमी पर लागू किया जा सकता है और वह भी मामूली कानून के तरीके पर ; हम भी देखेंगे......

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं फिर दुबारा ध्यान में ला देना चाहता हूं कि यह कानून कोमन कानून के तरीके पर नहीं लगाया गया है। पर गैर मामूली तरीके से और मामूली तरीके से जो वातावरण गन्दा कर रहे थे उस वक्त लगाया गया है। जो पीठ के पीछे हिन्सा को उकसाने का कार्य कर रहे थे उन पर लगाया गया है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—शेख मोहम्मद अबदुल्ला ने भी प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट लगाया था. उनका क्या हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—आप बख्शी गुलाम मोहम्मद से पूछ सकते थे।

("आगे की कार्यवाही कल हो" इस प्रकार की सदन में आवाज)

श्री अध्यक्ष—No, it cannot be. It must be wound up today.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अब मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। थोड़ा सा म्युनिसिपैलिटीज के बारे में कहा गया है। मेरे साथी ने यह बताया था कि बूंदी, कोटा, जोधपुर ने जयपुर की ही तरह टैक्स देना मंजूर कर लिया है। मैंने बाहर के स्थानों को भी देखने की कोशिश की है। मद्रास में पर केपिटा पांच रुपया छः आने, वेस्ट बंगाल में तीन रुपया सात आना आठ पाई, सी.पी. में जो हमारी ही तरह बड़ा है छः रुपया एक आना तीन पाई, पंजाब में दो रुपया चौदह आना सात पाई है। अगर राजस्थान के सारे एरिया को लिया जाय तो दो रुपया चार आना और जयपुर में दो रुपया नौ आना है। यह सब होते हुए भी मैं चाहता हूं कि सब टैक्स लगा कर म्युनिसिपेलिटी अपना खर्चा बर्दाश्त करे। टैक्सेज का विरोध करने वालों में दो-तीन तत्व आ गए हैं। कॉम्युनिस्ट तत्व हर जगह Chaos (गडबडी)

(श्री जयनारायण व्यास)

पैदा करने की कोशिश करता है ; खास तौर पर जब कि असेम्बली होती है उस वक्त गडबड़ी होनी ही चाहिए। उसके अनुसार अगर गडबडी न हुई तो असेम्बली ही क्या हुई ? जितने भी विरोधी तत्व है वे उसमें शामिल हो जाते हैं । पंजीपतियों को ऑक्ट्रोय से कोई घबराहट नहीं, किन्तु वे तो घबराते हैं हाउस टैक्स से । जिनके बडे-बडे मकानात हैं वे चाहते हैं कि हाउस टैक्स न लगे। इन मकानों में पाखाना रखने की तो वे मांग करते हैं और पाखाना गन्दा करते हैं जिससे श्री गोपीलालजी को गलियों में जाने से दिक्कत पैदा हो जाती है, फिर भी हाउस टैक्स के बारे में श्री जसवन्तसिंहजी कहेंगे कि हाउस टैक्स लगाना अच्छा नहीं है ।

(हंसी)

अब मेरी समझ में नहीं आता है कि क्या करें ? बीकानेर में और जोधपुर में राजाओं के जमाने थे तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। कहते हैं कि उनका इकबाल था किन्तु मैं कहता हूं कि उनका डंडा था । इतना होते हुए भी वहां सिडीशियस एक्ट्स (Seditious Acts.) पास किए गए थे, मैंने तो जोधपुर में पास नहीं किया था किन्तु बर्दाश्त जरूर किया होगा और कुँवर साहब ने पास किया होगा ।

(हंसी)

श्री जसवन्तसिंह--अब आप पास करते हैं और हम बर्दाश्त करते हैं ।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)--मैं यह सोचता हूं कि आप हिंसा में पडेंगे नहीं और यह आप पर लागू होगा नहीं । इसलिए आप बहुत शान्ति से पीसफुल्ली (शान्ति पूर्वक) असेम्बली में रहें, फिर कैलाश की यात्रा पर भी कहीं जावें । मैं समझता हूं कि मैं हाऊस का ज्यादा समय न लूं । मैं कहना चाहूंगा कि हाउस को विरोधी पक्ष ही सलाह दे दे कि इस स्थिति में जयपुर का क्या करना चाहिए । कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप जयपुर के हो गए हैं, जयपुर द्वारा ही सारे फायदे उठाए जा रहे हैं ; ये हमारे ऊपर चार्ज लगाये जाते हैं। जयपुर में ज्यादा कैसे खर्च नहीं होगा ? यह राजधानी है और राजधानी के लिहाज से भी अधिक खर्च करना पडता है। यहां की म्युनिसिपैलिटी को आउट आफ दी वे (out of the way) जाकर भी ज्यादा सहायता देनी होगी । यहां पर बहुत से लोगों के आ जाने की वजह से भी अधिक खर्च और अधिक साधन जुटाने पडते हैं। इस बात की जरूरत को समझते हुए भी कि जयपुर में टूरिस्ट (tourist) आते हैं, अतः मकानात साफ होने चाहिएं, सडकें साफ होनी चाहिए, गलियां साफ होनी चाहिए और उनमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए; किन्तु आखिर में पैसा आवे कहां से ? कॉलेज और स्कूल्स बढ़ा दिए गए, अस्पताल बढ़ा दिए गए, सड़कों की लम्बाई-चौडाई बढ़ाई गई, इनको मेन्टेन करने में स्टाफ पर पहले से अधिक खर्चा हुआ । खर्चा तो बढा दिया जाय किन्तु टक्सेज़ न बढाए जाएं, मैं समझता हूं कि यह बात समझ में आने लायक बात नहीं है । मैं विरोधी पक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि व रचनात्मक सुझाव दें जिससे ठीक रहे ।

श्रीराज हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१)--कब दें ?

(एक सदस्य "कब देने आवें")

श्री जयनारायण व्यास (जारी)—

ऐसी एक धारणा है कि चूंकि विरोधी पक्ष है इस वास्ते उसकी कोई वाजिब बात भी स्वीकार न करेंगे, ऐसा हमारा कोई मत नहीं है। पर कभी कभी सुनने और देखने में आता है कि विरोध के खातिर कहीं न कहीं विरोध में बोल ही देना चाहिये। मैं विरोधी पक्ष से और सभी सदन के माननीय सदस्यों से, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह स्पष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे सभी ऐसे हुलिगनिज्म (दुक्कड़बाजी) को, जो होता है, कुचलने में हमारी मदद करें। ये जो हिंसा फैलाने वाले तत्व हैं और लुके-छिपे गड़बड़ पैदा करते हैं इनको एबनोर्मल (गैरमामूली) तरीके से कानून बनाकर भी दबाने की जरूरत पड़े तो वे इसमें भी हमारा समर्थन करें। मैं यह वाजिब चीज समझता हूं। पर गड़बड़ हो जावे तो भी करें और गड़बड़ न होने पर सरकार अगर उसे न रोके तो भी वे नाराज हों और कहें, "ला एन्ड आर्डर मेन्टेन नहीं हो पाता"; तो यह जो स्थिति है इसे भी साफ कर दूं।

मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इस गड़बड़ के बारे में भी बता दूं कि १३ आदमी तो पकड़े गये हैं, जिन्हें नजरबन्द रक्खा गया है और करीब ८० आदमी शहर में गड़बड़ियां करते हुए पकड़े गये थे। इनमें कुछ पर मुकद्दमे चलने थे जिनमें से २५ आदमियों ने माफी मांग ली है और कुछ लोगों ने जमानतें दे दी हैं। ये अगर फिर भी गड़बड़ करेंगे तो फिर पकड़ लिये जावेंगे और फिर अफसोस जाहिर करेंगे तो छोड़ दिये जावेंगे।

(राज्य-पक्ष से "हियर-हियर" की आवाज)

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—रचनात्मक सुझाव यह है कि —— . . . .

श्री अध्यक्ष—No. no. The house is now adjourned to meet tomorrow at 8-30 A.M.

(सदन की कार्यवाही १२-५२ पर दिनांक ३ सितम्बर, १९५३ को ८-३० प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२ सितम्बर, १९५३.

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

————

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गए तथा जिन्हें प्रकाशित कराने की संबन्धित मंत्रियों की अनुमति है)

१. (१/एस.एम.) श्री सरदारसिंह, एम.एल.ए., डिविजन नम्बर १३७:—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) फीस्टिंग कण्ट्रोल ऑर्डर सरकार ने जिस मंशा से जारी किया है; क्या वह पूर्ण हो चुकी है ?

(२) इस ऑर्डर की तहत में अब तक इयर वाइज़ किस कदर केसेज़ दायर हुए और कितनों में कन्विक्शन हुआ ?

(३) क्या यह भी सरकार के इल्म में है कि इस ऑर्डर को जारी रखने में सरकार व जनता को लाभ न होकर करप्शन बेइन्तहा बढ़ा है ?

(४) अगर है, तो अब इस प्रतिबन्ध को उठाने के सिलसिले में सरकार के क्या विचार हैं ?

(५) फीस्टिंग कण्ट्रोल ऑर्डर की तहत में सरकार से कितने जीमन के परमिट इश्यू हुए हैं ?

उत्तर

(1) The Rajasthan Food Consumption (Restriction) Order, 1949, is the outcome of Food Ministers Conference held at Delhi in 1948, and is based on All India Policy with few variations to suit the local conditions. In the opinion of the Government the contingency is not over. The situation is being constantly watched and the Govt. have become liberal and amendments have been made in the above Order, whereby the limits for feasting at the time of son's and daughter's marriages have been raised to 200 exclusive of the members of the household. Further, in the case of daughter's marriage three feasts have been allowed when the marriage party comes from outside. In the case of community feeding liberal terms have been given and local officers are now authorised to issue permits in routine.

(2) Detailed information is furnished below:—

Year	Cases Registered	Cases Convicted	Remarks.
1951	14	3	32 cases are pending in Court and Police, four cases were discharged and in 8 cases final report was given.
1952	24	..	
1953	9	..	

(3) No reports have been received leading to the inference that this order has led to courruption.

(4) In view of the observations made at item (3) above, no action is necessary at item No. (4).

(5) Since June 1953, when the Feasting Control Order was amended, 165 permits were issued by the Government.

२. (२/एस. एम.) :—श्री सरदार सिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३७:– क्या दलित-वर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की जानकारी में यह है कि उनियारा कॉन्स्टीटुएन्सी में हरिजनों का पानी पीने का कष्ट निवारण नहीं हो पाया है ?

(२) क्या इस साल कूवों के निर्माण हेतु सरकार से सहायता दी जाकर उनके कुंवे जो अधूरे तैयार हैं सम्पूर्ण करा दिये जावेंगे ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कदम उठाने की आशा की जा सकती है ?

उत्तर

(१) हां ।

(२) चालू वर्ष में सरकार ने पानी पीने के कुंवों के लिए सहायतार्थ केवल ३०००) रू० बेकवर्ड क्लास वेलफेयर विभाग के बजट में स्वीकृत किए हैं, किन्तु यह रकम उन अधूरे कुंवों के लिए जिनके निमित्त गत वर्ष भी सहायता दी गई थी खर्च की जावेगी। भारत सरकार द्वारा हरिजनों की सहायतार्थ रकम मांगी गई है। मिलने पर उनियारा कान्स्टीटुएन्सी के हरिजनों के जल-कष्ट दूर करने पर भी विचार किया जावेगा ।